लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

18-8-92

सत्यमेव जयते

[खंड 15 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 47, गुरुवार, 18 मई, 1972/28 वैशाख, 1894 (शक)

No. 47, Thursday, May 18, 1972/ Vaisakha 28, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
881. पाकिस्तानी शिविरों में रह रहे बंगालियों के बारे में बंगला देश सरकार के साथ बातचीत	Discussion with Bangladesh Government on Bengalis in Pak Camps.	1—2
882. बोनस पुनरीक्षण समिति	Bonus Review Committee	3—6
883. भारतीय रेडक्रास द्वारा बंगला देश में अन्न का वितरण	Distribution of Food in Bangladesh by Indian Red Cross	6—8
884. बोकारो इस्पात कारखाने में फैब्रिकेशन कार्य	Fabrication Work of Bokaro Steel Plant	8—9
885. बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन	Amendment in Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 proposed by Bihar Government	9—10
886. दिल्ली में कोयले के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेना	Taking over of Wholesale Coal trade in Delhi	10—11
887. कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by EPF Employees	11—16
888. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Hindustan Zinc Limited	16—17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
889. रोडेशिया को शस्त्रों की सप्लाई पर प्रतिबन्ध	Ban on Arms to Rhodesia	17—18
890. तिब्बती शरणार्थियों में क्षय रोगियों की संख्या	Incidence of T. B. among Tibetan Refugees	18—20
891. पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीय पत्रकारों का अता-पता	Whereabouts of Indian Journalists Arrested by Pakistan	20

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
892. खेतड़ी तांबा परियोजना की खानों की खुदाई तथा आयोजन	Prospecting and Planning of Mines Khetri Copper Project	21
893. भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा ट्रेक्टर ट्रेलरों तथा सेमी गामा ट्रेलरों की खरीद	Purchase of Tractor Trailers and Semi Gama Trailers by GSI	21--22
894. चीनी मिट्टी के निक्षेप	China Clay Deposits	22—23
895. लंदन और वाशिंगटन स्थित इंडिया सप्लाई मिशनों का निरीक्षण	Inspection of India Supply Missions in London and Washington	23
896. दंडकारण्य परियोजना में बसाये गये परिवारों को आवंटित की गयी भूमि	Land Allotted to Families Rehabilitated in Dandakaranya Project	24
897. गैर कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Non-Coking Coal Mines	24
898. मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेपों की खोज	Exploration of Iron Ore Deposits in Madhya Pradesh	24—25
899. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्ड में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व	Representation of Workers on Board of Management of Public Undertakings	25
900. नैवेली लिग्नाइट निगम में लिग्नाइट के उत्पादन में कमी	Shortfall in Lignite output at Neyveli Lignite Corporation	25--27

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6548. भारतीय उच्चायुक्त/राजदूत के रूप में कार्य कर रहे सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी	Retired Government Servants working as Indian High Commissioner/Ambassadors	27
6549. पालामऊ (बिहार) के खनन क्षेत्र में उपयोगिता सर्वेक्षण तथा अनुसंधान	Utilisation survey and research in mining field of Palamau (Bihar) ..	27
6550. कोकिंग कोयला खानों का वैज्ञानिक ढंग से विकास	Scientific development of Coking Coal Mines	28
6551. मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों में श्रमिकों से बहुत ज्यादा काम लिया जाना	Excessive work from workers in Textile Mills in Madhya Pradesh	28
6552. सर्कस उद्योग में श्रमिकों की स्थिति	Labour conditions in Circus Industry	29
6553. कानपुर कपड़ा श्रमिकों के बोनस का विवाद	Bonus dispute of Kanpur Textile workers ..	29
6554 हिमाचल प्रदेश में माणिक्य के निक्षेप	Deposits of Ruby stones in Himachal Pradesh	29
6555. खनिज रियायतों सम्बन्धी नियम. 1960 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों के पास सम्पत्ति को बन्धन रखना	Mortgaging of assets to financial iustitutions under Mineral Concessions Rules, 1960 ..	30
6556. बोकारो इस्पात संयंत्र में मान्यता-प्राप्त मजदूर संघ	Recognised Unions in Bokaro Steel Plant ..	30
6557. शरणार्थी शिविर, पंचनपुर, गया जिला	Refugee Camp, Panchanpur, Gaya District	30
6558. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, कलकत्ता को सी० आर० शीट के लिये दिये गये क्रयादेश	C. R. Sheets orders to Hindustan Steel Ltd. Calcutta ..	31
6559. आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में लौह अयस्क की खानें	Iron Ore Mines in Cuddapah District Andhra Pradesh ..	31
6560. आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत सुविधाएं	Facilities under Iron Ore Mines Labour Welfare Fund in Andhra Pradesh	32

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

6561. आंध्र प्रदेश में अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं	Facilities provided in Andhra Pradesh under the Mica Mines Labour Welfare Fund	32—36
6562. आंध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पताल	ESIS Hospitals in Andhra Pradesh	36—57
6563. कपड़ा उद्योग के नियोक्ताओं पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of EPF with Employees in Textile Industry	37—38
6564. भूमिहीन कृषि श्रमिक	Landless Agricultural Labour	38—39
6565. पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली का नाम बदलना	Renaming of EPDP Colony, Kalkaji, New Delhi ..	39
6566. भारतीय भिक्षुणियों की भर्ती के लिए आयोग	Commission for Recruitment of Indian Nuns	39
6567. केन्द्रीय जांच ब्यूरो और सतर्कता आयोग द्वारा शरणार्थी प्रबन्ध व्यवस्था, त्रिपुरा के भ्रष्टाचार मामले की जांच	Investigation by CBI and Vigilance Commission into matters of Corruption for Evacuees Management, Tripura ..	39—40
6568. खेतड़ी में तांबा परियोजना के असैनिक निर्माण कार्यों के लिए ठेका	Contract for Civil Construction of Khetri Copper Project ..	40
6569. मैसर्स सी० एच० (प्राइवेट) लिमिटेड, तथा मैसर्स सी० एम० आई० लिमिटेड, बिहार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न कराया जाना	Default in payment of EPF. by M/s. C. H. (P) Limited and M/s. C. M. I. Limited, Bihar ..	40—41
6570. बंगला देश को सहायता	Aid to Bangladesh	41—42
6571. बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए इमारत	Building for Regional Office of EPFO in Bihar	42
6572. बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों के यात्रा भत्ते तथा मेडिकल बिल	T. A. and Medical Bills of Staff in EPFO in Bihar ..	42—46

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6573. भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Geological Survey of India	43
6574. सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशी कारों का आयात	Import of Foreign Cars by Government Officials	43—44
6575. कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	Coal Mines Provident Fund Organisation, Dhanbad ..	44
6576. रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार संबंधी सर्वेक्षण	DGE. & T. Survey of Jobs for S. C. and S. T.	45
6577. मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा किया जाना	Deposit of E. P. F. by Cloth Mills in Madhya Pradesh	45—46
6579. सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in Public Sector Plants ..	46
6580. इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम	Public Sector Undertakings under Ministry of Steel and Mines ..	46
6581. सामान की खरीद के बारे में विज्ञापन	Advertisement regarding purchase of supplies	47
6582. चम्पारन जिले में बंगाल देश के शरणार्थियों द्वारा भूमि का बेचा जाना	Selling of Land by Bangladesh Refugees in Champaran District	47
6583. पूर्ति विभाग में कर्मचारी	Employees in Department of Supply	47—48
6584. बोकारो इस्पात संयंत्र में आपरेशन कार्य के लिए भर्ती	Recruitment for Operation Work in Bokaro Steel Plant	48
6585. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की सेवाओं के बारे में सी० बी० टी० द्वारा निर्णय	Decision by CBT regarding Services of E. P. F. O. Employees	48—49
6586. सैंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज ई० पी० एफ० ओ० के निर्णय	Decisions of Central Board of Trustees of EPFO	49

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

6587. श्रमवीर राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के लिए समिति का गठन	Committee for Shram Vir National Award and National Safety Award, 1971 ..	49—50
6588. भारत के कूटनीतिक संबंध	India's Diplomatic Relations	50
6589. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अध्यक्ष और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	Chairman of E. P. F. O. and Central Provident Fund Commissioner	50
6590. तिब्बती औद्योगिक पुनर्वास समिति हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनायें	Projects run by Tibetan Industrial Rehabilitation Society, Himachal Pradesh ..	51
6591. खेतड़ी तांबा परियोजना के कर्मचारियो द्वारा हड़तालें	Strikes by Employees of Khetri Copper Project	51—52
6592. खेतड़ी तांबा परियोजना के निर्माण कार्य को ठेके पर देना	Contract for Fabrication of Khetri Copper Project ..	52—53
6593. मध्य प्रदेश में खानों की खुदाई के लिये लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Prospecting Licences for Exploitation of Minerals in Madhya Pradesh ..	53
6594. दण्डकारण्य में पुन: बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों द्वारा खाली की गई भूमि का उपयोग तथा उनसे सम्पत्ति और ऋणों की वसूली	Use of land vacated by Resettled Displaced Persons in Dandakaranya and recovery of loans and properties from them ..	53—54
6595. दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा समेकित विकास और जनजाति विकास	Integrated Development and Tribal Development by Dandakaranya Development Authority	54
6596. पोट्टेरू योजना का कार्य निष्पादन	Execution work of Potteru Scheme	54—55
6597. दण्डकारण्य विकास परियोजना में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in Dandakaranya Development Project	55
6598. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, महासभाओं और सेमिनारों आदि में भारत द्वारा भाग लिया जाना	Participation of India in International Conferences, Congress and Seminars	55—56
6599. जम्मू और काश्मीर में जिप्सम के निक्षेप	Gypsum Deposits in Jammu and Kashmir ..	56

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6600. अस्पताल के निर्माण में धाँधली	Alleged Bungling in Hospital Construction	56
6601. भारतीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा बोनस के बारे में सुझाव	Suggestions on Bonus by President of Employees Federation of India	57
6602. लंदन और वाशिंगटन स्थित भारतीय रेजीडेंट मिशनों पर व्यय	Expenditure of Indian Resident Missions in London and Washington ..	57
6603. सहकारी क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों पर सेमिनार	Seminar on Industrial Relations in Cooperative Sector ..	57—58
6604. नए इस्पात संयंत्र स्थापित करना	Setting up of more Steel Plants	58
6605. राजनैतिक पेंशन भोगी	Political Pensioners	58
6606. तिब्बत को जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्री	Indian Pilgrims to Tibet	59
6607. बेरोजगारी बीमा योजना की प्रगति	Progress on Unemployment Insurance Scheme ..	59
6608. मध्य प्रदेश में निकल के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Nickel Plant in Madhya Pradesh ..	59
6609. मध्य प्रदेश में द्वितीय चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendation of Second Sugar Wage Board in Madhya Pradesh	59—60
6610. मध्य प्रदेश में ग्रैफाइट और यूरेनियम के निक्षेप	Graphite and Uranium Deposits in Madhya Pradesh	60
6611. मध्य प्रदेश की रोलिंग मिल, फाउन्ड्री और मोल्डिंग यूनिट की और भविष्य निधि की बकाया राशि	Provident Fund Arrears in Rolling Mills, Foundries and Moulding Units in M. P.	60
6612. इंदौर स्थित स्टील रोलिंग मिल्स, फाउण्ड्री तथा मोल्डिंग यूनिट्स को आयात सम्बन्धी लाइसेंस देना	Issue of Import Licences to Steel Rolling Foundry and Moulding Units of Indore	60—61
6613. जे० जे० काटन मिल्स लिमिटेड, ग्वालियर में श्रमिक संकट	Labour Problem in J. J. Cotton Mills Limited, Gwalior	61
6614. राजस्थान में खानें	Mines in Rajasthan	61

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
6615. राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें	Recommendations of National Labour Commission	61
6616. पड़ोसी देशों से शरणार्थियों का आगमन	Influx of Refugees from Neighbouring Countries	62
6617. पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र की स्थापना	Setting up of Steel Plant in West Bengal ..	62
6618. बिहार द्वारा केनाइट खानों के लिये खनिज विकास निगम की स्थापना	Setting up of Mineral Development Corporation by Bihar for Kyanite Mines	62-63
6619. सरकारी क्षेत्र के उद्योग प्रतिष्ठानों में हड़ताल	Strikes in Industrial Establishments in Public Sector	63
6620. सोना तथा हीरे का उत्पादन	Production of Gold and Diamonds	63—64
6621. श्रमिक कानूनों से बचने के लिए सूरत स्थित आर्ट सिल्क इंडस्ट्री का कृत्रिम विभाजन	Artificial Division of Art Silk Industry in Surat to evade Labour Laws	64
6622. ताँबे और जस्ते के निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey of Deposits of Copper and Zinc.	64—66
6624. 1971-72 के दौरान किये गये क्रय में किफायत	Economy in Purchases made during 1971-72	66—67
6625. श्रीलंका में हुए दूसरे एशियाई बौद्ध सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना	India's participation in Second Asian-Buddhist Conference in Ceylon	67
6628. हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण	Instructors in Industrial Training Institutes in Haryana	67—68
6629. छंटनी न होने देने के लिए प्रशिक्षकों को पुनः प्रशिक्षण देना	Retraining to Instructors to avoid Retrenchments ..	68—69
6630. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थान तथा प्रवेश	Seats and Admission in Industrial Training Institutes ..	69
6631. औद्योगिक प्रशिक्षण संथानों में औद्योगिक प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना बनाने वाले अधिकारी	Officers in Charge of Planning for Industrial Training in Industrial Training Institutes	69—70

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

6632. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बिहार के क्षेत्रीय कार्यालय में लोअर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों का अनुपात	Ratio of L. D. Cs. and U. D. Cs. in Regional Office of E. P. F. O. Bihar	70
6633. परिवार पेंशन योजना की विवरणियां भेजना	Submission of Returns of Family Pension Scheme ..	70—71
6634. इंडियन नेशनल माइन ओवरमैन सरदार एन्ड शाट फायरर्स एशोसिएशन के सदस्यों को दी गई सुविधायें	Facilities provided to Members of Indian National Mine Overmen Sirdar and Shot Firer's Association	71
6635. बंगाल तथा बिहार में कोयले के मूल्य	Prices of coal in Bengal and Bihar	71—72
6636. मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खान का बन्द होना	Closure of Coal Mine of NCDC in Sahdol District, Madhya Pradesh	72
6637. दण्डकारण्य योजना के लिए भूमि	Land for Dandakarayana Scheme	72—73
6638. श्रीलंका में बसे भारतीय	Indians in Ceylon	73
6639. आसनसोल कोयला पट्टी में छंटनी	Retrenchments in Asansol Coal Belt	73—74
6640. सलाखों, छड़ों और प्लेटों की मांग	Demand of Bars, Rods and Plates	74
6641. दुर्गापुर इस्पात कारखाने की बिक्री की बकाया राशि की वसूली	Collection of Arrears of Sale Proceeds of Durgapur Steel Plant	74
6642. भारत-बंगला देश सीमा विध्वंसात्मक गतिविधि	Disruptive Activities on Indo-Bangladesh Border	75
6643. गिरिडीह खानों पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हुई हानि	Loss incurred by National Coal Development Corporation on Giridih Mines	75—76
6644. विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में भारतीय संस्कृति तथा इतिहास की पुस्तकों की कमी	Shortage of Books on Indian Culture and History in Indian Missions Abroad	76
6645. सिंगापुर में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक	Meeting of Foreign Ministers of South-East Asian countries in Singapore	76—77

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

6647. बिहार में एल्यूमीनियम संयंत्र की स्थापना	Setting up of Aluminium Plant in Bihar	77
6648. इस्पात के आयात के बारे में उद्योगों से परामर्श	Consultation of Industries re : Import of Steel ..	77—78
6649. गुजरात में कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा न करना	Non-Deposit of EPF by Companies in Gujarat ..	78
6650. विदेशों में स्थित भारतीय दूतावसों को दी जाने वाली सुविधायें	Facilities provided to Indians by Indian Embassies abroad	78—79
6651. अभ्रक उद्योग में मजदूरों को मजूरी का भुगतान न किया जाना	Non-payment of Workers wages in Mica Industry	79
6652. भागलपुर की रेशम फैक्टरियों में कर्मचारी भविष्य निधि	EPF. in Silk Factories in Bhagalpur	79—80
6653. डा० जगजीत सिंह के पार पत्र को रद्द किया जाना	Cancellation of Passport of Dr. Jagjit Singh	81
6654. द्वितीय चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Second Sugar Wage Board	81
6655. पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य पुनरीक्षण समिति का विघटन	Winding up of Committee on Review of Rehabilitation work in West Bengal ..	81—82
6656. शरणार्थियों द्वारा खाली किए गये केम्पों में हरिजनों को बसाया जाना	Rehabilitation of Harijans in camps vacated by refugees	82
6657. दिल्ली की निकलसन रोड की सम्पत्ति की नीलामी	Auction of property in Nicholson Road, Delhi	83
6658. पश्चिम बंगाल में कर्मचारी भविष्य निधि में दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही	Action against employees in default of E. P. F. in West Bengal	83
6659. सलादीपुरा, जिला सीकर (राजस्थान) में लोह पाइराट के लिए सर्वेक्षण	Survey of Iron pyrites at Saladipura District Sikar (Rajasthan) ..	84
6660. तमिलनाडु में खनिज निक्षेप	Mineral deposits in Tamil Nadu	84

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6661. मध्य प्रदेश में जमुई मजारी कोयला खान में मरे श्रमिकों के परिवारों को दिया गया मुआवजा	Compensation paid to labourers who died in Jamuyee Majari Coal Mines in Madhya Pradesh	84—85
6662. बोकारो इस्पात संयंत्र	Bokaro Steel Plant	85
6663. विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों का खोला जाना	Opening of Indian Cultural Centres in Foreign Countries ..	85—86
6664. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में कार्य करने वाले निदेशकों का ब्यौरा	Particulars of Directors working in Indian Council of Cultural Relations ..	87
6665. 'एक्सपोर्ट फैब्रिकेशन' के लिए इस्पात की मांग तथा पूर्ति	Demand and Supply of Steel for Export Fabrication	87—88
6667. सांसकृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् में कार्य करने वाले कर्मचारी	Staff working in ICCR	88
6668. इस्पात और खान मन्त्रालय के अधीन उपक्रमों में पदों के लिए भर्ती	Filling up of posts in Undertakings under Ministry of Steel and Mines	89
6669. पुनर्वास विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पद	Reserved posts of S. C. and S. T. in the Department of Rehabilitation	89
6671. रसायनिक हथियारों पर रोक के बारे में सभी ड्राफ्ट का ब्रिटेन द्वारा रद्द किया जाना	Britain's Rejection of Soviet Draft regarding Ban on Chemical Weapons	89
6672. केरल में कपड़ा मिलों द्वारा अदा किये गये बोनस की प्रतिशतता	Percentage of bonus payment by textile Mills in Kerala	90
6673. केरल और तमिलनाडु में स्वर्ण के लिए सर्वेक्षण	Survey for Gold in Kerala and Tamil Nadu ..	90
6674. केरल में लोह के निक्षेप	Iron Deposits in Kerala	90—91
6675. केरल में आदिवासियों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना	Unemployement Insurance Scheme for Adivasis in Kerala	91
6676. केरल में खनिज उत्पादों का उपयोग	Utilisation of Mineral Products in Kerala ..	91

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
6677. पंजीकृत मजदूर यूनियनों को समझौता वार्ता की सुविधायें	Negotiation facilities to Registered Trade Unions	92
6678. आंध्र प्रदेश में अलौह धातुओं के भंडार	Reserves of Non-Ferrous Metals in Andhra Pradesh	92—93
6679. परासिया कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Parasia Coal Mines	93—94
6680. विदेश मंत्रालय में नये पदों का बनाया जाना	Creation of new posts in the Ministry of External Affairs	94
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance	94
दिल्ली में निकट भविष्य में जल-संकट के समाचार	Reported imminent water crisis in Delhi ..	94
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhusan	95—95
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya	97—98
अमरनाथ चावला	AmarNath Chawla	97
चुनाव अभियान के लिए दिये गये कथित दान के बारे में चर्चा	Discussion on Alleged donations made by a Company to the ruling Congress for Election Campaign ..	99—101
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	101—102
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य	Statement re. Demands of the Employees of the Employees Provident Fund Organisation	102—104
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	102—104
वित्त विधेयक, 1972	Finance Bill, 1972 ..	104
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	110—111
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	111
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	111
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi	111—112
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat. Pal Kapur	97—112
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K. M. Madhukar	112
श्री परिपूर्णा नन्द पैनूली	Shri Paripoornanand Painuli	108—112

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ [illegible]
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	106, 113
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yashwantrao Chavan	.. 106,108,113
अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1972-73	Demands for Grants (Railways), 1972-73 ..	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	.. 110,115,116
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	171
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	.. 172—173
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma	171
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	174
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	175
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra	176
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R. N. Barman	176
श्री एम० एम० जोजफ	Shri M. M. Joseph	177
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa	178
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	180
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	182
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	182
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banmali Patnaik	183
कार्य मंत्रणा समिति बारहवाँ प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Twelfth Report	184

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 18 मई, 1972/28 वैशाख, 1894 (शक)

Thursday, May 18, 1972/Vaisakha 28, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Discussion with Bangla Desh Government on Bengalis in Pak Camps

+
*831. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the press report that lakhs of Bengali citizens and soldiers are still kept in camps in Pakistan in a very deplorable condition ; and

(b) if so, the information available with Government in this regard and whether any discussion has been held with Bangla Desh Government on this issue ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार इस बात से अवगत है कि बंगला देश के कई लाख नागरिक पाकिस्तान में हैं। सरकार इस बात से भी अवगत है कि बंगला देश के प्रधान मन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि बंगला देश के गैरबंगालियों को पाकिस्तान भेजने के बदले में उन्हें स्वदेश लौटाने का प्रबन्ध किया जाए। सरकार इस बात से भी अवगत है कि अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति, दोनों सम्बद्ध सरकारों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श कर रही है। कई मौकों पर सरकार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। पाकिस्तान और बंगला देश के अल्पसंखकों का प्रश्न सम्बद्ध सरकारों को ही हल करना है।

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know from the hon. Minister the reaction of the United Nations to the appeal of the Prime Minister of Bangla Desh and whether the Indian representatives in U. N. O. are giving some help to them in this connection ?

श्री स्वर्ण सिंह : स्पष्ट है कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिक्रिया बता सकने के अधिकार नहीं रखता । हम स्वयं भी अन्तर्राष्ट्रीय रेड-क्रास तथा अन्य संस्थाओं को इस सम्बन्ध में सहायता देने का अनुरोध करते रहे हैं परन्तु मूलतः यह मामला बंगला देश तथा पाकिस्तान के बीच का है ।

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know whether the number of Pakistanis in Bangla Desh is equal to that of Bengalis in Pakistan ? Also, what have been the results of the efforts made so far by the International Red Cross ?

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों देशों में यह संख्या समान तो नहीं है, परन्तु ऐसे मामले में संख्या अथवा समान संख्या का महत्व नहीं होता । यह एक मानवीय समस्या है । पाकिस्तान में बंगालियों को परेशान किया जा रहा है ; और मानवीय आधार पर पाकिस्तान सरकार को उन्हें बंगला देश लौटने देना चाहिए ।

Shri Chandulal Chandrakar : May I know whether Bangla Desh has come to know through the International Red Cross that the number of Bengalis who died in Pakistan is on the inerease day by day ?

श्री स्वर्ण सिंह : स्पष्ट है कि बंगला देश की सरकार को मिलने वाली जानकारी के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि भूतपूर्व पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के सभी सदस्यों अर्थात वायु सेना, नौसेना तथा पाकिस्तानी सेना की चौथी रेजीमेंट के बंगाली सदस्यों को अब बन्दी शिविरों में रखा जा रहा है और क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान के बन्दी शिविरों में बड़ी संख्या में बंगालियों को रखा जा रहा है और क्या श्री अजीज अहमद तथा श्री दुर्गा प्रसाद धर की वार्ता के समय पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि सशस्त्र सेनाओं के बंगाली सदस्यों को तभी मुक्त किया जायेगा जबकि उतनी ही संख्या में पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों को मुक्त किया जाये, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे पास इस प्रकार की जानकारी है कि सशस्त्र सेनाओं के मूलतः बंगला देश के निवासी सैनिकों को वहां बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं तथा कुछ तो वस्तुतः गिरफ्तारी की दशा में हैं । यह एक वास्तविक समस्या है जिसे बंगला देश और पाकिस्तान को हल करना है । श्री दुर्गा प्रसाद धर तथा राष्ट्रपति भुट्टों के विशेष दूत के बीच वार्ता के समय कार्यसूची, बैठक के स्थान, तथा अनुमानित समय सम्बन्धी बात तय की गई थी परन्तु दूसरी ओर अर्थात पाकिस्तान किसी महत्वपूर्ण मामले पर बातचीत करने को तैयार नहीं था ।

Shri Shiv Kumar Shastri : खड़े हुये ।

अध्यक्ष महोदय : कल हम केवल तीन या चार प्रश्नों पर ही चर्चा कर सके आज हमें अधिक प्रश्नों को लेना चाहिए । अतः मैं एक प्रश्न पर तीन या चार अनुपूरक प्रश्नों से अधिक की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

बोनस पुनरीक्षण समिति

* 882. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस भुगतान अधिनियम की क्रियान्विति के पुनरीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन हैं और उनके मुख्य निर्देश पद क्या है ; ओर

(ग) यह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव की प्रति जिसमें गठन और विचारार्थ विषय समाविष्ट हैं, 28.4.1972 को सदन की मेज पर रखी गई है।

(ग) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि समिति कब अपना कार्य पूर्ण करेगी।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : देश के सभी केन्द्रीय व्यापार संघ कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस की मांग कर रहे हैं और केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने इस सम्बन्ध में बम्बई अधिवेशन में आश्वासन भी दिया था, परन्तु दुर्भाग्य से सरकार उद्योग से यह मांग मनवाने में असफल रही और परिणामतः लाखों कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी और अपना 10 या 12 दिन का वेतन खोना पड़ा। इस दृष्टि से क्या "खाडिलकर खत्री" के नाम से किये गये अग्रिम धन तथा 8.33 प्रतिशत के बोनस को वे नियमित करेंगे तथा इन अग्रिम राशियों को 8.33 प्रतिशत बोनस के रूप में नियमित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : तदर्थ बम्बई फार्मूले के आधार पर दिये गये अग्रिम ऋण को पुनरीक्षण समिति की अन्तिम सिफारिशें प्राप्त होने तक वापस नहीं लिया जायेगा। नियोक्ताओं को इस पर राजी करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जायेगा क्योंकि यह कोई सांविधिक फार्मूला तो है नहीं, कि वे इस स्थिति में धनराशि वापस लेना आरम्भ न करें।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : 28 अप्रैल, 1972 को सभा-पटल पर रखे गये निर्देश-पदों को देखने से पता लगता है कि समिति काफी लम्बा समय लेगी। वित्त वर्ष तो लगभग समाप्त हो ही चुका है और बोनस सम्बन्धी मांग को एक दो महीनों में सामने रखा जायेगा। इसलिए, क्या सरकार इस समिति के लिए कोई अवधि निश्चित करेगी ताकि कर्मचारियों को गत वित्त वर्ष के लिये बोनस की अदायगी की अपनी मांग के समर्थन में फिर हड़ताल न करनी पड़े ?

श्री आर० के० खाडिलकर : समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कोई समय-सीमा निश्चित करना तो कठिन है, परन्तु निश्चय ही गत वर्ष के अनुभव को देखते हुए हम पुनरीक्षण समिति से अनुरोध करेंगे कि वह न्यूनतम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करे क्योंकि न्यूनतम ही वास्तविक झगड़े की जड़ है और हम उन्हें इस बात पर राजी करने का भरसक प्रयास करेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई अन्तरिम निर्णय लें।

Shri Ram Narain Sharma : At the time of discussion regarding minimum hours in the India Labour Conference, the hon. Minister had made it quite clear that before the next Puja days he would constitute the Committee and get its report, so would the Government direct this Committee to submit its report and implement it before the Puja days ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैने अभी कहा है, समिति को यह निर्देश देना संभव नहीं है कि वह किसी निश्चित अवधि तक अपना प्रतिवेदन पेश कर दे। हम उसे न्यूनतम के बारे में एक अन्तरिम प्रतिवेदन पेश करने का अनुरोध अवश्य करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : उत्तर में स्पष्ट है कि सरकार रिपोर्ट पेश कर देने की कोई अवधि निश्चित नहीं कर सकती। कुछ कपड़ा मिलों में अग्रिम राशि के रूप में 120 से 150 रुपये दिये गये थे, जिन्हें भविष्य में श्री खाडिलकर अथवा समिति के निर्णय के अनुसार हिसाब में लगा लिया जाना था। मंत्री महोदय को मालूम है कि उनके हस्तक्षेप के फलस्वरूप कानपुर के दो मिलों में अग्रिम राशि के रूप में 120 रुपये दिये गये थे और नियोक्ताओं ने कहा था कि श्री खाडिलकर 15 या 20 दिनों में अपना निर्णय दे देंगे **(व्यवधान) :** मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह बात भी समिति को सौंपी गई है अथवा कि नियोक्ताओं से कहा जायेगा कि वे तुरन्त ही कर्मचारियों को भुगतान कर दें ?

श्री आर० के० खाडिलकर : कानपुर मिलों का मामला किसी समिति को नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि वह समिति समूची बोनस योजना पर सामान्य रूप से पुनर्विचार कर रही है। जहां तक इन मिलों का संबंध है, उन्होंने बिना किसी सलाह अथवा सहमति के कुछ कह दिया है कि मुझे कुछ निर्णय देना है। मैं देखूंगा कि मेरे लिये यह निर्णय किस सीमा तक सम्भव है . . . **(व्यवधान)।**

श्री ए० पी० शर्मा : गत वर्ष श्रम मंत्री ने कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस देने की इस समस्या पर एक त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया था। बम्बई में उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि यह समिति जो अब गठित की गई है सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर रेलवे, प्रतिरक्षा उत्पादन तथा अन्य वाणिज्यिक उपक्रमों के सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस देने के प्रश्न पर विचार करेगी। बाद में संयुक्त सलाहकार समिति जो कि केन्द्रीय कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने वाली एक व्यवस्था है . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं श्रम मंत्री को उनका आश्वासन याद दिला रहा हूं। श्रम मंत्री तथा श्रम मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने संयुक्त सलाहकार समिति में यह आश्वासन दिया था कि गठित की गई वह समिति विशेष रूप से वाणिज्यिक संस्थानों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस की अदायगी के प्रश्न पर विचार करेगी। तो क्या श्रम मंत्री ने रेलवे, प्रतिरक्षा उत्पादन तथा अन्य सरकारी वाणिज्यिक संस्थानों में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उसी आधार पर अर्थात संबंधित उद्योगों को घाटा होने पर भी, न्यूनतम बोनस की अदायगी का मामला उक्त समिति को सौंपा है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने गलत कहा है। कभी भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे तथा वेतन आयोग के अन्तर्गत आने

वाले संस्थानों के मामले पर बोनस पुनरीक्षण समिति विचार करेगी । केवल इतना कहा गया था कि यह वेतन आयोग का दायित्व है । और अब क्यों कि वेतन आयोग की बैठकें हो रही हैं, उन्होंने रेलवे सहित सभी सरकारी संस्थानों की ओर से आने वाली इस मांग पर ध्यान भी दिया होगा। यह सब वेतन आयोग का दायित्व हैं ।

श्री ए० पी० शर्मा : जी नहीं, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं तथा मंत्री महोदय के वक्तव्य का खण्डन करता हूं कि बोनस का मामला वेतन आयोग को सौंपा गया है **(व्यवधान)** । वह इस मामले को वेतन आयोग को सौंपे तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दीजिये । बोनस सम्बन्धी मामला कभी भी वेतन आयोग को नहीं सौंपा गया था । यह प्रश्न यहां बोनस आयोग से संबंधित है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : यहां फिर भ्रम हुआ है । मैंने कहा है कि बोनस पुनरीक्षण समिति सरकारी संस्थानों की बोनस सम्बन्धी माँग पर विचार नहीं करेगी । इसका ध्यान करना तो वेतन आयोग का काम है । यही बात मैंने कही थी ।

श्री ए० पी० शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये । सारा प्रश्न काल आपके था, श्री खाडिलकर के लिये नहीं है । अभी दूसरे प्रश्न भी हैं **(व्यवधान)**

श्री ए० पी० शर्मा : यह प्रश्न बहुत गम्भीर है, जिसका 25 लाख सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ता है । इसी लिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं । क्या वह न्यूनतम बोनस के इस प्रश्न को वेतन आयोग को सौंपने को तैयार हैं ? इस पर न तो समिति ने विचार किया है और न ही इसे वेतन आयोग को सौंपा गया है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : वेतन आयोग कर्मचारियों के सेवा शर्तों, पदोन्नतियों तथा अन्य बातों पर विचार करता है । जैसा कि मैंने बम्बई में कहा था, आयोग इस पर ध्यान देगा। मैं इस संबंध में कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा होता कि ऐसे विवादास्द मामले पर आप बम्बई में कुछ कहने की बजाय संसद में कहते ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हू । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, आई० टी० आई० आदि सरकारी उपक्रमों में बोनस दिया गया है । हमारा कहना है कि बोनस अधिनियम को रेलवे, प्रति रक्षा तथा डाक व तार के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाये या फिर वेतन आयोग को इस पर विचार करने को कहा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आप सदन से बाहर कोई बैठक कोजिये । सभा में आप इस प्रश्न पर अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय स्वयं स्थिति को बहुत भ्रामक बना रहे हैं। उन्होंने बोनस अधिनियम का पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति गठित की है। इसका क्या अर्थ हुआ ? क्या इसका यह अर्थ है कि बोनस अधिनियम के पारित होने से अब तक और विभिन्न स्थानों में इसके लागू होने तक भिन्नता चलती रहेगी ? क्या यही बात समिति को विचारार्थ सौंपी गई है ? क्या इस समिति को भी अन्य पहली समितियों की भांति पांच वर्ष लगेंगे, फिर बाद में प्रतिवेदन आयेगा, इस पर अन्तिम रूप से निर्णय करने में संसद को तीन वर्ष लगेंगे ? सरकार की वस्तुतः क्या मन्शा है ? क्या इसका उद्देश्य बोनस की अदायगी से विलम्ब करने का है जोकि सरकार एक अन्य समिति गठित करने के लिये कार्यवाही कर रही है ? आप कृपया इसे स्पष्ट कीजिये ।

श्री आर० के० खाडिलकर : जब विधेयक विचाराधीन था तो उस समय राज्य सभा में एक आश्वासन दिया गया था और इस विधेयक का उद्देश्य न्यूनतम 4 प्रतिशत को बढ़ाकर $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत करना था। इस विधेयक पर चर्चा के बीच बोलते हुए मैंने यह आश्वासन दिया था कि मैं बोनस योजना का पूर्णरूपेण पुनरीक्षण कराऊंगा और आज जो तत्सम्बन्धी शर्तें आदि हैं उनका भी पुनरीक्षण . . . (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच है कि अनेक केन्द्रीय कार्मिक संघों ने यह मांग की है कि बोनस अधिनियम को बीमा और अन्य परिवहन उद्योगों पर भी लागू किया जाना चाहिये, और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह सच है कि केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्थायें अनेक बार इस तरह की मांगे करते रहे हैं। पुनरीक्षण के समय तथा योजना को बोनस अधिनियम में शामिल करते समय इन को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

भारतीय रेडक्रास द्वारा बंगला देश में अन्न का वितरण

+
*883. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास के अन्न भंडार को बंगला देश में वितरण के लिये भारत का सौंपा गया था ; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास भारतीय रेडक्रास के माध्यम से इस अन्न का वितरण कर रहा है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास का जो अन्न भंडार भारतीय रेडक्रास को सौंपा गया था वह भारत में बंगला देश के शरणार्थियों में वितरण के लिए था। बंगला देश के शरणार्थियों के लौट जाने के बाद बचा हुआ अन्न भंडार भारतीय रेडक्रास द्वारा बंगला देश रेडक्रास समिति को बंगला देश में वितरण के लिए दे दिया था।

(ख) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास भारतीय रेडक्रास की एजेन्सी के माध्यम से बंगला देश में सामान का वितरण नहीं कर रहा है।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : भारत में जो अन्न तथा सप्लाई की अन्य वस्तुयें शेष रह गयीं थीं उनके वितरण का कार्यभार सम्भालने वाली भारतीय रेडक्रास के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रेस में टिप्पणियां दी जा रही हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि उनके पास कोई भंडार शेष नहीं बचा है अथवा, जो भंडार था वह बंगला देश रेडक्रास समिति को दे दिया गया है। क्या भारतीय रेडक्रास बंगला देश में अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास के ऐजेन्ट के रूप में कार्य कर रही है अथवा उसकी सहायता के लिये कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : भारतीय रेडक्रास के पास जो भंडार शेष बचा था उसके बारे में मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। इन भंडारों को बंगला देश रेडक्रास समिति को दे दिया गया है। जहां तक प्रेस की आलोचना का सम्बन्ध है, गैर-बंगालियों को सप्लाई करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में यह आलोचना बंगलादेश सरकार की की गई है। हमें जो जानकारी है उस के अनुसार बंगला देश सरकार द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गई और वे अभी भी बंगला देश में रहने वाले बिहारियों को सप्लाई भेजने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। आपकी सूचना सही नहीं है।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार ने बंगला देश में अन्न भंडार के वितरण में उनकी सहायता के लिये कुछ अधिकारी भेजे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जी हां। हमसे बंगला देश सरकार ने तथा बंगला देश रेडक्रास समिति ने एक या दो अधिकारी भेजने का अनुरोध किया था। इस मामले पर हम ध्यान दे रहे हैं और मेरे विचार से बंगला देश को शीघ्र ही कुछ अधिकारी भेजने का निर्णय कर लिया गया है।

Shri Ishwar Chaudhary : Will the hon. Minister be pleased to state whether the Government had obtained a written permission from International Red Cross, after the repatriation of Bangla Desh refugees, regarding handing over of food stocks to Bangla Desh Red Cross Society ? May I know whether the Government think that there is no refugee problem now in India and therefore, the food stocks left over in India should be given to Bangla Desh ?

Mr. Speaker : It was meant for them and therefore it should be given to them.

Shri Ishwar Chaudhary : Is there no refugee problem in India ? Have all the Bangla Desh refugees left India ? I also wanted to know whether the written permission had been obtained.

Mr. Speaker : We are sending them of our own. Should we detain them here ?

Shri Surendra Pal Singh : Mr. Speaker, Sir, you have yourself replied to the question.

Shri Ishwar Chaudhary : May I know whether the Government think that all the refugees who came from Bangla Desh have left India ? Whether the written permission had been obtained from International Red Cross regarding handing over of food stocks to Bangla Desh Red Cross Society and if so, what are the salient features thereof ?

Shri Surendra Pal Singh : The reply is clear. Whatever food supply was received for Bangla Desh refugees, we could not fully utilize that. Whatever food stock was left over in India has been given to Bangla Desh Red Cross for distribution amongst the refugees. What more information he wants to have ?

Shri Ishwar Chaudhary : May I know whether there are any Bangla Desh refugees in India at present or not.

Mr. Speaker : You are unecessarily confused.

Shri Ishwar Chaudhary : I want to know whether there are Bangla Desh refugees in India or not !

अध्यक्ष महोदय : मैं और किसी अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

Fabrication Work of Bokaro Steel Plant

*884. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether fabrication work connected with the construction of Bokaro Steel Plant has been shifted to other States as a result of which thousands of labourers have been rendered unemployed ;

(b) whether the construction work of this plant is likely to be unduly delayed as a result thereof ; and

(c) If so, the reasons for getting the fabrication work done elsewhere and whether Government propose to get it done there itself ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) लगभग 5500 टन की थोड़ी सी मात्रा का संविरचन कार्य, जिसे आरम्भ में स्थल पर करने की योजना बनाई गई थी. राज्य से बाहर संविरचकों को सौंपा गया है । साथ ही लगभग 3800 टन कार्य जो इस्पात नगर से बाहर किया जाना था स्थल संविरचन शालाओं को दे दिया गया है और 4500 टन संविरचन कार्य जो बिहार से बाहर के कारखाने द्वारा किया जाना था, उससे लेकर भारी इंजीनियरी निगम रांची को दे दिया गया है । इन परिवर्तनों से राज्य में रोजगार की स्थिति पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Ramavatar Shastri : First of all, I want to know the location and the reason for shifting 55 tonnes of fabrication work connected with construction of Bokaro Steel Plant. Besides I want to know as to how much time was taken in receiving the delivery of finished goods.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : इसे बाहर भेजने का कारण यह है कि कुछ संविरचन कर्ता कार्य करने के लिए स्थल पर उपयुक्त सुविधायें प्रदान कर सकने की स्थिति में नहीं थे । माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि कुल 2,63,864 मीटरी टन संरचनात्मक कार्य में से केवल 5000 टन बिहार से बाहर भेजा गया है, जो बहुत कम है । यह संरचनात्मक कार्य तीन विशेष कम्पनियों को दिया गया है । ठेकेदारों में से 33 उपठेकेदार स्थल पर संविरचना सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें प्रदान करने की स्थिति में नहीं थे । उनके ठेके वापस लेकर ब्रेठवटे कलकत्ता, बडी एण्ड प्लाई कलकत्ता, भाडर्न इंडियन कन्सट्रक्शन तथा बी० पी० जैन कलकत्ता को दे दिए गए हैं । मेरे विचार में इन्हीं व्यक्तियों को ये ठेके दिए गये हैं ।

Shri Ramavatar Shastri : How many workers were employed on this fabrication work of 5500 tonnes and what work they are doing at present ? I want to know this because I had been

to Calcutta on April 20 and I found a number of workers jobless there. Therefore, I want to know the number of workers employed on that work and the arrangements being made to provide them jobs ? What work they are doing at present ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक मुझे पता है इसके परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं हुआ है क्योंकि यह कार्य स्थल पर पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था न हो सकने के कारण ही बाहर भेजा गया है । यह हो सकता है कि बोकारो में कार्य करने वाले पच्चास-साठ हजार लोगों में से इस कार्य पर एक ठेकेदार द्वारा लगाये गये बहुत से कर्मचारियों को दूसरे ठेकेदार के अधीन कार्य न मिल सके । यदि माननीय सदस्य पूरा ब्यौरा प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं ब्यौरा देने का प्रयास करूंगा परन्तु इस समय पूरे आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं । माननीय सदस्य यह विश्वास कर सकते हैं कि इस कार्य का रोजगार की स्थिति पर कुप्रभाव नहीं पड़ा है । यदि कोई बोकारो के निर्माण कार्य को निश्चित अवधि में पूरा करने पर बल देता है तो उसे उन ठेकेदारों से कार्य वापस लेने पर भी बल देना पड़ेगा जो कार्य निश्चित अवधि में पूरा नहीं करते हैं ।

Shri S. D. Singh : The work of the first furnace in Bokaro was to be started in June. May I know whether the completion of Bokaro will be delayed due to the delay of fabrication work and whether the first furnace will start working in June or not ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : जो भी विलम्ब हुआ है वह संविरचना कार्य को बाहर भेजने के कारण नहीं हुआ है क्योंकि हमने शीघ्र ही यह कदम उठाया कि तीन ठेकेदारों के कार्य की कमी को कार्य को बाहर भेजकर ही पूरा कराया जा सकता है ।

बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन

* 885. **श्री नवलकिशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने भारत सरकार से खान तथा खनिज (विनिमयन एवं विकास) अधिनियम 1957 में संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि बिहार सरकार राज्य के खनन क्षेत्रों में सड़कों तथा संचार व्यवस्था के विकास के लिए, निकाले गये खनिजों की कीमत पर 3 पैसे प्रति रुपए के हिसाब से विकास उपकर लगा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव पर पहले खनिज सलाहकारी बोर्ड की स्थायी समिति में विचार किया गया था और उसे परित्यक्त किया गया था ।

श्री नवलकिशोर सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य के खनन क्षेत्रों की सड़कों तथा संचार व्यवस्था की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है और गत 10 से 15 वर्षों तक की अवधि में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार अथवा अन्य किसी ने भी कोई कार्य नहीं किया है तो बिहार सरकार के प्रस्ताव को छोड़ देने के क्या कारण है जबकि रेलवे तथा यातायात मंत्रालय में से किसी ने भी सड़क संचार अथवा अन्य किसी संचार व्यबस्था को सुधारने की कोई योजना नहीं बनाई है ।

श्री शाहनवाज़ खां : प्रस्ताव पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया था और यह विचार किया गया कि रायल्टी कीं दर बढ़ाना ही उचित रहेगा जिससे बिहार सरकार को अधिक धन प्राप्त हो सके, जिससे वे सड़कों के विकास आदि का कार्य करा सकें । यद्यपि रायल्टी के रूप में अच्छी खासी राशि प्राप्त हो जाती है फिर भी हमारा विचार यह है कि इसे खनन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था के सुधार पर व्यय नहीं किया जाता हैं । इस राशि का अन्य कार्यों के लिये उपयोग किया जाता है ।

श्री नवलकिशोर सिंह : इस बात को देखते हुये कि एकत्रित की गई रायल्टी राज्य की संचित निधि में जाती है और क्योंकि सड़कों तथा संचार व्यवस्था की राज्य पर्यन्त मांग रहती है, राज्य सरकार को रायल्टी की समस्त राशि को खनन क्षेत्रों पर व्यय करने में बड़ी कठिनाई आती है, अतिरिक्त उपकर लगाने में क्या हानि है जबकि खानों के मालिक इस शर्त पर उपकर का भुगतान करने के लिये तैयार हैं कि इस राशि को खनन क्षेत्र की सड़कों तथा संचार व्यवस्था के सुधार पर व्यय किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है, अपितु एक सुझाव मात्र है ।

श्री शाहनवाज़ खां : प्रस्ताव पर खनिज परामर्शदात्री बोर्ड ने विस्तारपूर्वक विचार किया । योजना आयोग ने भी प्रस्ताव का परीक्षण किया । प्रस्ताव को यह जानने के लिये विधि मंत्रालय में भी भेजा गया कि उपकर लगाना न्यायसंगत होगा अथवा नहीं । उन्होंने हमें परामर्श दिया कि यह न्यायसंगत नहीं होगा, रायल्टी की दर बढ़ाना ही उचित होगा जिससे बिहार सरकार को अधिक धनराशि मिल सके । हाल ही में कोयला, लौहअयस्क, काईनाईट तथा दूसरे खनिजों पर रायल्टी की दर बढ़ा दी गयी है । अतः इन क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिये बिहार सरकार को अच्छी खासी धनराशि मिल सकेगी ।

श्री दामोदर पांडे : क्या यह सच है कि बिहार में खनन क्षेत्रों में सड़कों तथा अन्य बातों के विकास के लिये पहले से ही उपकर लगाया हुआ है और हजारीबाग तथा धानबाद जिलों में एक खान बोर्ड का गठन किया गया है ? क्या मंत्री महोदय राज्य सरकार कौ ऐसा परामर्श देंगे कि सभी खनन क्षेत्रों के लिये खान बोर्डों का गठन किया जाये और सभी खनन परियोजनाओं पर उपकर लगाने की उन्हें अनुमति दीं जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव मात्र है । आप कोई तथ्यात्मक जानकारी ले सकते हैं ।

"He has asked a factual question about the levy of 5 percent cess and that has been replied to. There cannot be a debate on this subject. Now the next question.

दिल्ली में कोयले के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेना

*886. **श्री पम्पन गौड़ा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में कोयले के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री पम्पन गौड़ा : क्या उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के विचार से सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : अधिग्रहण सम्बन्धी आपके प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया गया है । अब आप यह पूछ सकते हैं कि इसका क्या कारण है ।

श्री पम्पन गौड़ा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : भारत कोकिंग कोल कारपोरेशन को प्रतिमास 450 वैगन के कोटे पर दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाने की व्यवस्था की जा रही है । यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और जब यह कार्य करने लगेगा तब स्थिति में सुधार हो जाने की आशा है ।

श्री दामोदर पांडे : क्या भारत कोकिंग कोल कारपोरेशन ने दिल्ली में 135 रुपये प्रति टन की दर पर कोयला सप्लाई करने की पेशकश इस शर्त पर की है कि यह कोयला उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके ।

Mr. Speaker : You should be somewhat reasonable.

कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*887. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों ने अपनी मांगो के समर्थन में हड़ताल करने का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस हड़ताल को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) जी, नहीं । तथापि अखिल भारत कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी महासंघ ने, जो कि एक मान्यता न प्राप्त महा संगठन है, कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अपने तारीख 29-1-72 के पत्र में लिखा था कि यदि कुछ मांगों को तीन महीने के अन्दर अन्दर हल नहीं किया जाता तो वे बिना और नोटिस दिये कार्यवाही का कोई भी ऐसा रास्ता अपनाने के लिए स्वतन्त्र होंगे जिसे वे उचित समझेंगे ।

(ख) माँगों की एक सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(ग) यह मांगें निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 11-5-1972 को हुई उसकी बैठक के सामने रखी गई थी । ऐसी माँगों को छोड़ कर जो बोर्ड की परिधि में नहीं आती इन मांगों की जांच के लिए बौर्ड ने एक समिति नियुक्त की है । मकान किराये भत्ते से सम्बन्धित मांग सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

मांगों की सूची

1. **श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के वेतन-मान** : वेतन-मानों को उन वेतन-मानों के बराबर लाना जो बैंकिंग और बीमा उद्योगों और वैसे ही स्वरूप के अन्य स्वायत्त संगठनों, जैसे भारतीय तेल निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि में प्रचलित है ।

2. **मकान किराया भत्ते की अदायगी** : महाराष्ट्र क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन का 30% और संगठन के अन्य सभी कर्मचारियों को वर्तमान दर से 5% और अधिक मकान किराया भत्ता ।

3. **पर्याप्त कर्मचारियों की मंजूरी** : विभिन्न अनुभागों की कर्मचारियों सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मंजूरी का दिया जाना ।

4. **संगठन का रुत्वा** : इस संगठन को एक उद्योग के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और महासंघ तथा उससे सम्बद्ध संघों/सभाओं को तत्काल मान्यता प्रदान की जानी चाहिए ।

5. **उच्च श्रेणी लिपिकों और निम्न श्रेणी लिपिकों के संवर्गों का विलयन ।**

6. **सभी तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित करना** : सभी तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित किया जाना चाहिए, सेवा की अवधि भले ही कितनी भी हो ।

7. कर्मचारियों को दबाने के लिए विभिन्न रूपों में उठाए गए दमनकारी कदम तत्काल वापस लिए जाने चाहिए ।

8. **नए पदों का सृजन** : (i) अभिलेख सार्टरों के पद सृजित किए जाने चाहिए और प्रत्येक क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में कम से कम दो अभिलेख सार्टर होने चाहिएं । संगठन के प्रत्येक कार्यालय में फराश, पानी ढोने वाले, सुरक्षा अधिकारियों, पी० आर० ओ०, सहायक/अधिकारी आदि के पदों का भी सृजन किया जाना चाहिए ।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालयों में उच्च श्रेणी कर्मचारियों की संख्या के 20% की दर से 210 से 380 रुपये के वेतन-मान सेलेक्शन ग्रेड लिपिकों के पदों का सृजन किया जाए और ऐसे उच्च श्रेणी कर्मचारियों की, जिन्हें 10 वर्ष या इससे अधिक अनुभव हो, सेलैक्शन ग्रेड लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति की जानी चाहिए जिससे लम्बा अनुभव रखने वाले उच्च श्रेणी लिपिकों को प्रोत्साहन मिले ।

(iii) क्षेत्रीय कार्यालयों में मुख्य लिपिक के ग्रेड केन्द्रीय कार्यालय के अधीक्षक के ग्रेड तक बढ़ा दिया जाना चाहिए ।

9. श्रेणी IV के गैर-मैट्रिक पास कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए परीक्षा सीधी सादी होनी चाहिए और एक अंग्रेजी के विषय को छोड़ कर अन्य सभी विषयों की परीक्षा प्रादेशिक भाषाओं में होनी चाहिए ।

10. ऐसे कर्मचारियों के परिवार सदस्यों को भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाना चाहिए जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा कर रखी हों और उन मामलों में भी, जिनमें कि कर्मचारी-सदस्यों की समय से पूर्व मृत्यु हो जाए या उनमें अशक्तता आ जाए ।

11. विभिन्न संवर्गों में रायज की गई प्रतियोगिता परीक्षाओं को अर्हता प्राप्त करने की परीक्षाओं में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए और यह कि जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में सफल रहें, उन्हें यदि पदोन्नतियां नहीं दी जा सकती तो कम से कम उन्हें दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां दे दी जानी चाहिए ।

12. एक विस्तृत नियम-पुस्तक संकलित की जानी चाहिए जिसमें श्रेणी IV से श्रेणी I तक के विभिन्न संवर्गों के कृत्यों और दायित्वों की परिभाषा दी जानी चाहिए ।

13. इस संगठन का अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए जिसके पास लेखा संख्या 1 और कर्मचारी भविष्य निधि संबन्धित मामलों को छोड़ कर अन्य सभी मामलों के बारे में पूर्ण अधिकार होने चाहिए ।

14. परिवार पेंशन सम्बन्धी कार्य से निपटने के लिए और प्रर्याप्त कर्मचारियों की मंजूरी ।

15. श्रेणी IV के कर्मचारियों को देय गर्मी में दो रुपये प्रति मास और सर्दी में 2.50 रुपये प्रति मास के धुलाई भत्ते को बढ़ाकर ग्रीष्म ऋतु में 5 रुपये प्रति मास और शरद् ऋतु में 7 रुपये प्रति मास कर दिया जाना चाहिए ।

16. योग्यता कोटा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर पदोन्नति के नाम पर श्रेणी IV और श्रेणी III के कर्मचारियों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तैनात/स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिए।

17. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का किसी भी दशा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ विलयन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे विलयन से संगठन की कार्यपटुता में कमी आ जाएगी ।

18. पंजीकरण की दशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को स्टैम्प ड्यूटियों की अदायगी से छूट प्राप्त होनी चाहिए ।

19. संगठन के दो कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में भाग लिया जाना ।

20. अधीक्षकों की पदोन्नति के कोटे की अनुपात को 50 : 50 से बढ़ाकर 75 : 25 किया जाना ।

21. क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यभार में कमी–परिवार पेंशन योजना के अतिरिक्त कार्य को ध्यान में रखते हुए लेखा पक्ष में 750 लेखे और प्रवर्तन पक्ष में 25 फाइलें ।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय का उत्तर सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ है कि हड़ताल का कोई खतरा नहीं है। वास्तव में वे भूख हड़ताल कर रहे थे और हमने इस प्रश्न को इस सभा में उठाया। मूल बात यह है कि उन्होंने संघ को मान्यता नहीं दी है। दूसरे, मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार मकान किराया भत्ते के बारे में प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : कोई तर्क नहीं दिये जाने चाहिए। माननीय सदस्य को प्रश्न करना चाहिए।

श्री वयालार रवि : यद्यपि यह संघ 1966 में आरम्भ हुआ था तथापि सरकार ने अभी तक इसे मान्यता नहीं दी है। दूसरे, ओर, वे मालिकों का साथ देने वाले कुछ मजदूरों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे न्यासधारी बोर्ड ने मकान किराया भत्ते के बारे में तीन बार सिफारिश की। यदि सरकार यह दावा करती है कि वह एक स्वायत्त निकाय है तो वह इसकी सिफारिश को क्रियान्वित क्यों नहीं कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मकान किराया भत्ते के बारे में मैं बाद में एक वक्तव्य दूंगा। जैसा कि उत्तर में कहा गया है, यद्यपि न्यासधारियों ने सिफारिश की है तथापि हमें वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। उसके अन्तर्गत एक उपबन्धत है। हम स्वतः ही कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। उनकी सहमति से हम इसे कार्य रूप देंगे। **(व्यवधान)**

इस समय उन्हें न्यासधारी बोर्ड द्वारा बनाये गए कतिपय नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। यदि उन्हें स्वीकार किया जायेगा तो एसोशियेशन को मान्यता दे दी जायेगी। यदि वे उन नियमों को स्वीकार कर लेते हैं और एक एसोशियेशन बना लेते हैं तो शायद उसे मान्यता दी जा सकती है।

श्री वयालार रवि : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। मंत्री महोदय ने वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने का उल्लेख किया। मेरे पास वित्त मंत्रालय का एक परिपत्र है जिसमें कहा गया है कि इस संस्था में काम करने वालों को मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस संगठन का क्या स्तर है—क्या यह सरकारी संगठन है अथवा स्वायत्त संगठन ? सरकार ने भविष्य निधि आयुक्त को प्रतिनियुक्त क्यों किया है ? क्या ऐसा इसलिए किया गया है कि वर्तमान आयुक्त श्रमिक विरोधी नीति अपना रहा है तथा बकाया राशि 1 करोड़ रुपये से बढ़ कर 22 करोड़ रुपये हो गई है ? इस व्यक्ति की कार्यावधि क्यों बढ़ाई गई है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह एक स्वायत्त संगठन है जो त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व पर आधारित है, जैस कि माननीय सदस्य जानते हैं : मालिकों के प्रतिनिधि, राज्य के प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि। उसके अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 की धारा 5 घ (7) के उपबन्धों के अनुसार भर्ती की प्रणाली, वेतन, भत्ते, अनुशासन और बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा रखी जायेंगी। अतः यह एक स्वायत्त निकाय है, परन्तु उन्हें कतिपय विशिष्ट उपबन्धों का पालन करना होता है जिनके द्वारा उन्हें सरकारी कर्मचारियों के बराबर आना होता है **(व्यवधान)**

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या यह सही है कि हड़ताल की धमकी का एक मुख्य कारण असंतोष है क्योंकि जिस आयुक्त को किसी विभाग से प्रतिनियुक्त किया है और जिस विभाग को भविष्य निधि से कोई मतलब नहीं है, उसे स्थिति का सामना करने के लिए पूर्णतया तैयार नहीं किया

गया है। वास्तव में उसके कार्यकाल में बकाया राशि 1 करोड़ रुपये से बढ़ कर 22 करोड़ रुपये हो गई है। यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विभाग में किसी विभागीय अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : आयुक्त डाक तार विभाग के एक अनुभवी व्यक्ति हैं तथा बकाया राशि और अन्य बातों के बारे में जो कोई भी कमियां हुई हैं उन्हें उनके प्रशासन की कमियां नहीं बताया जा सकता। शिकायत के लिए कोई आधार हो सकता है, परन्तु मुख्य प्रश्न—वे अपनी मांग में भी सुझाव दे रहे हैं—यह है कि इसे एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करना चाहिए तथा जीवन बीमा निगम एवं अन्य संगठनों की तरह कार्य करना चाहिये। वह निर्णय सरकार पर निर्भर करता है।

श्री एस० बी० गिरि : चूँकि भविष्य निधि संगठन एक स्वायत्त निकाय है, क्या स्वायत्त निकाय की सिफारिशों को कर्मचारियों की मजूरी, मकान किराया भत्ता तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में लागू किया जायेगा ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, हमें एक विशेष अधिनियम का पालन करना पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी-अभी ही पढ़ कर सुनाया है, यद्यपि निर्णय किये जाते हैं—तथापि अन्ततोगत्वा हमें सरकारी कर्मचारियों की सेबा शर्तों के एक विशेष अनुशासन में रहना पड़ता है।

श्री एस० बी० गिरि : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। चूँकि यह एक स्वायत्त निकाय है अतः सरकार को इसमें कतई कोई बाधा नहीं है। जहां तक इस संगठन का सम्बन्ध है, निधियां मालिकों से ली जाती हैं। न्यासधारी बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है तथा दूसरी शक्तिया हैं। तो सरकार बोर्ड के निर्णयों को लागू क्यों नहीं कर सक्ती। ?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य का निकाय की स्वायत्तता के बारे में जो तर्क है वह सही है; जहां तक निधियों का सम्बन्ध है, यह सही है। परन्तु अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय शर्तें हैं। हमें किसी प्रस्ताव को कार्य रूप देने से पूर्व वित्त मंत्रालय से परामर्श लेना पड़ता है।

Shri Sarjoo Pandey : There is discontentment among the employees in the whole country on the question of house rent allowance and salaries and the hon. Minister says that they have to consult the Ministry of Finance in the matter, Why does the hon. Minister not take a decision, as early as possible, to remove this discontentment ?

श्री आर० के० खाडिलकर : न केवल इसी संगठन के कर्मचारियों में ही असंतोष व्याप्त है अपितु इसी प्रकार के तथा इनसे मिलते-जुलते संगठनों में भी यह असंतोष है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, उनकी मागों को नोट कर लिया गया है। न्यासधारी बोर्ड की पिछली बैठक में नियुक्त एक उप-समिति उन पर विचार कर रही है। निर्णय के बाद, जैसा भी निर्णय हो, हम देखेंगे कि इसे कहां तक लागू किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस पर मंत्री महोदय वक्तव्य देने वाले थे। एक या दो प्रश्नों की और अनुमति दी जाये।

श्री आर० के० खाडिलकर : उस दिन आपने कहा था—मैं तब उपस्थित नहीं था—कि मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। कर्मचारियों के भविष्य निधि के प्रश्न के दौरान मकान किराया भत्ते का प्रश्न उठाया गया था। उसके कारण मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

Production Capacity of Hindustan Zinc Limited

*888. **Shri Phool Chand Verma :**
Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the annual production capacity of the Hindustan Zinc Limited ;

(b) whether Government propose to increase this capacity ; and

(c) the loss suffered or profit earned by it during 1971-72 ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की वर्तमान अनुज्ञप्त वार्षिक उत्पादन क्षमता अन्य उपोत्पादों सहित जस्ता धातु के लिए 1800 टन और सीसा धातु के लिए 5,400 टन है।

(ख) जी हां। वर्तमान जस्ता प्रद्रावक की क्षमता को 18,000 से 36,000 टन प्रतिवर्ष तक जस्ता धातु के उत्पादन को द्विगुणित करने और उपोत्पादों के उत्पादन में तत्समान वृद्धि के लिए प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) 1971-72 के लिए कम्पनी के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष के लिए हानि का अन्तिम अनुमान लगभग 25·00 लाख रुपये है।

Shri Phool Chand Verma : May I know the loss suffered by the Hindustan Zinc Limited till date, its percentage to the cost, the details of the reasons for the loss, the measures taken so far and likely to be taken in future to avoid such losses ?

Shri Shah Nawaz Khan : One of the main reasons for the loss is that production has been less than the installed capacity. Secondly, the price of zinc which was determined was below the market rate. I am happy to inform the hon. Member that production is increasing there and is coming to the level of installed capacity. I hope, the losses, hereafter will be much less. The price of zinc has been increased from 2700 to about 4,090.

Shri Phool Chand Verma : My question was as to how much loss has been suffered till date and what is its percentage to the cost ?

Shri Shah Nawaz Khan : A loss of about Rs. 1.5 crores has been suffered.

Shri Phool Chand Verma : The hon. Minister has said in part (b) of the reply that administrative approval has been accorded for increasing the capacity from 18,000 tonnes to 36,000 tonnes. May I know the names of other industrial organisations to which approval has been accorded to increase capacity ?

Shri Shah Nawaz Khan : A new smelter is being commissioned to increase the capacity, a beneficiation plant is being installed and the mines at Mochia are being expanded and apart

from that the Belaria mines are being developed. We hope to increase its capacity from 18,000 to 36,000 tonnes.

Shri Phool Chand Verma : My question, as to which industrial organisations are being permitted to increase their production, has not been replied to.

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : देश में जस्ता का उत्पादन करने वाला अन्य संगठन—कोमिनको बिनाती जिंक लिमिटेड है, जो गैर-सरकारी संगठन है। उस कम्पनी का वर्तमान उत्पादन उसकी 20,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में लगभग 12,482 मीटरी टन है। कोमिनको बिनाती का विचार अपने प्रद्रावक की क्षमता को चौथी योजना में 20,000 मीटरी टन से बढ़ाकर 40,000 मीटरी टन करने का है जिसके लिए कम्पनी को आशय-पत्र जारी किया जा चुका है। यह जुलाई, 1972 तक कार्य करेगा।

Dr. Laxmi Narain Pandeya : The hon. Minister has said that the rated capacity has not been utilised fully. What is the reason therefor and what efforts are being made to see that the plants produce to their full capacity and is it a fact that due to disorder in the Management as there are charges of irregularities and corruption against them—irregularities are going on there for a long period and the targets are not being achieved due to all these reasons ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य के पास गड़बड़ी तथा भ्रष्टाचार के बारे में अपनी जानकारी हो सकती है। यदि ऐसी बात है तो वह इस बारे में मुझे बताएं। मैं इसकी जांच करूंगा। परन्तु जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध हैं, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही संयंत्रो में अठिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन न होने का कारण, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में संयंत्र के कुछ वर्गों में डिजाइन सम्बन्धी कमी विशेषकर रोस्टर तथा पिघलाने वाली भट्टी में कमी है। सुधार किए गये हैं तथा अब उत्पादन बढ़ रहा है। अगले वर्ष यह 15,000 मीटरी टन तक हो जायेग ।अर्थात् अधिष्ठापित क्षमता का 75 प्रतिशत और थोड़े ही समय में पूरा उत्पादन होने लगेगा।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार ने देश की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया है ? क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में प्रति मीटरी टन उत्पादन लागत की तुलना की गई है ! यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या अनुभव है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, माननीय सदस्य अलग प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि मूल प्रश्न से इस ब्यौरे का सम्बन्ध नहीं है।

श्री शाहनवाज़ खां : वर्ष 1972-73 के लिए जस्ते की कुल आवश्यकता 1,28,900 मीटरी टन है।

रोडेशिया को शस्त्रों की सप्लाई पर प्रतिबन्ध

+
*889. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया था कि रोडेशिया को शस्त्रों की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का कितने देशों ने समर्थन किया ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 10 दिसम्बर, 1971 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा एक संकल्प पारित हुआ जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस संकल्प को दुहराया गया जिसमें सभी राज्यों से दक्षिणी रोडेशिया को हथियारों, उपस्करों तथा अन्य सैनिक सामग्री की सप्लाई बन्द करने का अनुरोध किया गया था । इस संकल्प के प्रस्तावकों में भारत भी था तथा भारत ने इस संकध्प के पक्ष में मत दिया । महासभा द्वारा पारित इस संकल्प के पक्ष में 91 तथा विपक्ष में 9 मत पड़े ओर बारह अनुपस्थित रहे ।

श्री पी० गंगादेव : क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र-आयोग को दक्षिण रोडेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे जातिवादी देशों को समुद्र के मार्ग से होने वाली शस्त्रास्त्रों की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कोई ब्यौरेवार सुझाव दिया है? यदि हां, तो इस पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण रोडेशिया के बारे में जब कभी कोई संकल्प लाया गया है, भारत ने उस पर चर्चा में भाग लिया है । हमने इस मामले में अपने विचार व्यक्त किए हैं, किन्तु किसी अन्य देश के सामने कोई विशिष्ट विचार व्यक्त नहीं किए हैं ।

श्री पी० गंगादेव : क्या सरकार ने अमरीका और यूरोप के कुछ देशों द्वारा दक्षिण रोडेशिया को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई किए जाने के बारे में कोई सामान्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए अफ्रीकी देशों से बातचीत की है अथवा करने का विचार है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : भारत और अफ्रीकी देशों में इस विषय पर पूर्ण मतैक्य है । किन्तु कठिनाई यह है कि विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के संकल्प की अवज्ञा कर रहे हैं और दक्षिण रोडेशिया के साथ अभी भी व्यापार कर रहे है।

तिब्बती शरणार्थियों में क्षय रोगियों की संख्या

* 890. **प्रौ० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों में क्षय रोगियों की संख्या काफी अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्षय रोगों के इतने अधिक मामले होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मालले में शरणार्थियों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द शर्मा) : (क) और (ख) : यद्यपि पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हैं, कुछ बस्तियों में बी० सी० जी० दलों के दौरे के समय एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि तिब्बती शरणार्थियों में क्षय रोगियों की संख्या भारत में सामान्य जनसंख्या की तुलना में अधिक नहीं है ।

(ग) कुछ चुने हुए टी० बी० सेनीटोरियमों में प्रवेश पाने वाले तिब्बती शरणार्थियों के उपचार की लागत का 50% सरकार बहन करती रही है। प्रवेश की व्यवस्था केन्द्रीय राहत समिति (भारत) द्वारा की जाती है और शेष 50 प्रतिशत लागत का भुगतान समिति द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त और विदेशी स्वैच्छिक एजेन्सियों से प्राप्त सहायता में से किया जाता है। विभिन्न तिब्बती शरणार्थी बस्तियों/शिविरों में स्थापित किए गए अस्पतालों/औषधालयों द्वारा भी घरेलू उपचार किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त, तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई वित्तीय तथा तकनीकी सहायता और केन्द्रीय राहत समिति (भारत) की सहायता से सभी तिब्बती शरणार्थी बस्तियों/शिविरों में क्षय रोग के नियन्त्रण का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां तक शरणार्थी-बस्तियों का सम्बन्ध है, इनके लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन स्थानों पर विशेषकर उन राज्यों में जहां शरणार्थी बहुत अधिक संख्या में रह रहे हैं वहां पर, अलग से टी० बी० सेनेटोरियम और अस्पताल खोलने का सरकार का कोई विचार है? इन राज्यों के नाम हैं : हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश और मैसूर।

श्री बालगोविन्द वर्मा : इस उद्देश्य के लिए हमने पहले ही तीन केन्द्र खोल रखे हैं। इनके नाम हैं-(एक) लेडी इर्विन सेनेटोरियम, जुवार, शिमला हिल्स, (दो) चार्टरिस अस्पताल, कालिम्पोंग और (तीन) वानलेस चैस्ट अस्पताल, वानलेसवाडी, महाराष्ट्र। हमारे विचार से क्षय रोग से पीड़ित तिब्बती शरणार्थियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए ये तीन सेनेटोरियम पर्याप्त है।

इसके अतिरिक्त, हमारा एक चिकित्सक-दल है जो यह देखने के लिए प्रत्येक बस्ती में जाता है कि क्षय रोग से पीड़ित रोगियों की उचित देख भाल होती है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मन्त्री महोदय ने कहा है कि और अधिक केन्द्रों की स्थापना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शरणार्थियों की सबसे भारी और बड़ी बस्ती मैसूर में है और कुछ बड़ी बस्तियां मध्य प्रदेश और मनाली में भी हैं। क्या सरकार का वहां पर भी सेनेटोरियम और अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है?

श्री बालगोविन्द वर्मा : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

हमारे विचार से वर्तमान प्रबन्ध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं।

श्री बी० वी० नायक : मुण्डगौड के शिविर में 10,000 शरणार्थी हैं। यदि आप शरणार्थियों के यहां आने से पूर्व विद्यमान क्षय-रोगियों की संख्या के साथ इनके आने के पश्चात् रोगियों की संख्या की तुलना करें तो आपको पता लगेगा कि बाद के रोगियों की संख्या बहुत अधिक है और स्थानीय जनसंख्या के साथ इनकी तुलना करना अनुचित होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई।

श्री बालगोविन्द वर्मा : माननीय सदस्य उन शरणार्थियों का उल्लेख कर रहे हैं जो मुण्डगौड़ में रह रहे हैं। वहां एक चिकित्सा दल भेजा गया था और उस दल ने पता लगाया कि 4500 शरणार्थियों में से केवल 13 व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित थे, अतः केवल 2.1 प्रतिशत व्यक्ति क्षय रोग से ग्रस्त हैं। यह संख्या हमारे देश में विद्यमानयक्ष है रोगियों की संख्या से बहुत कम है।

श्री बी० वी० नायक : मुझे आशा है ये आंकड़े गलत नहीं हैं।

पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीय पत्रकारों का अता-पता

*891. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्यः **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश में तत्कालीन पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गिरफ्तार किये गये दो पत्रकारों, अर्थात श्री दीपक बनर्जी ओर एक अन्य पत्रकार, का अता-पता लगाने के बारे में और क्या प्रयास किये गये हैं ;

(ख) क्या वे पत्रकार इस समय पाकिस्तान में हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) बंगला देश की स्वाधीनता के बाद बंगला देश स्थित अपने हाई कमीशन से कहा गया है कि वह दीपक बनर्जी तथा सुरजित् घोषाल के पते ठिकाने के बारे में बंगला देश के अधिकारियों से बातचीत करे।

(ख) उनका सही पता ठिकाना मालूम नहीं।

(ग) और (घ) : दीपक बनर्जी और सुरजित् घोषाल की रिहाई के मामले को पाकिस्तान के साथ 1971 में अप्रैल से जुलाई तक कई बार उठाया गया। पर इस मामले से सम्बन्धित हमारे नोटों का पाकिस्तान ने कोई उत्तर नहीं दिया। 30 नवम्बर 1971 को भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि एक दूसरे द्वारा पकड़े गए असैनिकों की अदला बदली की जाए। युद्ध के कारण प्रस्ताव सम्बन्धी कार्रवाई रुक गई। फरवरी 1972 में फिर से प्रस्ताव रखा गया और हमने पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतियों की एक सूची पाकिस्तान सरकार को भेजी। उस सूची में दीपक बनर्जी और सुरजित् घोषाल के नाम हैं। पाकिस्तान सरकार ने उत्तर दिया है कि मामला विचाराधीन है।

श्री एस० एम० बनर्जी : धन्यवाद, श्रीमन्।

अध्यक्ष महोदय : आपको धन्यवाद कि आपने अनुपूरक प्रश्न नहीं किया।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं तो केवल तथ्य जानना चाहता था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खेतड़ी तांबा परियोजना की खानों की खुदाई तथा आयो-ना

*892. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना की खानों में उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व निक्षेपों की विस्तृत खुदाई तथा ड्रिलिंग नहीं किया गया था और अब भूमिगत खुदाई का कार्य किया जा रहा है तथा इसे उत्पादन की संज्ञा दी जा रही है ; और

(ख) क्या खेतड़ी परियोजना की खानों की खुदाई तथा आयोजन की रूपरेखा की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) खेतड़ी ताम्र प्रायोजना की खानों को विकसित करने और उनसे उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए पूर्वेक्षण और व्यधन किया गया है । तथापि, पूर्वेक्षण और व्यधन का कार्य क्रमिक प्रक्रिया है और जैसे ही खान के एक भाग से अयस्क का उत्पादन प्रारम्भ होता है, सतत आधार पर अयस्क के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए खान के अन्य अनुभाग साथ-साथ विकसित किए जाते है ।

भूमिगत पूर्वेक्षण में भूमिगत व्यधन और भूमिगत मान-चित्रण सम्मिलित है । इन कार्य-कलापों से कोई अयस्क उत्पादित नहीं होता है । इसलिए, भूमिगत पूर्वेक्षण को उत्पादन की संज्ञा देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न उपबन्ध में अन्तर्विष्ट है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2069/72**]

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा ट्रैक्टर ट्रेलरों तथा सेमी गामा ट्रेलरों की खरीद

*893. **श्री अण्णासाहिब गोटखिन्डे** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा मार्च, 1962 से अगस्त, 1966 के दौरान खरीदे गए 36 ट्रैक्टरों ट्रेलरों तथा 2 सेमी गामा ट्रेलरों को इस कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका था कि उन ट्रेलरों को खीचने के लिए ट्रक/ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं थे ;

(ख) क्या ऐसे 30 ट्रेलरों को जून, 1970 में बेच दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि की हानि हुई ; और

(घ) शेष 8 ट्रेलरों में से कितने अभी भी बेकार खड़े हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (घ) : मार्च, 1 9 62 से अगस्त, 1966 के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 56 ट्रैक्टर ट्रेलरों और 5 सेमी-गामा ट्रेलर खरीदे गए जिनमें से 36 ट्रैक्टर ट्रैलरों और 2 सेमी-गामा ट्रेलरों को प्रयोग में न हीं लाया जा सका क्योंकि चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप और आपात स्थिति की घोषणा के कारण कृषि के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए इस प्रकार के ट्रैक्टरों के आयात पर प्रतिबन्ध के अधिरोपण के परिणामस्वरूप अपेक्षित प्रकार के ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि ट्रैलरों को क्षेत्र में नहीं भेजा गया, तथापि उनको स्थानीय कार्य, भारी परेषणों का निष्कासन और स्टोर के स्थानान्तरण में अक्षरसः प्रयोग में लाया गया।

जून, 1970 में, 1.14 लाख रुपयों के मूल्य के 30 ट्रेलरों का, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा 0.48 लाख रुपयों में निपटान किया गया।

शेष 8 ट्रेलरों में से अब 2 गामा ट्रेलरों को प्रयोग में लाया गया है और अन्य 6 को रिगों को गतिशील बनाने के लिए उपयुक्त उपान्तरण के उपरान्त व्यधन रिगों के उत्कलन के लिए रखा गया है।

चीनी मिट्टी के निक्षेप

*894. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी मिट्टी के निक्षेपों की कितनी मात्रा होने का अनुमान है ;

(ख) क्या इस समय इन निक्षेपों को प्रभावशाली ढंग से नहीं निकाला जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में चीनी मिट्टी के बर्तनों के उद्योग के लिए पर्याप्त मिट्टी उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन निक्षेपों को निकालने की प्रतिक्रया में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) (क) : भारत में चीनी मृत्तिका की कुल उपलब्ध राशियां 2430 लाख टन अनुमानित की गई हैं। उपलभ्य राशियों की राज्य बार स्थिति को दर्शित करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) और (ग) : अधिकांश निक्षेप समुपयोजनाधीन है । 1971 में 584 हजार टन अपरिष्कृत चीनी मृत्तिका का उत्पादन किया गया था जो मिट्टी के बर्तनों के उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

विवरण

भारत में चीनी मृत्तिका की राज्य-वार उपलभ्य राशियां :

बिहार	36.11	मिलियन टन
उड़ीसा	3.15	"
पश्चिमी बंगाल	101.84	"
दिल्ली	1.25	"
गुजरात	3.60	"
केरल	58.82	"
मैसूर	3.19	"
आन्ध्र प्रदेश	16.23	"
राजस्थान	4 00	"
तमिलनाडु	12.97	"
मध्य प्रदेश	0.42	"
महाराष्ट्र	1.10	"
असम	0.50	"
कुल	243.18	

Inspection of India Supply Missions in London and Washington

*895. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Supply** be pleased to state :

(a) the dates on which inspections of the India Supply Mission in London and Washington were made during the last three years and when such inspections were made last ; and

(b) if so, the shortcomings detected in the course of such inspections ?

The Minister of Supply (Shri D. R. Chavan)

(a) **I. India Supply Mission, London.**

(i) by Foreign Service Inspectors in June, 1969.

(ii) by Secretary (Supply) and Joint Secretary (Finance) in June, 1970.

(iii) by Foreign Service Inspectors in January, 1971.

II. **India Supply Mission, Washington.**

(i) by Foreign Service Inspectors in September, 1969.

(ii) by Secretary (Supply) and Joint Secretary (Finance) in June, 1970.

(b) These inspections were primarily concerned with reviewing the staff requirements of the Missions. Some suggestions were, however, also made for improving the working of the Missions.

दण्डकारण्य परियोजना में बसाए गये परिवारों को आवंटित की गयी भूमि

*896. **श्रीमती बिभाघोष गोस्वामी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत कितने परिवारों को बसाया गया है;

(ख) ऐसे कितने परिवारों को, जो परियोजना के अन्तर्गत अब तक उस भूमि पर खेती करते हैं, पट्टेदारी के अधिकार दिये गये हैं ;

(ग) परियोजना के अन्तर्गत कृषकों के कब्जे में जो भूमि है उसमें से सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है ; और

(घ) परियोजना की भूमि किस किस्म की है और उसमें प्रति एकड़ औसतन कितनी उपज होती है ;

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 31-3-1972 को पुनर्वास स्थलों पर 13,829 परिवार रह रहे थे ।

(ख) परिवारों को अभी तक काश्तकारी के अधिकार नहीं दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

गैर-कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

*897. **श्री जा० वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार को देश में सभी गैर-कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय सरकार देश में अकोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेपो की खोज

*898. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंच वर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में लौह अयस्क के निक्षेपों की खोज की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलन्) : (क) और (ख) बैलाडिला में निक्षेप संख्या 14, जो कि पहले ही उत्पादनाधीन है और निक्षेप संख्या 5, जिसके 1974 के मध्य तक उत्पादन के लिए तैयार होने की आशा है, के अतिरिक्त राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बैलाडिला निक्षेप संख्या 4 का विस्तृत भूवैज्ञानिक समन्वेषण प्रारम्भ किया है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बस्तर जिले के रौघाट और पार्श्वस्थ क्षेत्रों में लौह अयस्क निक्षेपों का विस्तृत अन्वेषण भी प्रारम्भ किया है। समन्वेषण के लिए प्रस्तावित कार्य में व्यधन, भूवैज्ञानिक मानचित्रण, गर्तन, एडिटिंग और प्रतिचयन सम्मिलित हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्ड में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व

*899. **श्री एम० राजंगम :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्ड में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय कर लिया है;

(ख) उपरोक्त प्रयोजन के लिये श्रमिकों के चयन का क्या तरीका है ;

(ग) इन नियुक्तियों के कब तक किये जाने की आशा है ; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को नई योजना के अन्तर्गत कब तक लाया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) सरकार ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों को कुछ सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के प्रबन्ध मंडल में परीक्षण के आधार पर नियुक्त करने के लिए एक योजना आरंभ करने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय लिया गया है कि पहले पहल इस योजना को हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी में लागू किया जाए।

(ख) मान्यता प्राप्त संघ निर्धारित शर्तों और योग्यताओं को पूर्ण करने वाले तीन व्यक्तियों के नाम की सूची देगा और उनमें से सरकार एक को निदेशक के रूप में नामांकन के लिए चुनेगी।

(ग) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० के प्रबंधक मान्यता प्राप्ति संघ से नामों की सूची की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(घ) चूंकि योजना परीक्षण के आधार पर आरंभ की जा रही है, इसलिये सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस योजना के परिचालन के अन्तर्गत लाने की कालावधि को निर्धारित करने का प्रश्न समय-पूर्व है।

नैवेली लिग्नाइट निगम में लिग्नाइट के उत्पादन में कमी

*900. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैवेली लिग्नाइट निगम में लिग्नाइट के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) उत्पादन में इस कमी का पावर यूरिआ और ब्रिकेट्स के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) 1971-72 के लिए लिग्नाइट उत्पादन का परिकल्पित लक्ष्य 40 लाख टन था और वर्ष के प्रथमाथ अर्थात् अप्रैल से सितम्बर तक कार्य संतोषप्रद था। तत्पश्चात्, निम्नलिखित कारणों से उत्पादन दर में पर्याप्त कमी हुई और 1971-72 के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलनों में लक्ष्य को पूनरीक्षित कर 36 लाख टन किया गया। लिग्नाइट का वास्तविक उत्पादन 37.20 लाख टन था।

1971-72 के दौरान लिग्नाइट उत्पादन में कमी के निम्नलिखित कारण थे :--

(1) नैवेली खान में, जहां कुड्डालोर बालू पत्थर स्ट्राटा बहुत सख्त है, गम्भीर प्रकृति के कार्य के कारण खनन मशीनरी में बारम्बार खराबियां।

1971-72 के दौरान, दिसम्बर, 1971 में दो बड़े बकेट व्हील एक्सकैवेटरों में दो वृहद् खराबियां, जिसने दो अतिभार निकासी पद्धति को बीस दिनों से अधिक के लिए उपर्युक्त किया।

(2) लिग्नाइट अतिभार अनुपात 1971 के अन्त तक 1:4 से 1 : 4·6 तक बढ़ता रहा है। इससे लिग्नाइट की उसी प्रमात्रा की खोज के लिए अतिभार की अधिकतर प्रमात्रा की निकासी की आवश्यकता हुई।

(3) सामान्य औद्योगिक विक्षोभ और कार्य क्षमता में कमी ने उत्पादन को प्रभावित किया है।

अक्तूबर, 1971 में कनिष्ठ इंजीनियरों और इंजीनियरिंग पर्यवेक्षकों द्वारा लगभग एक सप्ताह के लिए हड़ताल की गई जिसने समस्त सक्रियाओं को निष्क्रिय बनाया और प्रसामान्य कार्यकरण स्थितियों को पुनः प्राप्त करने में पर्याप्त समय लगा।

(4) अप्रायिक अति वृष्टि ने खनन संक्रियाओं को प्रतिकूलतः प्रभावित किया। दिसम्बर, 1971 में लगभग 16 दिनों के लिए लगातार अप्रायिक वृष्टि हुई थी।

(ख) लिग्नाइट के उत्पादन ह्रास ने बाष्पीय विद्युत् केन्द्र और ब्रिक्वेटिंग तथा कार्बनीकरण संयंत्र में लेको के उत्पादन को प्रभावित किया। उर्वरक संयंत्र के लिये लिग्नाइट की आवश्यकता तुलनात्मक कम है और उचित अनुरक्षण की कमी के कारण ने उस संयंत्र में उत्पादन को प्रतिकूलतः प्रभावित किया है न कि लिग्नाइट की कमी के कारण ने उत्पादन ह्रास निम्नलिखित थे : –

	लक्ष्य	वास्तविक
विद्युत (लाख यूनिटों में)	22,200	21,680
लेको (लाख टनों में)	1·20	·72
युरिया (लाख टनो में)	90	43

(ग) जहां तक उपचारी उपायों का सम्बन्ध है भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने लिग्नाइट खान के कार्यकरण की जांच की और मार्च, 1972 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। खान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए समिति ने यह प्रस्तावित किया है कि यह दो अवस्थाओं में किया जाए :—

(1) अत्यावश्यक अतिरिक्त उपकरण को उपाप्ति कर लिग्नाइट के उत्पादन को प्रतिवर्ष 45 लाख टन वर्धित करना।

(2) अतिरिक्त उच्चतर क्षमता वाले एक्सकेवेटरों को उपाप्ति कर प्रतिस्थापन कर और विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट को तैयार कर अन्य उपकरण की उपाप्ति द्वारा लिग्नाइट के उत्पादन को प्रतिवर्ष 45 से 63 लाख टन तक वर्धित करना।

समिति की सिफारिशों को तुरन्त कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। नैवेली लिग्नाइट निगम के निदेशक मण्डल को पहले ही यह निदेश दिए गए हैं कि वह उन सिफारिशों की जांच करें और कार्यान्वित करे जो बोर्ड की शक्तियों के भीतर है। बोर्ड ने उपकरण के कतिपय मदों जैसे कि मोबाइल ट्रांसफर कनवेयर, ब्लास्ट होल ड्रिल्स, पाइप लेयर्स आदि की उपाप्ति करने के लिए तुरन्त कार्रवाई को अनुमोदित किया है। जब उपकरण की यह अतिरिक्त दें प्राप्त हो जाएगी तब यह आशा की जाती है कि उच्चतर अतिभार लिग्नाइट अनुदान, जो इस समय प्राप्त हो रहा है, को ध्यान में रखते हुए लिग्नाइट का उत्पादन लगभग दो वर्षों में प्रतिवर्ष 45 लाख टन तक बढ़ जाएगा।

समिति द्वारा यथा अभिस्तावित कार्यकारिणी दल को लिग्नाइट के उत्पादन को प्रतिवर्ष 63 लाख टन तक विस्तारित करने हेतु विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित किया जा रहा है।

भारतीय उच्चायुक्त/राजदूत के रूप में कार्य कर रहे सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी

6548. **श्री वयालार रवि :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने सेवामुक्त सरकारी कर्मचारी विदेशों में भारत के उच्चायुक्तों तथा राजदूतों के पदों पर कार्य कर रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : छह, श्रीमान।

पालामऊ (बिहार) के खनन क्षेत्र में उपयोगिता सर्वेक्षण तथा अनुसंधान

6549. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पालामऊ जिले को अत्यधिक पिछड़ा जिला घोषित करने के बाद से पालामऊ (बिहार) के खनन क्षेत्र में उपयोगिता सर्वेक्षण तथा अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जाएगी।

कोकिंग कोयला खानों का वैज्ञानिक ढंग से विकास

6550. **श्री अवधेश चन्द्र सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकिंग कोयला खानों के कितने प्रबन्धकों ने अपनी खानों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया है ;

(ख) उन कोकिंग कोयला खानों के नाम क्या हैं जिनकी वैज्ञानिक ढंग से खोज की गई है, उनका विकास किया गया है और जिनमें बहुत बड़े ऐसे भण्डार हैं जिनको तुरन्त निकाला जा सकता है ; और

(ग) उन नान-कोकिंग कोयला खानों के वैज्ञानिक ढंग पर विकास के लिए सरकार का विचार किस प्रकार प्रोत्साहन देने का है, जिनके मालिक ऐसे व्यक्ति हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) इस अवस्था में सुनिश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि झरिया में किस खान-विशेष का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया गया है चूंकि प्रत्येक खान की प्रत्येक परत में कार्यकरण के अंश और उपलभ्य राशियों, जिनका तत्काल समुपयोजन किया जा सकता है, के लिए गहन अध्ययन प्रगति पर है। इस अध्ययन का संबंध कोककर कोयला खानों के पुर्नगठन और पुर्ननिर्माण के लिए प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने से है और इसका इस वर्ष के अन्त तक सम्पूरित हो जाने की आशा है।

(ग) कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 के अधीन कोयला बोर्ड की यह जिम्मेवारी है कि वह संरक्षण और सुरक्षा को सम्मिलित कर युक्तिसंगत विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कोयला खानों को खोले और उन पर कार्य किया जाए। इसके अतिरिक्त कोयला नियंत्रक का संगठन और कोयला बोर्ड के क्षेत्र-अधिकारी समय-समय पर खानों का निरीक्षण करते हैं और प्रबंधकों को कालिकतः सलाह देते हैं।

Excessive work from Workers in Textile Mills in Madhya Pradesh

6551. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the system of extracting excessive work from workers in many textile mills in Madhya Pradesh has been intensified despite protests made by the workers ;

(b) whether great discontentment is prevailing among the workers due to the introduction of the above system and the heavy workload is telling upon their health ;

(c) whether about five thousand workers in the State have been rendered jobless and ten thousand more are likely to be rendered jobless thereby ; and

(d) whether his attention has also been drawn to it by the workers and if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) The matter falls in the State Sphere. The Department of Labour and Employment have no information about these matters.

(d) No, Sir.

सर्कस उद्योग में श्रमिकों की स्थिति

6552. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम ब्यूरो ने भारत में सर्कस उद्योग में श्रमिकों की स्थिति के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) भारत के, सर्कस उद्योग में श्रमस्थितियों के सर्वेक्षण पर रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कानपुर कपड़ा श्रमिकों के बोनस का विवाद

6553. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर कपड़ा श्रमिकों के बोनस का विवाद उन्हें मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे उन विभिन्न मजदूर संघों के विचार सुनेंगे जिन्होंने मार्च/अप्रैल, 1972 में कानपुर की दो कपड़ा मिलों में 27 दिन तक संयुक्त हड़ताल का आयोजन किया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) विवाद से सम्बन्धित पक्षों ने इस मामले को केन्द्रीय श्रम मंत्री की मध्यस्थता के लिए भेजना स्वीकार कर लिया है। ऐसा करने में न तो उन्होंने केन्द्रीय श्रम मंत्री की सलाह ली नहीं उनकी सहमति प्राप्त की। यह मामला अब केन्द्रीय श्रम मंत्री के विचाराधीन है।

हिमांचल प्रदेश में माणिक्य के निक्षेप

6554. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमांचल प्रदेश में माणिक्य के निक्षेप मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर कुल कितने निक्षेप पाये गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन निक्षेपों को अपने हाथ में लेने का है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार, हिमाचल प्रदेश में किसी भी माणिक्य निक्षेप के बारे में जानकार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

खनिज रियायतों सम्बन्धी नियम, 1960 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों के पास सम्पत्ति को बन्धक रखना

6555. **श्री पी० आर० शिवनाथ** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री खनिज रियायतों सम्बन्धी नियम, 1960 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों के पास सम्पत्ति को बन्धक रखने के सम्बन्ध में 13 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक एकत्र हो जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं, जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ख) समय को विनिर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित करनी होगी ।

बोकारों इस्पात संयंत्र में मान्यता प्राप्त मजदूर संघ

6556. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो इस्पात संयंत्र बिहार के प्रबन्धकों द्वारा किन-किन मजदूर संघों को मान्यता दी गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : बोकारो स्टील लिमिटेड में एक मात्रा मान्यता प्राप्त मजदूर संघ बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन (इन्टक से सम्बद्ध) है ।

शरणार्थी शिविर, पंचनपुर, गया जिला

6557. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गया जिले में पंचनपुर स्थित बंगला देश के भूतपूर्व शरणार्थी शिविर की इमारतों को गया के मजदूरों को, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो अन्य किन परियोजनाओं के लिए इन इमारतों का प्रयोग किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार इन इमारतों को गया के उन मजदूरों को देने पर पुनर्विचार करेगी जिनके पास रहने को मकान नहीं हैं ; और

(घ) वहां पर पहले से लगे नलकूप के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) मामला विचाराधीन है । अन्तिम निर्णय बिहार सरकार के परामर्श से लिया जाएगा ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, कलकत्ता को सी० आर० शीट के लिए दिए गए क्रयादेश

6558. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के लोहा तथा इस्पात के विभिन्न स्टाक होल्डरों ने सी० आर० शीट के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, कलकत्ता को वर्ष 1964 में क्रयादेश दिए थे ;

(ख) क्या स्टाक होल्डरों को उक्त सामग्री अभी तक भेजी गई है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पास पड़ी हुई सामग्री को उत्तर प्रदेश में मेरठ के स्टाक होल्डरों को भिजवाने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) सी० आर० शीटें कब तक भेज दिए जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में लौह अयस्क खानें

6559. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में कितनी लौह अयस्क खानों में काम हो रहा है और ये कहां-कहां स्थित है ;

(ख) प्रत्येक खान के मालिक का नाम क्या है और प्रत्येक खान में काम करने वाले कर्मचारियों की अनुमानित संख्या क्या है ;

(ग) उक्त खान मालिकों में से प्रत्येक को लौह-अयस्क खान श्रमिक हितकारी निधि में प्रतिवर्ष कितना उपकर जमा करना होता है ; और

(घ) प्रत्येक खान मालिक की ओर, यदि कोई बकाया राशि है, तो वह कितनी है और राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1968 से कुद्दापाह जिले में कोई खान काम नहीं कर रही है ।

(ख) श्री जी० वेनकटाराव, राजमपेटा, कुद्दापाह जिले में खान के खान मालिक (1968 से बन्द) । श्री पी० सी० पोद्दार, राजमपेटा, कुद्दापाह जिले में खान के खान मालिक (1966 से बन्द) ।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) श्री पी० सी० पोद्दार से 2,217.75 रुपये की राशि अभी भी बकाया है । खान मालिक कहां है इसका पता नहीं है और कलक्टर, कुद्दापाह ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ मामला उठाया है ।

आन्ध्र प्रदेश में लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत सुविधाएं

6560. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत यदि कोई चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं और शैक्षणिक तथा मनोरन्जन सम्बन्धी सुविधाएं दी गई है तो वे कहां दी गई हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में, अयस्क खाने उक्त सुविधाएं, उन व्यक्तियों को, जो इनको पाने के योग्य हैं तथा उपरोक्त निधि के अन्तर्गत यथा सम्भव दी जा सकती हैं, नहीं दे रही हैं, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने और आन्ध्र प्रदेश में लौह अयस्क के खनिजों को उपरोक्त सुविधाएं देने के लिए यदि कोई योजनाएं बनाई गई तो वे क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सिद्दापुरम/औबलापुरम (अंनथापुर जिला) में लौह अयस्क खानों में नियोजन लौह अयस्क खनिजों को मैसूर क्षेत्र के बेल्लारी स्थिति चलती फिरती चिकित्सा गाड़ियों का उपयोग करके चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

शैक्षणिक सुविधायें

आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में लौह अयस्क खान श्रमिकों के बच्चों को छात्र-वृत्तियों और वर्दी देने की मंजूरी हर वर्ष दी जाती है।

मनोरंजन सुविधायें :

लौह अयस्क खनिकों के लाभ के लिए खान मालिकों को भीतरी और बाहरी खेलों का सामान दिया जा रहा है।

(ख) 1971-72 में इस क्षेत्र में 37,698 रुपए की आमदनी हुई और इसी अबाध में 55,958 रुपए का खर्च हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं

6561. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि में अर्न्तगत क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग के इलाज सहित विभिन्न चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं तया शैक्षणिक और मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में इस योजना अवधि के दौरा उपरोक्त सुविधाओं का विस्तार करने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए यदि कोई योजनाएं बनाई गई हो तो वह क्या है ;

(ग) क्या वर्तमान सुविधाओं के बारे में कोई शिकायत की गई थी अथवा अभ्यावेदन भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) नीचे बताये गए स्थानों पर निम्नलिखित कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है :—

1. **चिकित्सा सुविधा जिनमें तपेदिक और कोढ़ की चिकित्सा सम्मिलित है ।**

1.	केन्द्रीय अस्पताल, कालीचेदू	30 बिस्तरे ।
	टी० बी० वार्ड, कालीचेदू	20 बिस्तरे ।
2.	क्षेत्रीय अस्पताल, तालूपुर	10 बिस्तरे ।
3.	आयुर्वेदिक औषधालय, कालीचेदू ।	
4.	आयुर्वेदिक औषधालय, मारुपुर ।	
5.	आयुर्वेदिक औषधालय, गूद्दालूर ।	
6.	आयुर्वेदिक औषधालय, चागानाम ।	
7.	स्थैतिक औषधालय, उतूकुर ।	
8.	स्थैतिक औषधालय, सिदापुरम ।	
9.	चलता फिरता औषधालय, कालीचेदू ।	
10.	प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र, तालूपुर ।	
11.	प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र, कालीचेदू ।	
12.	प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र, उतूकुर ।	
13.	निरोधक स्वास्थ्य कार्यक्रम ।	
14.	टी० बी० अस्पताल, नेल्लोर	(6 बिस्तर सरक्षित)

2. **शैक्षिक सुविधाएं**

1. हाई स्कूल, कालीचेदू ।
2. हाई स्कूल, तालूपुर ।
3. प्राथमिक स्कूल, कालीचेदू ।
4. यथोक्त, तालूपुर ।
5. प्राथमिक स्कूल, कत्तूवादी पल्ली ।

6. यथोक्त पालामानी।
7. यथोक्त, जोगी पल्ली।
8. यथोक्त, तेल्ला बोदू।
9. छात्रावास, कालीचेदू।
10. यथोक्त, सिदापुरम।
11. उपर निर्दिष्ट सभी 6 प्राथमिक विद्यालयों के साथ दोपहर के भोजन के केन्द्र संलग्न है।
12. वयस्क शिक्षा केन्द्र, तालूपुर।
13. सामुदायिक केन्द्र, कालीचेदू।

3. **मनोरंजक सुविधाएं।**

1. चलता फिरता सिनेमा एकक, कालीचेदू।
2. रेडियों सेट्स
   1. श्री निवासा अबरक खान, चेन्नूर।
   2. श्री निवासा काराप्पन अबरक खान, थूरुपू, पूंडला।
   3. रामाना बिलास, अबरक खान, अनन्तामादुगु।
   4. पल्लीमित्ता अबरक खान, सिदापुरम।
   5. तेल्लाबोदू अबरक खान, सिदापुरम।
   6. शाव अबरक खान, सिदापुरम।
   7. प्राथमिक स्कूल, जोगी पल्ली।
   8. प्राथमिक स्कूल, पालामानी।
   9. नित्याकल्यानी अबरक खान, जफ्फलापुरम।
   10. चगानम।
   11. विनायक अबरक खान, उतूकुर।
   12. मुनीरिया अबरक खान, उतूकुर।
   13. बसस्टैंड, उतूकुर।
   14. मीनाक्षी सुन्दरम अबरक खान, उतूकुर।
   15. गूद्दालूर।
   16. थीरूमेरला।
   17. टी० बी० वार्ड, कालीचेदू।
   18. केन्द्रीय अस्पताल।

19. हाई स्कूल, कालीचेदू ।
20. जयनारायणा अबरक खान, कालीचेदू ।
21. बस स्टैंड, कालीचेदू ।
22. वट्टेपालेम, कालीचेदू ।
23. हनुमान अबरक खान, कालीचेदू ।
24. माली चेदू गांव ।
25. हाई स्कूल, तालूपुर ।
26. एल० पी० खान, तालूपुर ।
27. कानाका दुर्गा अबरक खान, तालूपुर ।
28. शांतिनगर, तालूपुर ।
29. प्राथमिक स्कूल, तालूपुर ।
30. बाला दुर्गा अबरक खान, तालूपुर ।
31. जानाकी राज्य अबरक खान, तालूपुर ।
32. एस० आर० ए० अबरक खान, तालूपुर ।
33. चेरली पल्ली हरिजन पालेम ।
34, भवानी शंकर, तेलुपुर ।
35. राजेश्वरी माइका माइन, तेलुपुर ।
36. दग्गन्ता राजू पालेम ।
37. चनाया पालेम ग्राम ।
38 भवानी माइका माइन, मारुपुर ।
39. सीता राम चन्द्र माइका माइन, गोटला पालेम ।

4. **भजन मण्डलियां**

1. एलीमंट्री स्कूल, तालूपुर ।
2. पालामनी माइका माइन ।
3. भवानी माइका माइन, मारुपुर ।
4. तीरुमली ।
5. जोगीमल्ली ।
6 कालीचेडू ।
7. हाई स्कूल, तालूपुर ।

8. गृदालुर

9. श्री निवास माइका माइन, चेन्नूर।

4. **मनोरंजन क्लब**

1. सीताराम माइका माइन, कालीचेडू।
2. भवानी शंकर माइका माइन, तालूपुर।
3. मीनाक्षी सुन्दरम माइका माइन, उतुकुर।
4. पालामनी माइका माइन।
5. शा माइका माइन।
6. पल्लामीता माइका माइन।
7. बालदुर्ग माइका माइन तालूपुर।
8. तेलाबोदू।
9. भवानी माइका माइन, मारुपुर।
10. कल्याण राम माइका माइन, कालीचेडू।
11. एल० पी० माइका माइन, तालूपुर।
12. विनायक माइका माइन, उतुकूर।

आंध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पताल

6562. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कितने अस्पताल हैं, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कितने उपभवन हैं और राज्य बीमा योजना के कितने औषधालय हैं तथा ये कहां-कहां पर स्थित हैं और इनमें कितने बिस्तर है ;।

(ख) इस केन्द्र के अन्तर्गत कितने कर्मचारी आते हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में कितने ऐसे केन्द्र निर्माणाधीन है अथवा योजना अवधि में कोई केन्द्र बनाने का आयोजन किया गया है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या इस समय चल रहे उक्त केन्द्रों के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) आंध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों, उपभवनों और औषधालयों की संख्या क्रमशः 6, 1 और 56 है। ब्यौरे (संलग्न) विवरण–1 में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2070/72]**

(ख) 31-3-1972 को आंध्र प्रदेश के प्रत्येक केन्द्र की परिधि में आने वाले कर्मचारियों की अनुमानित संख्या (संलग्न) विवरण–2 में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2070**/72]

(ग) (1) दो डाक्टरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, कर्मचारी क्वार्टर और रान्नागुँड्डम स्थित वेतन कार्यालय।

मुख्य बातें : मई, 1967 में 1,200 रुपये से 3 एकड़ भूमि खरीदी गई थी और 1967 में 3,30,000 रुपये की लागत से औषधालय, कर्मचारी क्वार्टरों और वेतन कार्यालय के निर्माण की एक परियोजना की मंजूरी दी गई थी। 3,30,000 रुपये की समस्त राशि दे दी गई है और अक्टूबर, 1970 में प्राप्त हुई अन्तिम रिपोर्ट इस बारे में थी कि 70% काम हो चुका है।

(2) दो-दो डाक्टरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, 12 कर्मचारी-क्वार्टर, कोंडेपालम, श्रीरामनगर।

मुख्य बातें : जनवरी, 1967 में 1509.50 रुपये की लागत से 2.45 एकड भूमि खरीदी गई थी। उसके बाद मई, 1967 में 3,78,000 रुपये की लागत से निर्माण के लिए एक परियोजना मंजूर की गई थी। काम शुरू नहीं हुआ था कि 1968 में निगम ने यह निर्णय किया कि ऐसी परियोजनाएं तब तक शुरू न की जाए जब तक कि निगम के सामने आई वित्तीय कठिनाइयाँ समाप्त न हो जाएँ। मामले की शीघ्र ही पुनरीक्षण की जाएगी।

(घ) जी हाँ। शिकायतें आमतौर पर चिकित्सीय सुविधाओं की अपर्याप्ति के बारे में होती हैं। ऐसी शिकायतों के बारे में उपचारक कार्यवाही राज्य सरकार के माध्यम से की जाती है।

कपड़ा उद्योग के नियोक्ताओं पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

6563. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा उद्योग के नियोक्ताओं पर भविष्य निधि के अंश के रूप में कितनी राशि बकाया है;

(ख) ऐसे नियोक्ताओं के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) छूट न प्राप्त जिन कपड़ा प्रतिष्ठानों ने भविष्य निधि आय की बाबत एक लाख रुपये या इससे अधिक राशि की अदायगी में चूक की थी, उनके नाम और 31-12-71 को उनके द्वारा देय राशियों के बारे में भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है; **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2071/72]**

(ग) दोषी छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाया जाता है।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाहियां शुरू की जाती है।

(iii) उपयुक्त मामलों में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस न्यायालयों में शिकायत दाखिल की जाती हैं। अदायगी में हुई चूकें मालिकों और मजदूरों के संगठनों के ध्यान में लाई जाती है जिनमें मजदूर संघ भी शामिल होते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14ख के अधीन दण्ड हर्जाने लगाए जाते हैं। कुछ मामलों में प्रतिष्ठानों की देय राशियां किस्तों में अदा करने का अवसर दिया जाता है, बशर्ते कि वे पर्याप्त गारंटी और जमानत आदि दे दें।

ऐसी कपड़ा मिलों के बारे में, जो दिवालिया हो गई हैं, पुनर्निर्माण की योजनाओं की जांच गुण-दोष के आधार पर की जाती है।

भूमिहीन कृषि श्रमिक

6564. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनकी औसतन वार्षिक आय कितनी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिकर) : (क) ग्रामीण श्रमिक जांच (1963-65) के अनुसार, देश के देहाती क्षेत्र में लगभग 85 लाख 70 हजार कृषि श्रमिक परिवार ऐसे हैं, जिनके पास भूमि नहीं है। इन परिवारों में रहने वाले कृषि श्रमिकों की संख्या 1 करोड़ 66 लाख 30 हजार आंकी गई है।

(ख) ग्रामीण श्रमिक जांच, 1963-65 द्वारा एक भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार की औसत वार्षिक आय 650.81 रु० आंकी गई है।

(ग) कृषि का विषय, राज्य-क्षेत्राधिकार में आता है और कृषि श्रमिकों की संख्या, आर्थिक स्थिति और कृषि के विखंडित स्वरूप को दृष्टि में रखकर उनकी दशा को सुधारने की मामला कोई आसान नहीं है।

केन्द्रीय सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निश्चित कर दी हैं। कृषि श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से गोष्ठियों तथा सम्मेलनों में विचार विमर्श किया गया। इस वर्ग के श्रमिकों की दशाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण भी किये गये हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को भी राज्य सरकारों और सम्बन्धित मंत्रालयों को आवश्यक कार्यवायी के लिए भेज दिया गया है। इस आयोग ने अन्य बातों के साथ इस बात की सिफारिश की है कि ग्रामीण स्थिति को जानने के लिए सरकार द्वारा किये गये सामाजिक सर्वेक्षण जारी रखे और विर्स्वत कियें जाने चाहिये। इस वर्ग के श्रमिकों के लिए, कार्य-व्यापक आंकड़ें तैयार करने की आवश्यकता अन्यों की उपेक्षा अधिक है। तदनुसार, दूसरी ग्रामीण श्रमिक जांच 1973-74 में प्रारम्भ किये जाने की आशा है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि आयोग हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है और इस आयोग का एक विशिष्ट विचारार्थ विषय कृषि श्रमिकों की विशेष समस्या पर ध्यान देना है।

पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली का नाम बदलना

6565. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली के लिए तीन नामों में से किसी एक नाम पर सर्वसम्मत निर्णय लेने अथवा सहमत न होने के क्या कारण हैं जब कि पांच संस्थाओं समितियों में से तीन इस कालोनी का नाम 'चित्तरंजन पार्क' रखना चाहती हैं और चौथी संस्था को इस पर कोई आपत्ति नहीं है और जब कि अन्तिम निर्णय पुनर्वास विभाग को लेना है; और

(ख) राजधानी में महान नेता की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए पूर्व पाकिस्तान विस्थापित कालोनी, कालकाजी का नाम 'चित्तरंजन पार्क' रखने में विभाग को कौन सी परिस्थितियां रोक रही हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) एक संस्था ने, जिसका दावा है कि उसकी सदस्य संख्या 2,700 है, एक वैकल्पिक नाम सुझाव दिया है। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि व्यक्तिगत रूप में एटालियों के विचार जान लिए जाएं और उसके बाद निर्णय किया जाए।

Commission for Recruitment of Indian Nuns

6566. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Catholic Bishops have constituted a Commission for recruiting Indian nuns ;

(b) whether the Government of India is also represented on the said Commission ; and

(c) the number and names of members of the said Commission ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

केन्द्रीय जांच ब्युरो और सतर्कता आयोग द्वारा शरणार्थी प्रबन्ध व्यवस्था, त्रिपुरा के भ्रष्टाचार के मामले की जांच

6567. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच व्यूरो और सतर्कता आयोग, धर्मनगर, त्रिपुरा की शरणार्थी प्रबन्ध व्यवस्था के विरुद्ध धन के गोलमाल से सम्बन्धित कुछ मामलों की जांच कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच राज्य के भ्रष्टाचार-निरोध शाखा द्वारा की गई है। जांच में सहायता देने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Contract for Civil Construction of Khetri Copper Project

6568. **Shri S. N. Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the contract for civil construction of the Khetri Copper Project Plant was first given to the National Project Construction Corportion in the public sector and it has now been withdrawn from them and given to M/s Tarapore and Company ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether M/s Tarapore and Company and Gammons India Limited had connections with the Chief Engineers (Civil) in the past ; and

(d) whether the charges of misappropriation had been levelled against the said Chief Engineer even before his posting at the present place and the investigations are still being made there but no action is being taken against him ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b) The contract for civil construction works for concentrator and allied structures (including slag treatment plant) was awarded to M/s. National Projects Construction Corporation in February, 1969. The progress of the work being done by them was poor. Keeping in view the tight time schedule of Khetri Copper Project, a part of the work was taken away from National Projects Construction Corporation. This was done with the approval of the Board of Directors of Hindustan Copper Limited. Later this part of work was assigned to M/s. Tarapore & Company.

(c) The Hindustan Copper Limited have informed that they are not aware of any "connection" which the Chief Engineer (Civil) was having in the past with M/s Tarapore and Company and Gammons India Limited. It may, however, be mentioned that prior to the joining in Hindustan Copper Limited, the officer under reference, had been working in several other industrial projects. It is likely that the Chief Engineer (Civil) may have worked in some projects, where these agencies were also functioning. There is no question of any kind of suspicious and objectionable methods having been adopted in giving this contract to M/s. Tarapore and Co.

(d) The Hindustan Copper Limited have informed that they are not aware of any charges of misappropriation against the said Chief Engineer before his joining Hindustan Copper Limited.

मैसर्स सी० एच० (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मैसर्स सी० एम० आई० लिमिटेड, बिहार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का जमा न कराया जाना

6569. **श्री मुहम्मद जमील रहमान :**
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सी० एच० (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मैसर्स सी० एम० आई० लिमिटेड, टाटानगर फाउन्ड्री वर्कस और आर० बी० एम० एस० जूट मिल्स, कटिहार बिहार क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि के भुगतान के सम्बन्ध में निरन्तर रूप से दोषी हैं; और

(ख) क्या उन्होंने पिछले समय से कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशियों का भुगतान नहीं किया है, यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार के सूचना भेजी हैं :—

(क) जी हां।

(ख) मैजर्स सी० एच० प्रा० लि०, मैसर्स सी० एम० आई० लि०, मैजर्स टाटानगर फौंड्री कम्पनी लि० और मैजर्स आर० वी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार की क्रमशः लगभग और 1.02 लाख रुपये, 4.68 लाख रुपये, 3.02 लाख रुपये और 8.71 लाख रुपये की भविष्य निधि की देय राशि बकाया थी।

Aid to Bangladesh

6570. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total amount of aid given to Bangladesh so far ;

(b) the amount of aid decided to be given to Bangladesh during 1972-73 ; and

(c) the terms and conditions thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). In the budget estimates provision has been made for aid valued at Rs. 118 crores to be given to Bangladesh during the year 1972-73. A provision of Rs. 82 crores was made in 1971-72.

2. The aid given so far to Bangladesh and its terms and conditions are as follows :

GRANTS	RUPEES
(a) Supply of 650,000 tons of wheat and 100,000 tons of rice	78.46 crores
(b) Commodity aid	25.00 crores
(c) Cash Doles Grant	18.53 crores
(d) Supply of shelter material	1.36 crores
(e) Supply of 20,000 hand pumps	40.00 lakhs
(f) Supply of 2,000 tons of pulses	40.00 lakhs
(g) Supply of 50,000 gross match boxes	6.00 lakhs
(h) Communications assistance	3.29 lakhs

LOANS

(i) Supply of two aircraft, two ships, miscellaneous railway equipment, power equipment and telecommunication equipment	20.00 crores

In the case of aircraft and ships the rate of interest is 2 1/2% and the loan is repayable in 25 years, including a moratorium of five years. In the case of railway equipment power equipment and telecommunications equipment, the loan is interest-free and repayable in 25 years, including a moratorium of 7 years.

(ii) A foreign exchange loan of 0.5 million (equivalent to Rs. 9.5 crores), bearing a rate of interest of 2 1/2% and repayable in 20 years including a moratorium of 5 years.

(iii) A loan in foreign exchange equivalent to Rs. 8.1 crores to finance purchase of crude oil. The rate of interest is 6 1/4%. The loan is repayable over a period of 5 years.

The list above is not inclusive of Rs. 15 crores of relief material transferred to Bangladesh. It also does not include the services of 28 CALO experts sent to assist the Bangladesh Government and the civil reconstruction work done by the Indian army during its stay in Bangladesh.

बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए इमारत

6571. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विहार में कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए इमारत बनाने का कार्यगत 12 वर्ष से अधिक समय से रुका पड़ा है ;

(ख) क्या स्थान के चयन के लिए कर्मचारियों तथा क्षेत्रीय आयुक्त बिहार के बीच बिवाद चल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो समस्या के स्थायी हल के लिए केन्द्रीय आयुक्त का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) : पिछले पांच वर्षों से राज्य सरकार और पटना नगर सुधार मण्डल के द्वारा पटना में क्षेत्रीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए जमीन का एक उपयुक्त खण्ड प्राप्त करने के लिए काफी प्रयत्न किए गए हैं। किए जा रहे हैं। म्युजियम रोड पर जिस बने बनाए भवन की बिक्री का विज्ञापन 'इण्डियन नेशन' में दिया गया था, वह उपयुक्त नहीं समझा गया क्योंकि फर्श का क्षेत्र सारे क्षेत्रीय कार्यालय के लिए पर्याप्त न था। स्टेशन रोड, पटना पर जमीन का एक और प्रस्ताव, जो 'आनन्द बाजार पत्रिका' का है, पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि मालिकों ने अभी तक ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं। कार्यालय के भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त जमीन लेने के सम्बन्ध में अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, ने बिहार की राज्य सरकार को लिखा है और मामले का अनुसरण किया जा रहा है। मार्च, 1972 में क्षेत्रीय समिति, बिहार ने पटना में कुछ खाली जगहें चुनी, और समिति की इच्छा के अनुसार, पटना नगर सुधार मण्डल को फिर उन जगहों में से एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए एक जगह देने के लिए विचार करने का अनुरोध किया गया है।

बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों के यात्रा भत्तें तथा मेडिकल बिल

6572. **श्री मुहमद जमीलुर्रहमान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निरीक्षकों के बड़े पैमाने पर यात्रा भत्ते तथा कर्मचारियों के मेडिकल बिल कई महीनों एवं वर्षों तक अनिर्णीत पड़े रहते हैं ;

(ख) क्या अनेक निरीक्षक दौरे पर जाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि यात्रा के लिये अग्रिम धन समय पर नहीं दिया जाता और यहां तक कि यात्रा भत्ते के बिल भी समय पर पास नहीं किये जाते ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार से सूचित किया है :—

(क) से (ग) : निरीक्षकों के कई टी० ए० बिल उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पुष्टिकारी कागजों के अभाव में बड़ी लम्बी अवधियों से अनिर्णीत पड़े हुए हैं। क्षेत्रीय आयुक्त से यह निवेदन किया गया है कि वे निरीक्षकों को शीघ्र संबंधित सूचना देने के लिए हिदायत दें ताकि इन मामलों का निपटारा हो जाए।

क्षेत्रीय आयुक्त के कार्यालय में कई चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल अनिर्णीत पड़े हैं। क्षेत्रीय आयुक्त को इन बिलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए कह दिया गया है।

Expenditure incurred on Geological Survey of India

6573. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the date on which Geological Survey of India was established ; and

(b) the total expenditure incurred on it so far by Government as also the annual expenditure being incurred on survey work ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) The Geological Survey of India was established in the year 1851.

(b) Old records are not available to indicate the figures of the expenditure incurred on Geological Survey of India since its inception up to 1948. The total expenditure from 1948-49 to 1971-72 under both Plan and Non-Plan has been of the order of Rs. 8035 lakhs. Average annual expenditure for the years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 on survery parties is Rs. 152.10 lakhs.

सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशी कारों का आयात

6574. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मन्त्रालय के अधीन विदेशों में भारतीय दूतावासों में कार्य करने वाले कितने सरकारी अधिकारी अपने साथ आयातित कारें लाये हैं ; और

(ख) ऐसे मामलों में किस शीर्ष के माध्यम से दी गई धनराशि और शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है और भविष्य में ऐसे कार्यों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) उन अधिकारियों (अर्थात् तृतीय सचिव और उसके ऊपर के दर्जे के) की संख्या 61 है, जिन्होंने 1969-71 अर्थात् तीन वर्षों में भारत में कारों का आयात किया है।

(ख) यह लेखा शीर्ष "भत्ते, मानदेय आदि" है,

जो सरकारी कर्मचारी स्थानांतरित होकर विदेशी मिशन से भारत आते हैं उन्हें अपनी निजी कार का आयात करने के लिए, सहायता के रूप में, समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, सीमाशुल्क की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है, लेकिन यह राशि 12,000.00 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपर जिन 61 अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, उनमें 28 अधिकारियों को सीमाशुल्क की प्रतिपूर्ति की गई है।

जिस कार के सम्बन्ध में इस प्रकार की प्रतिपूर्ति की जाती है उसे एक निश्चित अवधि तक बेचा नहीं जा सकता। इस अवधि के समाप्त होने के बाद भी यदि सात वर्ष काम में लाने के पूर्व यह कार बेच दी जाती है तो प्रतिपूर्ति की पूरी रकम उसे लौटानी होती है ; ऐसी कार 11 वर्ष काम में लाने के बाद ही, अधिकारी द्वारा बेची जा सकती है और इसके लिए उसे क्षतिपूर्ति की रकम का कोई अंश लौटाना नहीं होगा।

सीमा शुल्क की प्रतिपूर्ति सेवा-शर्तों का एक भाग है और यह जनहित में ही की जाती है, जिससे सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि विदेश में जहां उनकी नियुक्ति हुई हो वहां, और भारत में, दक्षतापूर्वक कार्य कर सके। इन परिस्थितियों में इस प्रकार की सहायता देना बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद

6575. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद स्थित कोयला खनिक संगठन पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे लाखों खनिकों की भविष्य निधि को एकत्रित और नियन्त्रित करता है ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि यह संगठन निडर होकर खनिकों की भविष्य निधियों का दुरुपयोग कर रहा है, और क्या खनन मालिक खनिकों की भविष्य निधि में अपना अंशदान जमा नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) ऐसे अंशदानों की वर्तमान बकाया राशि कितनी है ; और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कोयला खान भविष्य निधि, कोयला खान भविष्य निधि परिवार पेंशन और बोनस योजना, 1948 के अन्तर्गत स्थापित न्यासी बोर्ड में निहित है और उसके द्वारा प्रशासित होती है। यह अधिनियम, देश की सभी कोयला खानों पर लागू होता है और कोयला खान भविष्य निधि के चालू सदस्यों की संख्या 31.12 1971 को लगभग 3.6 लाख थीं।

(ख) यह आमतौर से आरोप लगाया जाता है कि खान मालिक भविष्य निधि के चन्दे का दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ मालिकों ने भविष्य निधि की देय राशि को कोयला खान भविष्य निधि में जमा नहीं किया।

(ग) चूक करने वाले नियोजकों के पास कोयला खान भविष्य निधि के चन्दे का कुल बकाया 31,.12.1971 को 10,42,100 रुपये था। चूक करने वाले मालिकों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन तथा वसूली कार्यवाहियों के रूप में कानूनी कार्यवाही की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत शिकायतें भी कुछ मामलों में दर्ज की जाती हैं इसके अतिरिक्त देय राशि के भुगतान में देर हो जाने पर हरजाना लगाया जाता है। इस अधिनियम के उपबन्धों को और कठोर बनाने के लिए भी प्रस्ताव विचाराधीन है।

रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए रोजगार सम्बन्धी सर्वेक्षण

6576. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा हाल ही में किये गये सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि विभागीय विरोध के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थान भरें नहीं जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे वर्गों के लोगों के लिए आरक्षित पद सुनीश्चित कराने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जैसा कि लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 482 दिनांक 20-4-72 के उत्तर में पहले ही उल्लेख किया गया है, सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप देना है। तथापि, सर्वेक्षण के कुछ प्रारम्भिक परिणामों से पता चलता है कि रोजगार कार्यालयों से आरक्षित रिक्तियों को भरने में बाधक मुख्य कारण निम्नलिखित थे :—

(एक) व्यवसायिक और तकनीकी योग्यताओं से सम्बन्धित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की सीमित उपलब्धता ;

(दो) पूर्व-सम्प्रेषण साक्षात्कारों के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले काल-पत्रों के प्रत्युत्तर देने में लगभग 40 प्रतिशत आवेदकों का असमर्थ होना ; और

(तीन) स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों की, जोकि चालू रजिस्टर का केवल 2-3 प्रतिशत हैं, सीमित उपलब्धता। नियोजकों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को भरने में कठिनाई पैदा करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित थे :–

(क) लिखित/मौखिक परीक्षाओं में उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित स्तर तक न पहुंच पाना, (ख) चुने गए उम्मीदवारों में गतिशीलता की कमी, (ग) डाक्टरी जांच में आयोग्य होना, (घ) योग्यताप्राप्त आवेदकों की अप्राप्यता और (ङ) अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवारों से पर्याप्त प्रत्युत्तर का अभाव।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने में नियोज्य प्रतिष्ठानों के प्रतिरोध का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Deposit of E. P. F. by Cloth Mills in Madhya Pradesh

6577. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to parts (a) and (b) of Unstarred Question No. 708 on the 18th November, 1971 regarding deposit of Employees Provident Fund by the Cloth Mills in Madhya Pradesh and state the action taken in regard to non-payment of Employees Provident

Fund and also in regard to the cases registered under Section 406/409 of the Indian Penal Code alongwith the result of the action taken ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (**Shri R. K. Khadilkar**) : A statement containing the information furnished by the Provident Fund Authorities is enclosed. [Placed in the Library. See No. L. T. 2072/72]

सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन

6579. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र के तीनों कारखानों में इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या सम्बन्धित वर्षों में इस्पात के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात के रूप में इस्पात का कुल उत्पादन निम्नलिखित था :–

		(हजार टन)
	1970-71	**1971-72**
इस्पात पिण्ड	3612	3476
विक्रेय इस्पात	2645	2568

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात और खान मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम

6580. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं ;

(ख) वे उपक्रम कब शुरू किये गये थे और उनका प्रारम्भिक पूंजी निवेश कितना था ;

(ग) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान प्रत्येक उपक्रम को कितनी लाभ/हानि हुई ; और

(घ) भविष्य में हानि से बचने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शासनवाज खां) : (क) से (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Advertisement Regarding Purchase of Supplies

6581. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Supply** be pleased to state :

(a) whether information through advertisements is not published in the various Districts for the supply of such commodities as are purchased by Government ; and

(b) if so, the measures being taken by Government in the matter ?

The Minister of Supply (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Tender enquiries for various types of stores procured through the Directorate General of Supplies and Disposal are published in the Indian Trade Journal which is an all-India weekly journal brought out by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta. This Journal has wide circulation among the various sections of trade and industry in the country. In certain cases though rare, where further publicity is considered necessary, tender notices are also published in the news-papers through the Directorate of Advertising and Visual Publicity. In addition, copies of tender-sets are also sent to the National Small Industries Corporation and the Directors of Industries in the States, for distribution to the Small Scale Units concerned, which may be located in the various district towns, etc.

Selling of Land by Bangla Desh refugees in Champaran District

6582. **Shri Bibhuti Misra :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the refugees who had come from Bangla Desh before her independence have been allotted lands in Champaran District in Bihar ;

(b) whether they have no right to sell those lands ; and

(c) if so, whether Government propose to grant them right to sell those lands ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Assistance has been given as loan for various purposes to the migrant allottees. The question of migrant allottees having a right to sell the land will only arise after they have re-paid loans, along with interest.

पूर्ति विभाग में कर्मचारी

6583. **श्री अम्बेश :** क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विभाग में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) संघ लोक सेवा आयोग परामर्श से छूट विनियम, 1958 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये कितने पदों को छोड़ा गया है ?

पूर्ति मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) 1-5-72 तक की जानकारी इस प्रकार है :–

श्रेणी–1	....	13
श्रेणी–2	....	76
श्रेणी–3	....	62
श्रेणी–4	....	46
	जोड़ :	197

(ख)

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
श्रेणी-1	....	1	....
श्रेणी-2	....	2	....
श्रेणी-3	....	7	1
श्रेणी-4	....	9	3
	जोड़ :	19	4

(ग) इस विभाग में मंत्री महोदय के निजी कर्मचारियों के सभी पदों तथा श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के पदों के लिए, सिवाय अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा ग्रेड-3 के आशुलिपिकों के पदों के, जोकि कार्मिक विभाग द्वारा भर्ती किए गए उम्मीदवारों में से भरे जाते हैं, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन सीधी भर्ती से छूट मिली हुई है ।

Recruitment for Operation Work in Bokaro Steel P lant

6584. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Bhilai and Durgapur Steel Plants are being recruited for the operation work in Bokaro Steel Plant ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether there is much resentment among the employees deployed on construction work in Bokaro Steel Plant ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Covernment to remove the cause of their resentment ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). Experienced personnel of Bokaro Steel Ltd. in Construction Departments are being given first preference in recruitment for operation and maintenance. Recruitment from Hindusthan Steel Plants is being made only when suitable, experienced persons cannot be found from among Bokaro Steel Ltd.'s own employees.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की सेवाओं के बारे में सी० बी० टी० द्वारा निर्णय

6585. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की सेवाओं के बारे में सी० बी० टी० कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा कुछ निर्णय लिये गये थे ;

(ख) क्या ऐसे निर्णयों पर सरकार द्वारा पुनः विचार किया जाता है और क्या सरकार सी० बी० टी० से परामर्श किये बिना ऐसे निर्णयों को रद्द करने में सशक्त है; और

(ग) यदि हां, तो प्रायः ऐसी बैठकें करने पर भारी धनराशि व्यय करने का क्या लाभ है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचना भेजी है :—

(क) जी हां। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 5 घ (7) के उपबन्धों के अन्तर्गत, केन्द्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वही होंगी जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निर्दिष्ट की जाएगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की मंजूरी का निर्णय उसे भेजे गए प्रत्येक विषय को प्रशासित करने वाले सभी अनुषंगी बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रक्रिया उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार है।

सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज़ ई० पी० एफ० ओ० के निर्णय

6586. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेन्ट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज़ के निर्णयों पर सरकार द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सेन्ट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज़ द्वारा कितने निर्णय लिये गये थे और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने निर्णयों को मंजूर किया गया और कितने निर्णयों सरकार द्वारा नहीं किये गये तथा इसके कारण क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां, इस प्रकार के मामलों में जहां कर्मचारी भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन निधि अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनी योजनाओं के लिए सरकार की स्वीकृति अनुमोदन अपेक्षित हो।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 52 सिफारिशों में से, सरकार ने पहले ही 35 स्वीकृत कर ली हैं और 11 सिफारिशें विचाराधीन हैं। 2 सिफारिश आंशिक रूप से मान ली गई हैं। उन 4 सिफारिशों का ब्यौरा जिन्हें सरकार स्वीकार नहीं कर सकी संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2073/72]**

श्रमवीर राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के लिए समिति का गठन

6587. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1971 के लिए श्रमवीर राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार देने के लिए सम्बन्धित आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) संयोजक के रूप में कारखाना सलाह सेवा के महानिदेशक और श्रम संस्थान बम्बई तथा सरकार, मालिकों और कर्मकारों के संगठनों, पत्तन प्राधिकारियों, जहाजी कुलियों के संघों और तकनीकी विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य 14 सदस्यों के साथ दो पुरस्कार समितियों का गठन किया

गया था। पुरस्कार समितियों ने राष्ट्रीय श्रमवीर पुरस्कार योजना और 1971 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार योजनाओं के अधीन पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय देना था।

भारत के कूटनीतिक संबंध

6588. **श्री वयालार रवि :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के साथ भारत के राजदूत स्तर के कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं हैं ;

(ख) इन देशों के साथ अपने सम्बन्धों के स्तर को न बढ़ाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक के साथ कितने समय तक पूरे कूटनीतिक संबंध स्थापित हो जाने की आशा है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) निम्नलिखित देशों से भारत के राजदूत स्तर के संबंध नहीं हैं :—

पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, इसराईल, डोमि, निकन गणराज्य, ग्वाटे माला, हाइती, होण्डुरास, अल सल्विडोर, छाड, नाइजर, इक्वीटोरियल गिनी, मध्य अफ्रीका गणराज्य, कोरिया गणराज्य, वियतनाम गणराज्य, जर्मन जनवादी गणराज्य, ऐण्डोर, लिचे स्टीन. सान मारीनों, कोरियाई लोकतन्त्रात्मक गणराज्य और मोनाको।

(ख) इन देशों के साथ संबंध न होने अथवा उन्हें राजदूत के स्तर तक न उठाने के कारण या तो हमारी राष्ट्रीय नीति है अथवा प्रशासनिक आर्थिक कठिनाइयां। इनमें से कुछ देशों के साथ प्रधान कोंसल के स्तर पर हमारे संबंध हैं।

(ग) इनमें से प्रत्येक के साथ पूरे राजनयिक स्तर के संबंध स्थापित करने के प्रश्न पर बराबर विचार होता रहता है और राष्ट्रव्यापी नीति के अंतर्गत जब इसकी अपेक्षा समझी जाएगी और प्रशासनिक तथा आर्थिक पक्ष जब इसकी इजाजत देंगे तब ऐसा किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अध्यक्ष और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

6589. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक बहुत बड़ी संस्था है. और उसे लाखों कर्मचारियों की भविष्य निधि का लेखा-जोखा रखना पड़ता है ; और

(ख) क्या श्रम सचिव इस संगठन का अंशकालिक अध्यक्ष होता है और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सदा ही प्रतिनियुक्ति पर लाया जाता है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) श्रम और रोजगार विभाग के सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, जो कर्मचारी भविष्य निधि को प्रशासित करता है, के अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नियुक्ति नियमों के अनुसार, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पद किसी अधिकारी का स्थानांतरण करके प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है।

तिब्बती औद्योगिक पुनर्वास समिति हिमाचल प्रदेश दारा चलाई जाने वाली परियोजनायें

6590. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बती औद्योगिक पुनर्वास समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश में कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रीं (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) तिब्बती औद्योगिक पुनर्वास समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित सात परियोजनाएं स्थापित की गई हैं :—

(i) बीर और चौंतरा में चौंतरा चाय बागान सम्पदा ;

(ii) सतोन में जलयोजित (हाइड्रेटेड) चूना उद्योग ;

(iii) कुमाराओं में ताओपान गापा खनिज उद्योग ;

(iv) पपरोला में तिब्बती दस्तकारी समुदाय ताशीजोंग ;

(v) पुरूवाला में साक्य भूमि पुनर्वास ;

(vi) बीर में बीर तिब्बती वूलन मिल ; और

(vii) पांउटा में तिब्बती पोली फाइबर उद्योग ;
अंतिम दो उद्योग अब बन्द कर दिए गए हैं ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त से प्राप्त कुछ सहायता के अलावा केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए किसी प्रकार का अनुदान या वित्तीय सहायता नहीं दी है । तिब्बती समुदाय ताशीजोंग, पपरोला के अतिरिक्त उल्लिखित सभी परियोजनाओं को कार्यकारी पूंजी प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त ने 1970 में 2,30,000 रुपये की सहायता भारत सरकार के माध्यम से तिब्बती औद्योगिक पुनर्वास समिति को दी थी । तिब्बतीउद्योगिक पुनर्वास समिति को सीधे संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त और विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेन्सियों से भी सहायता प्राप्त हुई है । संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त ने चौंतरा चाय बागान के कुछ भाग को कृषि पुनर्वास में बदलने हेतु हाल ही में 1,45,580 रुपये की सहायता दी है । योजना का ब्योरा और समिति को सहायता देने की प्रणाली तैयार की जा रही है ।

Strikes by Employees of Khetri Copper Project

6591. **Shri S. N. Singh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of times the workers or the employees of Khetri Copper Project went on strike and the duration of each of them during the last three years ending on March, 1972 as also the steps being taken to improve the situation ; and

(b) the number of cases relating to the employees of this project pending for disposal with Labour Commissioner, Labour Inspector, Tribunals and in other similar courts ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) A statement is placed on the Table of the House.

(b) There are 3 cases pending with the Tribunal, of which two relate to Western Bengal Coal-fields Ltd., the contractors of the Khetri Copper Project. There are no cases pending in other similar courts.

The Central Industrial Relations Machinery have also submitted to Government six reports of failure of conciliation ; these are under examination.

Statement

Strikes in the Khetri Copper Project

Sl. No.	Duration of the strike	Action taken
1.	14 days from 23-10-70 to 5-11-1970	The matter was settled at the intervention of the Chief Minister of Rajasthan.
2.	½ day on 14-7-71	Workers resumed duty unconditionally.
3.	From 16-7-71 to 22-7-71	The workers called off the strike.
4.	From 7-9-71. Was called off during the 4th week of September, 1971	A dispute was raised by the workmen of the Western Bengal Coal Fields Ltd., Khetri Copper Projeet, over the actual period of the strike and the wages for the strike period. The dispute has been referred to the Industrial Tribunal, Jaipur, for adjudication.
5.	From the 2nd shift of 24-3-72 to the 2nd shift of 25-3-72	The workers called off the strike.

Contract for Fabrication of Khetri Copper Project

6592. **Shri S. N. Singh** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the work of prospecting shaft sinking, structural design, fabrication and supervision of the plant of Khetri Copper Project has been given on contract ; and

(b) if so, the name of the contractor and the reasons for giving him the contract ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) A part of the work concerning prospecting and shaft sinking, has been awarded on contract. The structural design and fabrication work is mostly being done through the contractors and supervision of the construction of some of the plants is also being done through the contractors.

(b) (i) The names of the main contractors engaged on the work of prospecting, shaft sinking, structural design fabrication and supervision are given below :

1. M/s. Geological Survey of India.
2. M/s. Thapar Intrafor.
3. M/s. Barakar Engineering Company Limited.
4. M/s. National Projects Construction Corporation Limited.
5. M/s. Headwrightson & Company.
6. M/s. Engineering Consultants (P) Limited.
7. M/s. Power Gas Limited.
8. M/s. Devi Ashmore & Company.
9. M/s. Triveni Structurals Limited.
10. M/s. Fact Engineering & Design Organisation.
11. M/s. Khalsa Engineering Company.
12. M/s. Richardson & Cruddas.
13. M/s. Kumbhani.
14. M/s. General Electric Company.

(ii) Reasons for giving work on contract :

The various construction activities for mines and plants are specialised jobs and it is the general practice to assign jobs on contract. This practice is also being followed at Khetri Copper Project, particularly for jobs which are not permanent in nature so as to avoid additional recruitment of staff temporarily at the construction stage which cannot be continued during the production stage. However, whenever possible within the existing resources of the Company, the jobs are also being done departmentally e. g. shaft sinking, drilling, supervision of construction etc.

Issue of Prospecting Licences for Exploitation of Minerals in Madhya Pradesh

6593. **Shri Arvind Netam :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of private firms which have been given prospecting licences and mining leases for the exploitation of minerals in Bastar district of Madhya Pradesh during the last three years ; and

(b) the conditions of giving such licences ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दण्डकारण्य में पुन: बसाये गए विस्थापितों द्वारा खाली की गयी भूमि का उपयोग तथा उनसे सम्पत्ति और ऋणों की वसूली

6594. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनः बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों ने दण्डकारण्य परियोजना को छोड़ दिया है और यदि हां, तो उन परिवारों की संख्या कितनी है और क्या दण्डकारण्य के विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों द्वारा खाली किये गये मकान और भूमि स्थानीय जन-जाति परिवारों को दी जा रही है ;

(ख) यदि नहीं, तों इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या छोड़ने वाले परिवारों ने परियोजना की सम्पत्ति तथा उनके बकाया ऋण लौटा दिया है, और यदि नहीं, तो ऋण तथा सम्पत्ति को किस प्रकार वसूल किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 16-12-1971 से 6-5-1972 की अवधि के बीच 3213 परिवार पुनर्वास स्थलों और गांवों को छोड़कर चले गये थे। खाली हुई भूमि और मकानों का प्रयोग भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए परिवारों के जो पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं, पुनर्वाल के लिए दिया जा रहा है।

(ग) कुछ परिवारों ने कुछ मदें लौटा दी हैं, जैसे बैल। किसी ने भी बकाया ऋण नही चुकाया है। सम्पत्तियों और बकाया ऋणों को वसूल करने का कोई उपाय नहीं है। केवल भूमि, मकान और बैल, (यदि कोई हो) का प्रयोग अन्य विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया जाता है।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण दारा समेकित विकास और जनजाति विकास

6595. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण की स्थापना शरणार्थी पुनर्वास और जनजाति विकास के विशेष सन्दर्भ में क्षेत्र के समेकित विकास के दोहरे उद्देश्य से की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुनर्वास कार्य के समाप्त हो जाने के बाद, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण ने समेकित विकासकार्य को प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को इस कार्य को प्रारम्भ करने के बारे में कहने का विचार है, यदि हां, तो किस तिथि से और इस कार्य पर अनुमानित लागत क्या आयेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण दारा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्यकम तथा क्षेत्र के स्थानीय आदिवासियों के हितों की उन्नति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के समेकित विकास का काम साथ-साथ किया गया है। पुनर्वास कार्यँ चल रहा है।

पोट्टेरु योजना का कार्य निष्पादन

6596. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोट्टेरु योजना का कार्य निष्पादन दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकार के बजायें उड़ीसा सरकार द्वारा आरम्भ किया जायेगा ;

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कार्य को आरम्भ करने का क्या औचित्य है जब कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार में फालतू होने वोले मजदूरों को पोट्टेरु कार्य में खपाया जा सकता है यदि यह कार्य दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार पोट्टेरु कार्य निष्पादन में तेजी लाने पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों की संख्या को कम होने से रोका जा सके और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उड़ीसा सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पोट्टेरू सिचाई योजना के सिंचन क्षेत्र में 40,000 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया है वशर्ते केन्द्रीय सरकार उक्त योजना पर धन लगाने को सहमत हो जाये। इस समय योजना की अनुमानित लागत 14.35 करौड़ रुपये है। योजना की जांच की जा रही है। योजना को क्रियान्वित करने की एजेन्सी के बारे में प्रश्न केवल उस समय उत्पन्न होगा जब योजनां पर धन लगाने के बारे में निर्णय हो जायगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दण्डकारण्य विकास परियोजना में फालतू कर्मचारी

6597. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना द्वारा इस क्षेत्र के तथा स्थानीय जनजातियों के समेकित विकास का कार्य शुरू किया जायेगा और परियोजना कब तक जारी रहेगी और क्या कर्मचारियों में कोई कमी की जायेगी ; और

(ख) क्या फालतू होने वाले कर्मचारियों कों रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने कोई योजनाएं बनाई थी और यदि हां, तो परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और क्षेत्र के समेकित विकास का कार्यक्रम स्थानीय आदिवासियों के पुनर्वास का कार्य साथ-साथ किया जा रहा है। यह बताना कठिन है कि परियोजना कब तक जारी रहेगी।

वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस० आई० यू०) द्वारा की गई कार्य अध्ययन संबंधी सिफारिशों के आधार पर फालतू होने वाले कर्मचारियों की कार्मिक विभाग के सरप्लस सेल के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में खपत के लिए भारत सरकार की एक सामान्य योजना है। यह दण्डकारण्य परियोजना पर भी लागू होती है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, महासभाओं और सेमिनारों आदि में भारत द्वारा भाग लिया जाना

6598. **श्री अण्णासाहिब गोडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हुये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, महासभाओं और सेमिनारों में जिनमें 1971-72 में भारत ने भाग लिया कितने सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया ; और

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) 1971-72 के दौरान भारत ने विदेशों में आयोजित 472 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कांग्रेसों, गोष्ठियों आदि में हिस्सा लिया। इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कांग्रेसों, गोष्ठियों आदि में जितने अधिकारियों और गैर-अधिकारियों ने हिस्सा लिया उनकी ठीक-ठीक संख्या और इन पर हुए खर्च का ठीक-ठीक पता भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से तथा विदेश स्थित अपने मिशनों से लगाना होगा और जैसे ही यह एकत्र होगा सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर में जिप्सम के निक्षेप

6599. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य के कई क्षेत्रों में जिप्सम के निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य में कितना जिप्सम मिलने का अनुमान है ; और

(ग) इन निक्षेपों से वाणिज्यिक स्तर पर खनिज निकालने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, जम्मू और कश्मीर की दो प्रधान पट्टियों, अर्थात् जम्मू के डोडा जिले में रामबाण-बटोटी-असार पट्टी और कश्मीर के इजारा, इस्लामाबाद, धन्नी सईयादान पट्टी, में जिप्सम के निक्षेप अवस्थित हुए है। लद्दाख में पुगा घाटी में भी जिप्सम पाया जाता है।

(ख) जम्मू प्रान्त में 30·48 मीटर गहरे विस्तार तक जिप्सम अयस्क की उपलभ्य राशियों की अन्तःशक्ति का अनुमान 215·90 लाख टन है और कश्मीर प्रान्त में 30·48 मीटर गहरे विस्तार तक यह अनुमान 575·02 लाख टन है। लद्दाख की जिप्सम की उपलभ्य राशियों का अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) कश्मीर क्षेत्र के जिप्सम निक्षेप इस समय श्रीनगर की वूयान सिमेंट फैक्टरी में प्रयुक्त हो रहे हैं। राज्य सरकार के पास गंधकीय अम्ल के सनिर्माण हेतु जम्मू क्षेत्र से जिप्सम खनित करने और भूमि की क्षारीयता कम करने के लिए कृषि विभाग, जम्मू और कश्मीर, को जिप्सम के 1,000 टन की आपूर्ति करने और कार्बन-वर्तिका, पेरिस का प्लास्टर आदि का सनिर्माण करने वाले लघु उद्योग एककों को आपूर्ति करने का प्रस्ताव है।

Alleged Bungling in Hospital Construction

6600. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the reaction of Government in regard to the news item published under the caption 'Bungling in Hospital construction' published at page 10 of the English daily 'Hindustan Times' dated the 23rd April and whether Government would conduct an enquiry into the matter and take action against the guilty persons ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The ESIC authorities have intimated that the construction of the hospital was entrusted to the State Government from whom a full report in the matter is awaited.

Suggestions on Bonus by President of Employers' Federation of India

6601. **Shri M. C. Daga.**
Shri B. K. Daschowdhury :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the reaction of the Labour Department to the statement of Shri Naval H. Tata, President of the Employers' Federation of India in regard to present bonus system that appeared in 'The Hindustan Times' dated the 23rd April, 1972 ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (**Shri R. K. Khadilkar**) : Government have recently constituted a Committee to review the operation of the Payment of Bonus Act, 1965 and would prefer to await the receipt of the Committee's report.

Expenditure of Indian Resident Missions in London and Washington

6602. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the total amount of expenditure incurred on Indian resident missions in London and Washington in 1951, respectively and the percentage by which the expenditure has gone up today ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (**Shri Surendra Pal Singh**) :

	Expenditure in 1951-52	Percentage of increase today
London	Rs. 115.94 lakhs	143
Washington	Rs. 51.94 lakhs	245

सहकारी क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों पर सेमिनार

6603. **श्री डी० के० पंडा :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में हाल में पूना में एक सेमिनार हुआ था ;

(ख) क्या सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए फर्मों के स्वामित्व में कर्मचारियों के भाग को वढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं कि फर्मों के स्वामित्व में कर्मचारियों द्वारा अधिक भाग लिया जाये ; और

(ग) सेमिनार में क्या अन्य विचार व्यक्त किए गए हैं तथा सुझाव दिए गये हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) बैकुण्ठ मेहता नैशनल इंस्टीट्टीयूट आफ को-आपरेटिव मैनेजमेण्ट ने एक विचार-गोष्ठी आयोजित की थी। इस विचार-गोष्ठी के निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुए हैं। उपक्रमों के प्रबन्धमंडलों में श्रमिकों द्वारा भाग लिए जाने और उनके स्वामित्व के लिए सरकार पहले ही कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है। विचार-गोष्ठी में की गई टीका टिप्पणियों और दिये सुझावों पर उचित समय पर ध्यान दिया जाएगा।

नए इस्पात संयंत्र स्थापित करना

6604. **श्री एस० एन० मिश्र** :
श्री के० मालन्ना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये संयंत्र कहाँ-कहां स्थापित किए जायेंगे और इनके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार के नये इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई बात-चीत चल रही है या किसी से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो किसके साथ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शहनवाज़ खां) : (क) और (ख) पांचवी योजना में इस्पात के विकास कार्यक्रम का आरम्भिक कार्य शुरु कर दिया गया है। वर्तमान सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की क्षमता का विस्तार करने तथा नए इस्पात कारखानों के लिए तकनीकि-आर्थिक स्थिति को देखते हुए उपयुक्त स्थलों के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। इस वर्ष के अन्त तक इस कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं। इस समय नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजनैतिक पेंशन भोगी

6605. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सूची में ऐसे राजनैतिक पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है जो कि विदेशी शरणार्थी हैं और उनके उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने विदेशों में सेवाएं की थीं ;

(ख) उन पर वार्षिक कितना व्यय होता है ;

(ग) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में उक्त सूची में ऐसे कितने नाम जोड़े गये ; और

(घ) उनको कितनी धनराशि दी जाएगी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस प्रकार के राजनीतिक पेंशनभोक्ताओं की संख्या 17 है।

(ख) रु० 53,307.36

(ग) और (घ) कुछ नहीं।

तिब्बत को जाने वाले भारतीय तीर्थयात्री

6606. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में भारत से तिब्बत को तीर्थयात्री गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बेरोजगारी बीमा योजना की प्रगति

6607. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारी बीमा योजना के बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या बेरोजगारी बीमा के बारे में कानून बनाने के बारे में अनुमानित समय बताना संभव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ भविष्य निधि अंशदान की दर को वेतन के 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक करने की सिफारिश की और सुझाव दिया कि अतिरिक्त अंशदानों को, सीमान्त समंजन के साथ, बेरोजगारी बीमा को सम्मिलित करते हुए नये लाभों की आर्थिक व्यवस्था में, लगाया जा सकता है । राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिस पर निर्णय हो जाने के बाद बेरोजगारी बीमा योजना को जारी करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

Setting up of a Nickel Plant in Madhya Pradesh

6608. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Nickel Plant in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the expenditure to be incurred thereon ; and

(c) whether any foreign assistance will also be sought therefor .

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

मध्य प्रदेश में द्वितीय चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

6609. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चीनी मिलों के कार्मिक संघों ने सरकार से यह शिकायत की है कि उन्हें द्वितीय चीनी मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का लाभ नहीं दिया गया है , ओर

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें सांविधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं और उनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अनुनय और सलाह से कराया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 5 में से 2 मिलों ने मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू किया है और 2 अन्य मिलों ने आंशिक रूप से ऐसा किया है। इस बारे में कोई भी शिकायतें राज्य सरकार के ध्यान में लाना अपेक्षित है।

मध्य प्रदेश में ग्रैफाइट और यूरेनियम के निक्षेप

6610. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ग्रैफाइट और यूरेनियम के निक्षेपों का पता लगाने के लिए वहां कोई भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवारी करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शहनवाज़ खां) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश के सिधी जिले में गिधार के निकट और चामोआ क्षेत्र में और बेतुल जिले में तिकोरी के निकट, गौथाना, चिकहार, जारूवानी और गोलीघाट में ग्रेफाइट के निक्षेप अवस्थित हैं जो, तथापि, आर्थिक महत्व के नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार दारा ग्रेफाइट के लिए किए गए अन्वेषणों ने सुरगुजा जिले में लघु ओर अलाभकर प्राप्ति स्थल प्रकट किए हैं। बेतुल, दुर्ग, रायगढ़ और सुरगुजा जिलों में के कतिपय शैलों में यूरेनियम होने के कारण रेडियो-धर्मिता के कुछ संकेत भी प्राप्त हुए है जो इस समय परमाणु ऊर्जा विभाग के विस्तृत अन्वेषणाधीन हैं। अनेक स्थानों में, अर्थात् वाघ नदी और जनगालपुर (दुर्ग जिला), भी यूरेनियम की कुछ अल्पमात्रा अवस्थित हुई है परन्तु विस्तृत अन्वेषणों ने दर्शित किया कि प्राप्ति-स्थल गौण है और किसी आर्थिक महत्व के नहीं हैं।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता है।

Provident Fund Arrears in Rolling Mills, Foundries and Moulding Units in M. P.

6611. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the amount of Provident Fund arrears payable by each Steel Rolling Mill, Foundry and Moulding Unit of Indore, Madhya Pradesh up to March, 1972 : and

(b) the steps taken by Government to get the amount deposited by them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) The Provident Fund Authorities have reported that the information is being collected. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Issue ef Import Licences to Steel Rolling Foundry and Moulding Uuits of Indore

6612. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of import licences issued to each Steel Rolling mill, foundry and moulding unit of Indore in Madhya Pradesh during the last three years ; and

(b) the value of the raw material imported by them ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

जे० जे० काटन मिल्स लिमिटेड, ग्वालियर में श्रमिक संकट

6613. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को पता है कि जे० जे० काटन मिल्स लिमिटेड, ग्वालियर तथा उससे सम्बद्ध कारखानों को गम्भीर श्रमिक संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा हैं ; और

(ख) यदि हां, तो समस्या का समाधान करने के लिए सरकार का विचार कौन से कदम उठाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता है ।

Mines in Rajasthan

6614. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of mines in Rajasthan and the names of the minerals found there and the locations thereof, district-wise ; and

(b) the break-up thereof between private and public sectors ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें

6615. **श्री निहार लास्कर : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की 300 सिफारिशों में से 193 सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है ;

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ; और

(ग) शेष सिफारिशों पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की संख्या, जिन पर सरकार ने निर्णय ले लिए हैं 204 तक चली गई है।

(ख) 204 सिफारिशों में से, कुछ की मार्ग दर्शन के लिए सिफारिश की गई है और अन्य राज्य सरकारों, मालिकों और श्रमिकों के संगठनों की तरह के उचित प्राधिकारियों और अन्य को कार्यवाही के लिए ।

(ग) क्योंकि बाकी की सिफारिशें जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं इस लिए सरकार ठीक किस समय तक उन पर अन्तिम निर्णय लेने के स्थिति में होगी; यह संकेत करना कठिन है ।

पड़ोसी देशों से शरणार्थियों का आगमन

6616. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान श्रीलंका, वर्मा, तिब्बत और बंगला देश से कितनी संख्या में शरणार्थी स्वदेश वापस आये ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने शरणार्थियों के वापस लौटने का अनुमान है ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) तिब्बत या बंगला देश से प्रत्यावासन या स्वदेश आगमन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता इस अर्थ में कि भारतीय राष्ट्रिक या भारत मूलक व्यक्ति ही स्वदेश वापस आते हैं ।

1971-72 के दौरान बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

बर्मा	8,785
श्रीलंका	29,463

(ख)	बर्मा	8,000	से	10,000	व्यक्ति ।
	श्रीलंका	35,000	से	40,000	व्यक्ति ।

(ग) बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटे लोगों के लिए किए गए, पुनर्वास उपाय संलग्नविव (क)रण और (ख) में दिए गए हैं । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2074/72**]

पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र की स्थापना

6617. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पुरुलिया जिले (पश्चिम बंगाल) में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये विभिन्न व्यवसाय के लोगों तथा संगठनों से कोई अभ्यावेदन तथा पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार द्वारा केनाइट खानों के लिए खनिज विकास निगम की स्थापना

6618. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने अपना खनिज बिकास निगम स्थापित कर दिया है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इण्डियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड के पास पट्टे पर केनाइट की जो खाने हैं उनमें उसको उक्त खनिज विकास निगम के माध्यम से काम करने की अनुमति दी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) हाल ही में केन्द्रीय सरकार द्वारा मैजर्स इण्डियन कापर कारपोरेशन के उपक्रम के प्रबन्ध को ग्रहण किया गया है। इन काइनाइट खानों में भावी संक्रियाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विनिश्चय लेने से पूर्व, उनके वर्तमान कार्यकरण की पूर्ण जांच करनी होगी। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर तब विचार किया जा सकता है जब इन काइनाइट खानों के कार्य-करण के बारे में कार्य पूरा हो जाएगा।

Strikes in Industrial Establishments in Public Sector

6619. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of industrial establishments in the public sector where strikes took place during the last two years and the total number of man hours lost as a result thereof ; and

(b) the conditions on which these strikes were called off and whether those conditions have since been fulfilled ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) According to available information, the number of industrial establishments in the public sector affected by strikes during 1970 and 1971 and the number of man-days lost due to these strikes was as under :

Year	No. of undertakings affected by strikes	No. of man-days lost
1970	488	18,98,046
1971 (Provisional)	409	14,72,486

Of the above 897 undertakings, strikes were called off in 204 cases following mutual settlements, in 229 cases following mediation/conceiliation and in 1 case following reference for adjudication. In 357 cases, the workers are reported to have resumed work voluntarily. In 105 cases, the reasons for calling off of the strikes were generally not known. In 1 case, the strike which took place in 1971 was reported to be continuing at the end of 1971.

Many of these undertakings are in the State sphere under the Industrial Disputes Act.

Production of Gold and Diamonds

6620. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the annual production of gold and diamonds during the last three years ; and

(b) whether there has been any decline in their production ; if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan):

(a)	Gold (grams)	Diamond (carats)
1969-70	28,90,903	15,472
1970-71	35,12 231	19,030
1971-72	35,25,687	19,722

(b) No.

श्रमिक कानूनों से बचने के लिए सूरत स्थित आर्ट सिल्क इंडस्ट्री का कृत्रिम विभाजन

6621. **श्री प्रभुदसाल पटेल :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संघों ने यह मांग की है कि वर्तमान श्रमिक नियमों से बचने के लिए सूरत स्थित आर्ट सिल्क इन्डस्ट्री में किये गये कृत्रिम विभाजन को समाप्त किया जाये ;

(ख) क्या सूरत के आर्ट सिल्क उद्योग के श्रमिक, देश के आधे आर्ट सिल्क उद्योग के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा अन्य क्या सुझाव दिये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है । यथाशीघ्र उत्तर सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

तांबे और जस्ते के निक्षेपों का सर्वेक्षण

6622. **श्री के० मालन्ना** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में देश भर में तांबे और जस्ते के निक्षेपों का पता लगाने के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है और ; और

(ग) इस कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) से (ग) **अवस्थित (राज्यवार) जहां भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ताम्र और जस्ता निक्षेपों को अवस्थापित करने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया ।**

आंध्र प्रदेश

नैल्लोर जिले में गरिमणिपेन्टा

खम्माम जिले में मैलाराम खण्ड एक और दो

कुरनूल जिले में गणिकल्वा

गुन्टूर जिले में अग्निकुकला पेटी

ओगल जिले में गज्जलकोण्डा और रामसुन्दरम्

कुडप्पा जिले में जंगाम्राजुपल्ला

बिहार

सिंगभूम जिले में तुरामडिह, बायोन्बिल, तमापहाड़ और बन्धुरन ।

मध्य प्रदेश

बालाघाट जिले में मालंजखण्ड

जबलपुर जिले में इमालिया, भुला, मवालिया ।

बस्तर जिले में मुण्डाटिक्रा

महाराष्ट्र

नागपुर जिले में पुलर, पार्सोरी

मेघालय

उम्थर्था

मैसूर

चिकदुर्ग जिले में इंगलढालु, कुंचिगणहलु ।

हसन जिले में कल्याडी ।

चिकमगलुर जिले में कल्सापुर

उड़ीसा

मयूरभंज जिले में केशरपुर

गुजरात

बनसकाण्ठा जिले में अम्बामाता ।

राजस्थान

सिरोही जिले में डेरी ।

उदयपुर जिले में जावर खाने ।

उदयपुर जिले में दरीबा, राजपुर ।

झुनझुनु जिले में खेतड़ी ताम्रपट्टी ।

अलवर जिले में भागोनी ।

अजमेर जिले में साबार ।

उदयपुर जिले में सलम्बर-बन्सवाड़ा ।

उदयपुर जिले में पुर-बनेस ।

उत्तर प्रदेश

पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट और धानपुर ।

पश्चिमी बंगाल

टमाखाल

इन सर्वेक्षणों के महत्वपूर्ण परिणामों में, मालंजखण्ड में 1 लाख 70 हजार टन ताम्र अयस्क की खोज, तुरामदीह 100 लाख टन ताम्र अयस्क का प्रतिपादन, मैलाराम में 10 लाख टन ताम्र अयस्क, पुलर पार्सोरी में 4 लाख टन ताम्र अयस्क, कुचीगणहल्लु में 1 लाख 56 हजार टन ताम्र अयस्क का अनुमान और खेतड़ी ताम्र पट्टी तथा दरीबा राजपुरा सीसा-जस्ता पट्टी में अतिरिक्त टन भार का प्रतिपादन सम्मिलित है । उड़ीसा के लिफिपारा और डुमाबहल में और मैसूर के कैंगा में नए क्षेत्र भी प्रकाश में आए हैं ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बजट से अन्वेषणों का व्यय वहन किया गया था । कोई भी खनिजवार अलग बजट नहीं बनाया गया ।

1971-72 के दौरान किए गए क्रय में किफायत

6624. **श्री राजदेव सिंह** : क्या पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति विभाग यह दावा करता है कि खरीद नीति से उसे 1971-72 में खरीद में लगभग 5 करोड़ रुपए कम देने पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह खरीद नीति नया आविष्कार है अथवा थोड़ी सी होशियारी से ऐसा पहले भी किया जा सकता था ?

पूर्ति मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) सामान्यतया, खरीद टेंडर मंगवाने की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही की जाती हैं, जो तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य और विश्वसनीय स्रोतों से निम्नतम दरों पर खरीद करने के निर्देशक-सिद्धान्त पर आधारित होती है । परन्तु, कुछ मामलों में, जहां यह प्रमाण मिलता है कि टेंडरदाताओं ने अपना गुट बना रखा है अथवा जहां प्रतियोगिता का अभाव हो या उन द्वारा पेश किए गए भाव बहुत ज्यादा हों वहां ठीक और उचित भाव तय करने के लिए फर्मों के साथ बातचीत की जाती है । बातचीत करने की नीति कोई नई नीति नहीं है, बल्कि इसके पहले भी जब कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उसे अपनाया गया है और उससे पर्याप्त बचत की गई है । परन्तु, 1971-72 वर्ष में देश में बाजार की स्थिति बड़ी अस्थिर रही, परन्तु निरन्तर प्रयत्नों के द्वारा, पूर्तिकर्ताओं के साथ की गई बातचीत के परिणामस्वरूप पर्याप्त बचत की गई ।

श्रीलंका में हुए दूसरे एशियाई बौद्ध सम्मेलन में भारत द्वारा भाग लेना

6625. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरादेनिया, श्रीलंका में शान्ति के हित में हुए दूसरे एशियाई बौद्ध सम्मेलन में भारत ने भाग लिया ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या विचार विमर्श हुए तथा क्या निर्णय लिए गये ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने द्वितीय एशियाई बौद्ध सम्मेलन में भाग नहीं लिया था किन्तु पांच भारतीय व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन की कार्यवाही में शामिल रहे ।

(ख) सम्मेलन में एशिया की शान्ति पर, हिन्द चीन के प्रश्न पर तथा बौद्ध धर्म से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श हुआ । सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए उनका सम्बन्ध अन्य बातों के साथ साथ एशिया में न्यायोचित शान्ति तथा सभी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता तथा सम्पन्नता के लिए सम्मिलित रूप से कार्यवाही करने से भी है । सम्मेलन ने हिन्द चीन में शान्ति और न्याय के लिए टोकियो में इस वर्ष जुलाई के अन्त में एक 'विश्व धर्म सभा' के आयोजन के जापानी प्रतिनिधि मण्डल के प्रस्ताव का भी समर्थन किया ।

(ग) भारत सरकार शान्ति की दिशा में किए गए किसी भी प्रयास का स्वागत करती है ।

हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक

6628. **श्री भानसिंह भौरा** : **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने प्रशिक्षक कार्य कर रहे थे और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 31 मार्च को यह संख्या कितनी-कितनी थी;

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने यदि कोई व्यय किया है, तो वह कितना है, और

(ग) हरियाणा राज्य के बनने से अब तक कितने प्रशिक्षकों की छंटनी हुई और छटनीशुदा प्रशिक्षकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में क्या कारण बताये गये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-एक)।

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रति अनुदेशक मासिक व्यय औसतन 290 रुपये है, जोकि पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) अनुदेशकों के नाम संलग्न विवरण (परिशिष्ट-दो) में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2075/72]** हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए पर्याप्त उम्मीदवारों के अभाव के कारण ये अनुदेशक फालतू घोषित किए गए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासनिक नियन्त्रण पूर्णतः राज्य सरकारों के अधीन है।

विवरण

परिशिष्ट-एक

नवम्बर, 1966 से मार्च, 1972 तक हरियाणा में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे अनुदेशकों की संख्या सम्बन्धी विवरण।

दिनांक	कार्य कर रहे अनुदेशकों की संख्या
1 नवम्बर, 1966	474
31 मार्च, 1970	457
31 मार्च, 1971	462
31 मार्च, 1972	448

छंटनी न होने देने के लिए प्रशिक्षकों को पुनः प्रशिक्षण देना

6629. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण के माध्यम से हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों को लोकप्रिय व्यवसायों में प्रशिक्षकों को पुनः प्रशिक्षण देने के लिए कोई अनुदेश जारी किए हैं जिससे उसमें छंटनी न की जा सके;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण के अनुदेशों को क्रियान्वित किया है; और

(ग) हरियाणा सरकार ने किन कारणों से लोकप्रिय व्यवसायों में पुनः प्रशिक्षण देने की योजना को क्रियान्वित नहीं किया है और केन्द्रीय सरकार ने महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण के निदेशों का पालन करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनुदेश जारी नहीं करती । तथापि, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे निदेशकों को पुनः प्रशिक्षण पाने के लिए भेजे ।

(ख) मैसूर, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रशासन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश ने निदेशकों को पुनः प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा है ।

(ग) यह निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है कि क्या किसी निदेशक को पुनः प्रशिक्षण पाने के लिए भेजना है या नहीं । हरियाणा सरकार ने किसी अधिकारी को पुनः प्रशिक्षण पाने के लिए क्यों नहीं भेजा, इसके कारण केन्द्रीय सरकार को मालूम नहीं है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थान तथा प्रवेश

6630. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं तथा इन संस्थानों से छात्रों के प्रवेश के लिये कितने स्थान हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य संघ-राज्य क्षेत्र में ऐसे कितने स्थान हैं जो तकनीकी है और कितने स्थान गैर-तकनीकी हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य में इन संस्थानों में गत तीन वर्षों में वर्ष वार वास्तव में कितने छात्रों के नाम उपस्थिति रजिस्टर में लिखे हुए थे ; और

(घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी ट्रेडों में छात्रों के प्रवेश में कमी होने के क्या कारण हैं तथा प्रवेश-स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है (हरिशिष्ट-1) **[ग्रंथालय में रखा गया ; देखिये संख्या एल० टी० 2076/72]**

(ग) एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-2) । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2076/72]**

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आंकड़ों का रुख वृद्धि की ओर है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में औद्योगिक प्रशिक्षण संबंधी योजना बनाने वाले अधिकारी

6631. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में औद्योगिक प्रशिक्षण संबंधी योजना बनाने का कार्य करने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनकी तकनीकी तथा गैर-तकनीकी योग्यताएं क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : एक सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2077/72]** ये अधिकारी राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। अतः उनकी तकनीकी और गैर-तकनीकी योग्यताओं के संबंध में सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बिहार के क्षेत्रीय कार्यालय में लोवर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों का अनुपात

6632. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में लोवर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों का अनुपात केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित के अनुसार नहीं है और यदि हां, तो क्या अनुपात निर्धारित किया गया है ; और

(ख) क्या वहां अपर डिवीजन क्लर्कों की संख्या इस समय जितनी है उससे अधिक होनी चाहिये और यदि हां, तो अपर डिवीजन क्लर्कों की कितनी संख्या अपेक्षित है तथा बिहार में क्षेत्रीय कार्यालय में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अपर डिवीजन क्लर्कों की अपेक्षित संख्या की मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार से सूचना भेजी है :

(क) और (ख) व्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड ने यह निर्णय किया कि उच्च श्रेणी लिपिकों और निम्न श्रेणी लिपिकों के बीच का अनुपात 1 : 2 से बदल कर 2 : 1 कर दिया जाये और यह कि निम्न श्रेणी लिपिकों की जगहों को, उच्च श्रेणी लिपिक के संवर्ग की विभागीय पदोन्नति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की सेवा के अनुकूल परिवर्तित कर दिया जाए। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के निर्णय के आधार पर, क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में 10 निम्न श्रेणी लिपिकों के 10 पद बदल कर उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों में बदले जा सकते थे। यह कर दिया गया है।

परिवार पेंशन योजना की विवरणियां भेजना

6633. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन छूट-प्राप्त एककों को नई लागू की गई परिवार पेंशन योजना सम्बन्धी मासिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करनी होती और इस बारे में बहुत ही संभ्रांति व्याप्त है क्योंकि केन्द्रीय कार्यालय ने भी कोई स्पष्ट अनुदेश जारी नहीं किये; यदि हां, तो इस स्थिति का क्या इलाज है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को छूट होने के कारण वे लेखा संख्या 'एक्स' में पेंशन अंशदान जमा न करके नियमों का समुचित पालन नहीं कर रहे ; यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और परिवार पेंशन की धारा 17 के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के छूट-प्राप्त ऐसे एककों का व्यौरा क्या है जो पेंशन अंशदान आदि जमा नहीं करवा रहे ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जानी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) जी नहीं। ऐसे सभी कारखानों/प्रतिष्ठानों को, जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन योजना अधिनियम, 1952 की धारा के अधीन छूट दी गई है, नव-चालित परिवार पेंशन योजना के बारे में मासिक विवरणियों उन विहित प्रपत्रों में भेजनी अपेक्षित हैं जिन्हें जुलाई, 1971 में सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों में परिचालित किया गया था।

(ख) और (ग) यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। तथापि, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को निदेश दिया गया है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाई गई परिवार पेंशन योजना, 1971 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

Facilities provided to Members of Indian National Mine Overmen Sirdar and Shot Firer's Association

6634. **Shri Dhanshah Pradhan :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the members of the Indian National Mine Overmen Sirdar and Shot Firer's Association registered under I. T. U. Act are not provided the same facilities which are provided to other collieries and whether a memorandum in this regard has been submitted to Government ; if so, the action proposed to be taken by Government thereon ; and

(b) the steps Government propose to take to safeguard their interests ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). A Memorandum from the Indian National Mines Overman, Sirdar and Short Firer's Association in respect of some demands was received in this Ministry and the representatives of the Association also met the Labour Minister. The position in respect of these demands was explained to them. The matter is being further examined in the light of the discussions that the representatives had with the Labour Minister.

Prices of Coal in Bengal and Bihar

6635. **Shrt Dhanshah Pradhan :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the prices of coal have been enhanced recently in Bengal and Bihar ;

(b) whether this increase in prices in the said States varies from 2 per cent to 3 per cent whereas the price of coal has been increased in Madhya Pradesh by 96 paise only ; and

(c) whether this has adversely affected the pay and allowance of the labourers in Madhya Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). Consequent to the decontrol of coal prices on 24.7.67, it is now entirely for the buyers and sellers to settle the price of coal mutually. However, in regard to supplies of coal to

Railways during 1972, the following price increases have been accepted :

	Rs.	per tonne
I. Bengal-Bihar fields.		
Sel. A grade	2.01	Additional price of Re. 0.25 per tonne payable if the coal loading at the end of 1972 is adjudged not satisfactory.
Sel. B Grade	1.92	
Grade I	1.73	
Grade II	1.46	
II. Singareni Coalfield.		
Ungraded	1.71	
III. Outlying fields.		
No increase		
IV. Talcher Colliery.		
Grade I	0.37	

(c) No, Sir.

Closure of Coal Mine of N. C. D. C. in Sahdol District, Madha Pradesh.

6636. **Shri Hanshah Pradhan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether coal mine of N. C. D. C. at Vijuri in Sahdol District in Madhya Pradesh has been lying closed for 7 years ;

(b) whether Government are aware that property worth about Rs. 2 crores and 36 lakhs is being wasted ; and

(c) if so, the action taken to prevent the said loss ?

The Minister of State in the Ministry of Steel Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). So far a total amount of Rs. 62.40 lakhs has been spent on the colliery including a sum of Rs. 22.90 lakhs on buildings. The colliery will be reopened as soon as a suitable market is found for the coal produced there. The question of wasting property worth Rs. 2.36 crores does not, therefore, arise.

दण्डकारण्य योजना के लिए भूमि

6637. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य योजना के लिए मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से भूमि प्राप्त करने के लिये हो रही वार्ताओं के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या भूमि को दे दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों के पास भूमि देने से सम्बन्धित पड़े प्रस्तावों के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

मध्य प्रदेश :

(i) राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि दण्डकारण्य परियोजना को शीघ्र ही बस्तर जिले में 2,530 एकड़ भूमि दे दी जायेगी।

(ii) दुर्ग जिले में 254.57 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ है।

(iii) राज्य सरकार और दण्डकारण्य परियोजना के अधिकारियों के एक दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा :

उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले में 40,000 एकड़ भूमि देने की पेशकश की है बशर्ते केन्द्रीय सरकार पोट्टेरू सिंचाई योजना पर धन लगाने के लिए सहमत हो जाए। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

श्रीलंका में बसे भारतीय

6638. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि लंका में बसे भारतीय मूलक राज्य विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान किये बिना ही, भारत में वापिस बुला लिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आसनसोल कोयला पट्टी में छंटनी

6639. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के मालिक आसनसोल कोयला पट्टी में स्थायी कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन कोयला खान मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) हाल ही में इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतों की प्राप्ति पर, मामले की छान-बीन की गई है। यह पाया गया कि अन्ता-संघ प्रतिद्वन्द्विता के कारण, कुछ कोयला खानों में मुठभेड़े हुई, जिनके फलस्वरूप अ-सुरक्षा हुई और कोयला खानों से श्रमिक भागने लगे। इसके फलस्वरूप, कुछ प्रबन्धकों ने बड़ी संख्या में श्रमिकों को उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण मुअत्तल कर दिया है।

जब कभी, इन पर कोई औद्योगिक विवाद प्राप्त होते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

सलाखों, छड़ों और प्लेटों की मांग

6640. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष किस्म और मोटाई की सलाखों, छड़ों और प्लेटों की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और **(ख)** सलाखों, छड़ों तथा प्लेटों की उपलब्धि उनकी मांग से कम है। साधारण इस्पात की पतली गोल छड़ों तथा टोरस्टील की स्थिति कठिन है, जबकि मध्यम तथा भारी गोल छड़ों, चपटे तथा वर्गाकार माल की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। फिर भी लगभग 1,50,000 टन रेल की प्रयुक्त पटरियां अब स्क्रैप पुनर्वेलकों को सप्लाई की जा रही है तथा इनसे पुनर्वेलित उत्पादों के मूल्य तथा वितरण को भी विनियमित किया जायेगा। पंजीकृत बिलेट पुनर्वेलकों को सप्लाई करने के लिए काफी मात्रा में बिलेट का आयात किया गया है तथा किया जा रहा है। आशा है कि सलाखों, छड़ों की उपलब्धि में उत्तरोत्तर सुधार होगा।

2. प्लेटों, विशेष रूप से परीक्षित किस्म की प्लेटों की स्थिति कठिन बनी हुई है। फिर भी, इनके बारे में आयात नीति में काफी उदारता बरती जा रही है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की बिक्री की बकाया राशि की वसूली

6641. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादित इस्पात को प्राइवेट एजेंटों के माध्यम से बेचा जाता है और इस बिक्री की काफी राशि की वसूली बकाया है और यदि हां, तो कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या बकाया धनराशि की वसूली के लिए एक एजेंट को नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो इस एजेंट के साथ कौन सी शर्तें तय हुई हैं ; और

(ग) अब तक एजेंट ने कितनी राशि वसूल कर ली है और अभी कितनी राशि वसूल करने के लिए बाकी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और **(ख)** जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-बंगला देश सीमा पर विध्वंसात्मक गतिविधि

6642. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना के कुछ सहयोगियों ने पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान के कुछ हमदर्दी तथा असामाजिक तत्वों के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिया है ताकि बंगला देश में सशस्त्र अव्यवस्था पैदा की जा सके और ये तत्व इस प्रयोजन के लिये उन सीमवर्ती क्षेत्रों का प्रयोग कर रहे हैं जहां पर आदमी नहीं रह गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने बंगला देश सरकार से परामर्श करके इन व्यक्तियों की गतिविधियों की रोकने के लिये समुचित कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार के ध्यान में कोई विशेष उदाहरण नहीं आए हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार और बंगला देश सरकार सीमाओं पर अवांछनीय कार्यों को रोकने के निमित्त कदम उठाने के बारे में आपस में निकट और निरन्तर सलाह-मशवरा कर रही हैं।

गिरिडीह खानों पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हुई हानि

6643. **श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को गिरिडीह खानों के कार्य-चालन पर प्रति वर्ष भारी हानि उठानी पड़ रही है ;

(ख)यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) गिरिडीह खानें जो लगभग 100 वर्ष पुरानी हैं, अक्तूबर, 1956 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कार्य भार ग्रहण करते समय लगभग निःशेषित हो चुकी थी। कोयले की पृथक खण्डों और अकार्यकृत बैरियरों में उपलब्धता तथा चारों ओर गोव्स की विद्यमानता, छतों की खराब स्थिति, पानी का भारी मात्रा में अन्तर्वाह और अपार जनशक्ति के कारण खानों में कार्यकरण की कठिन परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पादन बहुत कम हो गया। यद्यपि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम इन आर्थिकेतर खानों में कार्य करने का इच्छुक नहीं रहा है तथापि केन्द्रीय सरकार ने उच्चश्रेणी कोककर कोयले की पूर्ण उपयोगिता के हित में और वृहद् श्रमशक्ति की व्यथा को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को इन खानों पर कार्य करने के लिए कहा है।

(ग) सरकार ने गिरिडीह कोयला खानों के कार्यकरण को सुधारने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्चशक्ति तकनीकी समिति नियुक्त की; समिति ने 1968 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा लागत

कम करने के विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप हानियों को, प्रारम्भिक प्रावस्थाओं में 50 लाख प्रतिवर्ष के स्तर से कम कर 1970-71 में 27.32 लाख रुपए किया गया है। यदि गिरिडीह में कोक-भट्टियों द्वारा उपार्जित लाभ को लेखों में लिया जाए तो 1971-72 के दौरान, जिसके लेखों को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है, साधारण लाभ उपार्जित किया जाना अनुमानित है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में भारतीय संस्कृति तथा इतिहास की पुस्तकों की कमी

6644. **श्रीराम सहाय पाण्डे :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित सभी भारतीय दूतावासों/मिशनों के पास उन देशों के विदेशी राष्ट्रिकों के अध्ययन तथा उनको वितरित करने के लिए भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की पर्याप्त पुस्तकें तथा अन्य साहित्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश दूतावासों में ग्रंथालय की सुविधायें न होने के कारण भविष्य में दूतावासों में विदेशियों के लाभ के लिए पर्याप्त संख्या में पुस्तकें तथा अन्य साहित्य उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भारतीय इतिहास और संस्कृति पर सामान्यतः पुस्तकें भेज दी जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंगापुर में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक

6645. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन के चीन के दौरे तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के प्रभावों पर विचार करने के लिये हाल ही में सिंगापुर में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन मुख्य प्रश्नों पर बातचीत की गई; और

(ग) सम्मेलन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) : 'एशियन' देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 13-14 अप्रैल, 1972 को सिंगापुर में हुई जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया के हित के विभिन्न राजनीतिक मसलों पर भी विचार-विमर्श हुआ। बड़े देशों के सम्बन्धों में जो प्रमुख परिवर्तन हुए हैं तथा जिन परिवर्तनों की संभावना है, उन पर इन प्रतिनिधियों ने ध्यान दिया। इन लोगों ने इन घटनाओं के कारण आपसी सहयोग बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में आर्थिक एवं राजनीतिक स्थायित्व बढ़ाने की दृष्टि से अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को विकसित तथा सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की। 'एशियन' के संगठनात्मक तथा कार्य-पद्धति विषयक ढांचे की व्यापक समीक्षा पर भी वे सहमत

हुए जिसमें एक केन्द्रीय सचिवालय स्थापित करने की आवश्यकता एवं वांछनीयता भी शामिल है। वे इस पर भी सहमत थे कि आत्मनिर्भरता, अधिक प्रभावकारी सहयोग तथा राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए समन्वित एवं सुनियोजित नीति की आवश्यकता है। संकटग्रस्त विमानों को खोजने तथा विमान दुर्घटनाओं में जीवित बचे व्यक्तियों के बचाव की सुविधा प्रदान करने के एक करार पर भी उन लोगों ने हस्ताक्षर किये।

बिहार में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

6647. **कुमारी कमला कुमारी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालामऊ जिले (बिहार) में अब तक कुल कितनी मात्रा के बौक्साइट अयस्कों का सर्वेक्षण हुआ है; और

(ख) क्या वहां एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने के लिये यह मात्रा पर्याप्त है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए प्रारम्भिक अन्वेषणों के परिणाम-स्वरूप, बिहार में पालामऊ जिले के जमिरपट, टेमोलगढ़, चिरे और ओसपिट क्षेत्रों में लगभग 17.1 लाख टन बौक्साइट की संकेतित उपलभ्य राशियां अनुमानित की गई है। इस अवस्था पर एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना की संभाव्यता के बारे में कुछ भी प्रकाश डालना समय-पूर्व की बात होगी क्योंकि अभी तक पालामऊ जिले में समस्त बौक्साइट निक्षेपों का विस्तृत समन्वेषण नहीं किया गया है।

इस्पात के आयात के बारे मे उद्योगों से परामर्श

6648. **श्री वेकारिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये जाने वाले इस्पात की किस्म और नमूने के बारे में उद्योगों से परामर्श किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात का आयात करने से पुर्व जिन औद्योगिक गृहों और संगठनों के साथ परामर्श किया जाता है अथवा भविष्य में जिनके साथ परामर्श करने का विचार है, उनके नाम क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : आयात नीति निर्धारित करने से पूर्व इस्पात की विभिन्न किस्मों के उत्पादकों से तथा उन सरकारी विभागों से, जो मुख्य उपभोक्ता क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है, जैसे तकनीकी विकास के महानिदेशक, विकास आयुक्त, लघु उद्योग आदि, परामर्श किया जाता है। जहां आवश्यक समझा जाता है, इस्पात के वास्तविक उपभोक्ताओं, संस्थाओं तथा प्रायोजक प्राधिकारियों से भी परामर्श किया जाता है।

आयात नीति के अंतर्गत इस्पात की कुछ श्रेणियों का आयात तभी किया जा सकता है यदि देशीय उत्पादकों ने अनुपलब्धि प्रमाण-पत्र दे दिया हो। इस प्रकार इन श्रेणियों के लिए देशीय उत्पादकों से निरन्तर परामर्श किया जाता है।

सरणीबद्ध (केनेलाइज़्ड) मदों के लिए, वास्तविक आयात किये जाने से पूर्व केनेलाइजिंग अभिकरण उन वास्तविक उपभोक्ताओं से विशिष्टियों आदि के विवरण प्राप्त करते हैं जिन्हें आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा रिलीज आर्डर जारी किये जा चुके होते हैं। निर्यात के लिए इंजीनियरी साज-सामान के निर्माण में लगी हुई इकाइयों के लिए इस्पात का थोक आयात करने हेतु विशिष्टियां इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा दी जाती है।

गुजरात में कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा न करना

6649. **श्री वेकारिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने संबंधित अधिकारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई है यद्यपि उन्होंने कर्मचारियों के वेतनों से इस राशि की कटौती कर ली है;

(ख) इन कंपनियों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में, वर्ष-बार उन पर भविष्य निधि की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) दोनों कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने यह सूचना भेजी है कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

Facilities Provided to Indians by Indian Embassies Abroad

6650. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the nature of facilities provided by the Idian embassies abroad to Indian citizens in foreign countries ;

(b) whether any steps are taken by the Embassies for attracting foreign tourists to India ; and

(c) if so, the nature of steps taken ?

The Deputy Minister in the Ministy of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) (i) Consular services, e. g., financial assistance and relief to our nationals in distress ; repatriation ; legalisation of documents and other notarial assistance ; administration and disposal of estates and assets of the deceased ; registration of births, deaths and marriages ; performance of marriages under the Foreign Marriage Act ; assistance to relations in India in the event of death, accident, arrest, etc. of Indians abroad ; enquiries regarding welfare and whereabouts of relation in India and vice versa ; assistance and guidance to Indian tourists abroad ; looking after the welfare of Indians abroad in general, etc., etc.,

(ii) Welfare of Indian Seamen abroad ;

(iii) Passport facilities ;

(iv) Supply of informative material on India ; and

(v) Providing guidance and help on general matters like educational facilities abroad ; commercial matters ; rules and regulation in India on customs, foreign exchange, income tax, etc., etc.

(b) Yes, Sir.

(c) In foreign countries where the Ministry of Tourism and Civil Aviation have not set up any tourist centres, our Missions there have been taking the following steps :

(i) Supply of tourist publicity material on India to the concerned institutions and individuals in foreign countries ;

(ii) Projection of Indian documentary films of tourist interest ;

(iii) Suyply of information on travel arrangements and various facilites for foreign tourists in India ;

(iv) Assistance and guidance to foreign tourists in booking passages, reserving accommodation in hotels in India, preparing itineraries, etc., etc. ;

(v) Display of posters and other material of tourist interest in the premises of the Indian Missions abroad ; and

(iv) Regular display of tourist posters and photographs in ad hoc photographic exhibition organised by our Missions abroad.

Non-payment of workers' Wages in Mica Industry

6651. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints to the effect that mica industrialists are notmaking payments of wages to labourers in accordance with the award given by the Wage Board ; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No Wage Board for the Mica Industry has been set up by the Central Government ; the question of non-payment of workers' wages in accordance with recommendations of such a Board does not arise.

(b) Does not arise.

भागलपुर की रेशम फैक्टरियों में कर्मचारी भविष्य निधि

6652. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भागलपुर की रेशम फैक्टरियों की कुल संख्या और उनके नाम क्या हैं और किस तिथि से उनको कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाया गया था;

(ख) क्या सभी रेशम की फैक्टरियों में अनुपालन स्थिति संतोषजनक है क्योंकि कई पात्र कर्मचारियों को उसमें शामिल नहीं किया गया है और नियोक्ता अनुचित तरीके को अपनाकर कर्मचारियों के नाम और नियुक्ति की तिथि आदि बदल देते हैं;

(ग) क्या भागलपुर जिले के चम्पानगर और नाथ नगर की कई फैंक्टरियां इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाई गई हैं क्योंकि रजिस्टरों में कर्मचारियों की संख्या हमेशा 20 से कम दर्शायी गई है जबकि वस्तुतः इन सभी फैक्टरियों में 30 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं; और

(घ) क्या प्रादेशिक अथवा सहायक आयुक्त ने अभी तक इन फैक्टरियों का दौरा नहीं किया; और निर्धन मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन 30 अप्रैल, 1972 को भागलपुर जिले में 10 रेशम कारखाना आते थे। उनके नाम और निधि के अन्तर्गत आने की तारीखें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मालिकों द्वारा पात्रता प्राप्त सदस्यों को भविष्य निधि में सम्मलित न करने की कोई सूचना न तो क्षेत्रीय भविष्य निधि निरीक्षक से प्राप्त हुई है और न कारखानों के श्रमिकों से।

(ग) सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर से भागलपुर जिले के चम्पानगर और नाथ नगर के कारखानों की सूची प्राप्त होने तक तथा भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर इन प्रतिष्ठानों को भविष्य निधि के अन्तर्गत लाने की संभावना को खोजने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अन्तर्गत, 13 सितम्बर, 1971 से दो प्रतिष्ठान लाए गए।

(घ) प्रादेशिक आयुक्त और सहायक आयुक्त ने इन कारखानों का दौरा नहीं किया है। नियम के अनुसार प्रतिष्ठानों के मुआवजा और दौरा भविष्य निधि निरीक्षक करते हैं।

विवरण

क्रमांक	प्रतिष्ठान/कारखाने का नाम	निधि में शामिल किए जाने की तारीख
1.	मैसर्स रामबंसी सिल्क मिल्स	1.11.1952
2.	मैसर्स भगवती होजियरी मिल्स	1.11.1952
3.	मैसर्स रामा सिल्क मिल्स	31.12.1960
4.	मैसर्स बेनी सिल्क मिल्स	31.12.1960
5.	मैसर्स बाजोरिया सिल्क मिल्स	नवम्बर, 1958
6.	मैसर्स श्रीकृष्ण सिल्क	31.12.1960
7.	मैसर्स निर्मल सिल्क फैक्टरी	31.10.1963
8.	मैसर्स हिन्द डाईंग एंड ब्लीचिंग वर्क्स (अब टस्सर टेक्सटाईल के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अपने मुख्यालय द्वारा पालन करता है)	28.2.1961

डा० जगजीत सिंह के पार-पत्र को रद्द किया जाना

6653. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से अकाली दल के भूतपूर्व महासचिव डा० जगजीत सिंह के पार-पत्र को रद्द किये जाने के बारे में कोई पत्र मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) लेकिन अन्य सूचना के आधार पर भारत सरकार ने 25 नवम्बर, 1971 को डाक्टर जगजीत सिंह का पासपोर्ट जब्त कर लिया; और उसके बाद 6 जनवरी, 1972 को रद्द भी कर दिया।

द्वितीय चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

6654. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के लिए गठित द्वितीय चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को सभी चीनी मिलों ने क्रियान्वित कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उनकी क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 216 मिलों में से 165 में सिफारिशों का परिपालन किया जा चुका है।

(ख) शेष मिलों में भी परिपालन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारों के प्रयास जारी हैं।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य पुनरीक्षण समिति का विघटन

6655. **श्री बनमाली पटनायक** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य पुनरीक्षण समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया है ;

(ख) उक्त समिति ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये तथा अभी और कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हैं; और

(ग) सरकार ने किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया है और अब तक प्राप्त की गयी सफलता के साथ उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समिति पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य करती आ रही है, समिति के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया था कि समिति का शेष कार्य अगस्त, 1972 के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिए। किन्तु अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न कठिनाइयों का उल्लेख किया जिनमें 1970 और 1971 में पश्चिम बंगाल सरकार की शरणार्थी समस्या की पूर्वव्यस्तता भी शामिल है। इन परिस्थितियों में, उन्होंने बताया कि वे ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि अगस्त के अन्त से पूर्व कार्य समाप्त करना संभव होगा। तथापि, सरकार यह आशा करती है कि समिति अपना कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक किसी भी दशा में पूरा कर लेगी।

(ख) समिति ने अब तक 9 रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं और अन्य पांच पूरी होने वाली हैं। समिति ने विचारार्थ विषयों में केवल वही मामले दिखाए गये हैं जिन पर समिति को विचार करना है, किन्तु उसने प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों की संख्या निर्धारित नहीं की है। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि समिति द्वारा और कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएंगी।

(ग) चार रिपोर्टों के बारे में सरकार ने समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 545.20 लाख रुपये की राशि सौंप दी गई है और उससे इनको तुरन्त क्रियान्वित करने के लिए अनुरोध किया गया है। अन्य रिपोर्टें विचाराधीन हैं।

Rehabilitation of Harijans in Camps vacated by Refugees

6656. **Shrimati Minimata Agamdas :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state : (a) whether there is any scheme to rehabilitate the local landless Harijans and tribal people in the camps vacated by Bangladesh refugees; if not, the manner in which these camps would be utilised ;

(b) whether a large number of refugees rehabilitated permanently in Dandakaranya have also left and if so, whether there is any scheme to extend the facilities provided to those refugees to the local landless Harijans and other people ; and

(c) whether there is any proposal to rehabilitate the local people and utilise the facilities such as drinking water, electricity and the rasidential houses already available at Mana, Chakarmatha, Nampa, Mulmula camps which have now been vacated or whether any cottage industry would be set up there ?

The Minister of Labour and Rehabilitaion (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (c): No, Sir. The camp structures and water supply installations are proposed to be transferred to the State Governments for departmental use or for philanthropic purposes on payment of nominal value. The *inter se* priority for various departmental or philanthropic uses will be determined by the State Government concerned. Otherwise, these camp assests will have to be disposed of to the best advantage of the Government.

(b) Yes, Sir. The houses and lands vacated by the deserter displaced families are proposed to be utilised for rehabilitation of the erstwhile East Pakistan migrants, who are still in camps.

Auction of Property in Nicholson Road, Delhi

6657. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Rehabilitation Department reportedly auctioned on the 8th December, 1969 property No. 1/142 (new)/68 (old), Nicholson Road, Kashmiri Gate, Delhi where about 25 Harijan families had been residing for forty years and in the said auction on rules viz. notification for the auction, advertisement publicity and public bidding, were followed ;

(b) whether the said Harijan families were ready to pay to the Government Rs. 75,000 for the property but the officers instead gave the property to a capitalist for Rs. 61,400 against which the Harijans have sent representation to the Deputy Minister ;

(c) whethe the request of the poor Harijans is being considered by Government ; and

(d) if so, the steps taken by Government for cancellation of this illegal auction and for undoing the injustice done to the Harijans ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) & (b). The property in question was sold in auction on the 8th December, 1969. The highest bid of Rs. 61,000/- received in the auction was duly accepted by the Competent Officer. Sarvashri Chatri Singh, Bhagwan Sahay and other occupants of the property, filed objections about the conduct of sale before the Competent Officer and offered to pay Rs. 75,000/- for the property and prayed for setting aside the sale. The Competent Officer disposed of their objections after hearing them. The objectors have preferred an appeal against the order of the Competent Officer This appeal is pending before the Appellate Officer and the matter is thus *sub judice*.

(c) and (d). In view of replies to parts (a) and (b) the questions do not arise.

पश्चिम बंगाल में कर्मचारी भविष्य निधि में दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

6658. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि बोर्ड के कुछ गैर-सरकारी सदस्यों ने माँग की थी कि पश्चिम बंगाल में दोषी नियोक्ताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यदि कोई सलाह दी है, तो वह क्या है?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने यह सूचित किया है कि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा ऐसी कोई भी मांग नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह सूचित किया गया है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा ने यह आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1972 पास कर लिया है जिसमें अन्य बातों के साथ ऐसे नियोजकों के अवरोध की व्यवस्था है जो कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशि का भुगतान करने में चूक करते हैं।

सलादीपुरा, जिला सीकर (राज स्थान) में लौह-पाइराइट के लिए सर्वेक्षण

6659. **श्री शिवनाथ सिंह : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलादीपुरा, जिला सीकर (राजस्थान) में लौह-पाइराइट के लिए सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञनिक सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के सीकर जिले में सलादीपुर पाइराइट-पाइरोटाइट निक्षेप का विस्तृत समन्वेषण सम्पूरित किया जा चुका है। 20% से 32% तक गंधकांश के साथ कुल 433 लाख 60 हजार टन और 11% से 16% तक गंधकांश के साथ 393 लाख 10 हजार टन अयस्क की उपदर्शित और संकेतित उपलभ्य राशियां अनुमानित की गई है। भारत सरकार के उपक्रम पाइराइट्स, फास्फेट्स और केमिकल्स लिमिटेड द्वारा निक्षेप के समुपयोजन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

तमिलनाडु में खनिज निक्षेप

6660. **श्री एम० राजंगम : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कुचालक स्वरूप के खनिज निक्षेपों को ध्यान में रखते हुए नये खनिज संसधानों की स्थापना के लिए एरियल के रूप में 'गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर' न कि 'ई० एम० सिस्टम्स' सरकार के लिये सरकार के विचाराधीन कोई नया कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पास तमिलनाडु में 'गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर' हवाई सर्वेक्षण का कोई कार्यक्रम विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Compensation paid to Labourers who Died in Jamuyee Majari Coal Mine in Madhya Pradesh

6661. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether two labourers had died on the spot in Jamuyee Majari Coal Mine located at Chandameta, Chhindwara, Madhya Pradesh in July, 1970-71 ;

(b) whether Government have paid any compensation to the families of the deceased labourers and if so, the amount of compensation so paid ; and

(c) the steps being taken by Government to check recurrence of such incidents in future ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shre R. K. Khadilkar) : (a) There was a fatal accident in Sukri Colliery of Jamai Majri Coal Co. on 9.7.71 involving the death of one person.

(b) Compensation is payable by the managements under the provisions of the Workmen's Compensation Act, 1923 the administration of which falls within the State sphere.

(c) The safety measures to be adopted for averting accidents are detailed in the Regulations framed under the Mines Act. 1952. Inspections are carried out to enforce these safety provisions. Efforts are also being continuously made to promote safety consciousns amongst the workers through the media of films and other audio-visual methods, etc. and by holding special safety weeks. Further, workers are given training in safety practices under the vocational training programme.

बोकारो इस्पात संयंत्र

6662. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के इस निष्कर्ष पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि सोवियत सहायता प्राप्त बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में देरी का कारण कुछ सीमा तक बोकारो इस्पात लिमिटेड की संगठनात्मक असफलताएं हैं ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) समिति ने कहा है कि 'प्रायोजना के निर्माण में देरी, मुख्य रूप से तकनीकी डेटा, ड्राइंगस, क्रेन बहुत देरी से भेजने, सिविल इंजीनियरी कार्यों में विलम्ब तथा निजी और सरकारी उपक्रमों से आपूर्ति में देरी, के कारण हुई है।' यह भी बताया गया है कि संगठनात्मक असफलताएं भी कुछ हद तक इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी है। यहां संकेत 1969 से पहले की अवधि में संगठन में संभावित कमियों की ओर है। संगठन को समय-समय पर उचित रूप से सशक्त बनाया गया है और यह इस समय कुशलता से कार्य कर रहा है।

Opening of Indian Cultural Centres in Foreign Countries

6663. **Shrimati Sahodrabhai Rai :**
Shri Ishwar Chaudhary :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Indian Cultural Centres are being set up in San-Francisco (U. S. A.), Suva (Fiji) and Georgetown (Guyana) during the current financial year by the I. C. C. R. ;

(b) if so, the number of appointments made against various posts in these Centres so far giving category-wise break-up of the posts ;

(c) the names of the persons appointed in these Centres together with their educational qualifications as also their basic pay before their appointment in these centres ; and

(d) the category-wise number of posts on which Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates have been appointed so far and the category-wise number of posts, which would be filled up from amongst such candidates in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : An Indian Cultural Centre was set up by the I. C. C. R. in Suva (Fiji) during the financial year 1971-72. During the current financial year (1972-73), the I. C. C. R. proposes to set up Indian Cultural Centres at some more places including San Francisco (U. S. A) and Georgetown (Guyana).

(b) So far the following appointments have beeen made for the Indian Cultural Centre in Suva (Fiji) :—

Director	1
Music Teacher (Vocal)	1
Music Teacher (Instrumental)	1
Dance Teacher	1

(c) A statement giving details is laid on the Table of the House.

(d) None of the persons so far appointed to Indian Cultural Centre, Suva (Fiji) belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. Since these were isolated posts of limited tenure, no reservation was considered necessary.

Statement

Name and Designation	Educational Qualifications	Basic Pay before appointment
1. Shri I. S. Chauhan Director	M. A. (Social Anthropology) ; Ph. D. Political Sociology/ Anthropology Thesis: 'Leadership and Social Cleavages : Political processes among the Indians in Lebasa, Fiji Islands'	Rs. 1250 p. m.
2. Shri V. V. Shrikhande, Music Teacher (Vocal)	B. A. (English, Hindi and Political Science) ; LL. B; Sangeet Praveen (First Class First, gold medalist), Sangeet Prabhakar, Sangit Visharad and Sangit Ratna.	Rs. 900 p. m.
3. Shri Ashok Roy, Music Teacher (Instrumental)	B. A. (English, Indian History and Vocal Music) ; completed 1st year's course for Master's Degree in History with Indian Art and Culture.	R. 340 p. m.
4. Smt. Shakuntala Nair, Dance Teacher.	Higher Secondary	Rs. 280 p. m.

Particulars of Directors Working in Indian Council of Cultural Relations

6664. **Shri Swami Brahmanand :**
Shri Ishwar Chaudhary :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the number of Directors working at prerent in each foreign country under the Indian Council for Cultural Relations indicating their names, educational qualifications and the basic pay drawn by them prior to their appointment in the said Council and the names of the Directors out of them, who are on deputation from other departments ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Sihgh): At present only one Director at the Indian Cultural Centre in Suva (Fiji) is working under the Indian Council for Cultural Relations. His particulars are as follows :

Name :	Shri Ishwar Singh Chauhan.
Educational Qualifications :	M. A. (Social Anthropology) and Ph. D. in Political Sociology/Anthropology for the thesis 'Leadership and Social Cleavages: Political Processes among the Indians is Lebasa, Fiji Islands.'
Emoluments prior to appointment :	He was drawing Rs 1250 p. m. as Fellow, Indian Institute of Defence, Studies, Simla. He is not on deputation from any Department of the Government of India.

एक्सपोर्ट फैब्रिकेशन के लिए इस्पात की मांग तथा पूर्ति

6665. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एक्सपोर्ट फैब्रिकेशन' के लिये 1968-69 से 1971-72 के दौरान इस्पात की मांग तथा पूर्ति में काफी अन्तराल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस अन्तराल को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) : देश में इस्पात की व्यापक कमी के कारण वर्ष 1968-69 से 1971-72 की अवधि में निर्यात के लिए इंजीनियरी साज-सामान के निर्माताओं की संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति, जैसी कि इंजीनियरी साज-सामान की निर्यात संवर्धन परिषद् ने आंकी थी, देशीय उत्पादन से संभव नहीं हो सकी है। फिर भी, सरकार की यह कोशिश रही है कि ऐसे निर्माताओं की बढ़ी हुई आवश्यकता यथासंभव अधिकाधिक मात्रा में देशीय इस्पात की आपूर्ति से तथा आयात नीति को उदार बना कर पूरी की जाय।

1970-71 में विशेष आयात नीति की घोषणा की गई थी जिसके अन्तर्गत इंजीनियरी साज-सामान के निर्यात करने वाले ऐसे उद्योगों को जिनके पास निर्यात के पक्के आर्डर थे, निर्यात आर्डरों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार का आवश्यक साधारण इस्पात आयात करने की अनुमति दी गई थी यद्यपि आयात नीति के अन्तर्गत उन श्रेणियों के आयात पर प्रतिबन्ध था।

इंजीनियरी साज-सामान के पंजीकृत निर्यातकों को जिस हद तक उनको देशीय इस्पात उपलब्ध नहीं किया जाता है उस हद तक आयातित इस्पात सप्लाई करने के लिए हाल में एक योजना शुरू की गई है ताकि ये निर्यातक निर्यात के आर्डरों का माल सप्लाई कर सके।

आन्तरिक मांग (इंजीनियरी साज-सामान का निर्यात करने वाले उद्योगों की मांग भी शामिल है) में हुई वृद्धि को देखते हुए नई निर्यातक नीति के अन्तर्गत बढ़िया किस्म के इस्पात के निर्यात में काफी कमी कर दी गई है।

सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् में कार्य करने वाले कर्मचारी

6667. **डा० संकटा प्रसाद** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् के अधीन विदेशों में और भारत में, वर्गवार, कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इस परिषद् के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्गवार, कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) उक्त परिषद् द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिये 7.5 प्रतिशत सामान्य आरक्षण के स्थानों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में कर्मचारियों की वर्गवार कुल संख्या इस प्रकार है :—

(1) **विदेशों में नियुक्त**

प्रोफेसर और लेकचरर	....	6
सांस्कृतिक केन्द्र निदेशक	....	1
संगीत एवं नृत्य शिक्षक	....	5

(2) **भारत में नियुक्त**

श्रेणी 1	....	4
श्रेणी 2	....	7
श्रेणी 3	....	59
श्रेणी 4	....	28

(ख) (1) **विदेशों में नियुक्त** .... कोई नहीं।

(2) **भारत में नियुक्त**

		अनुसूचित जाति	**अनुसूचित जनजाति**
श्रेणी 1	....	कोई नहीं	कोई नहीं
श्रेणी 2	....	कोई नहीं	कोई नहीं
श्रेणी 3	....	2	कोई नहीं
श्रेणी 4	....	5	कोई नहीं

(ग) यह परिषद् अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये सुरक्षित स्थानों के बारे में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का अनुसरण कर रही है। परिषद् के अमले में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व की कमी को पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में पदों के लिए भर्ती

6668. **श्री अम्बेश** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन उपक्रमो में गत तीन वर्षों में श्रेणी 1, 2, 3 तथा 4 के कितने पर भरे गये ;

(ख) उक्त पदों मे से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदबारों को रखा गया; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर वर्ग-वार, कितने पदों को 'सामान्य पदों' में बदलने के मामले मंत्रालय को निदेशित किये गये ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री शाहनवाज़ खां**) : (**क**) **से** (**ग**) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पुनर्वास विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पद

6669. **श्री अम्बेश** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास विभाग में गत तीन वर्षों में श्रेणी 1, 2, 3, और 4 के कितने-कितने पद भरे गये ;

(ख) उक्त पदों में से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को रखा गया ; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर, वर्ग-वार पदों को 'सामान्य पदों' में बदलने के मामले उन्हें निदेशित किये गये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (**श्री आर० के० खाडिलकर**) : (**क**) से (**ग**) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध होगी सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

रासायनिक हथियारों पर रोक के बारे में सभी ड्राफ्ट का ब्रिटेन द्वारा रद्द किया जाना

6671. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन ने रासायनिक हथियारों पर रोक के बारे में सभी ड्राफ्ट को रद्द कर दिया है और इसे 'सिम्पतिस्टिक' सुझाव बताया है जिससे किसी समझौते पर पहुंचने की सम्भावनाओं को धक्का लगा है ?

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह**) : (क) निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन में बातचीत के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि ने बताया की वर्तमान रूप में सोवियत मसौदा स्वीकार्य नहीं है ।

(ख) 'रासायनिक अस्त्रों के विकास, उत्पादन और संग्रह पर रोक और उनके विनाश' पर सोवियत मसौदा अभिसमय और निरस्त्रीकरण समिति सम्मेलन के विभिन्न सदस्यों द्वारा उनका व्यक्त विचारों पर सरकार विचार कर रही है ।

केरल में कपड़ा मिलों द्वारा अदा किए गए बोनस की प्रतिशतता

6672. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कपड़ा मिलों के कुछ श्रमिक संघों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार को शिकयत की है कि श्रमिकों को बोनस का भुगतान समय पर नही किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : जी नहीं। कपड़ा मिलों द्वारा बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार 'उचित सरकार' है और बोनस के भुगतान के विलम्ब के बारे में जो भी शिकायतें हों, उन पर वे कार्यवाही कर सकते हैं।

केरल और तमिलनाडु में स्वर्ण के लिए सर्वेक्षण

6673. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और तमिलनाडु में स्वर्ण के लिये सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, नीलगिरी जिला (तमिलनाडु) के भागों और कोझिकोडे जिला (केरल) के भागों को सम्मिलित कर वाइनाड स्वर्ण क्षेत्रों में किए गए अन्वेषणों से अल्प स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है। कोझिकोडे जिले में नीलाम्बूर घाटी में जलोढ स्वर्ण के अन्वेषण से भी जिन उपलभ्य राशियों का पता चला है वह किसी भी व्यवहार्य आर्थिक समुपयोजन के लिए अत्यन्त अल्प है। तमिलनाडु में कोयम्बूर जिले के बेनिसबेट्टा, मोडिक्काडावु, बेन्जीमलाई और इनबेकोम्बाई में पुराने कार्यकरणों से अन्वेषणों के दौरान लिए गए नमूनों ने अत्यन्त अल्प स्वर्ण मूल्यों को दर्शित किया है। कन्याकुमारी जिले में नैय्युर नगर और मादुराई जिले में अन्डीपट्टी में भी स्वर्ण के लिए अन्वेषण किए गये जहां कोई स्वर्ण प्राप्त नहीं हुआ था। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कोटागिरी में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के चालू क्षेत्र-सत्र के दौरान स्वर्ण के लिए अन्वेषण किया जाना प्रस्तावित है।

केरल में लोहे के निक्षेप

6674. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के किन-किन क्षेत्रों में लौह निक्षेपों का पता लगाया गया है;

(ख) वहां पर कितनी मात्रा के निक्षेप मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) उनके समन्वेषण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप केरल में कोझिकोडे जिले के चेरूप्पा, ऐलियेट्टीमाला, नानमिन्दा, नाडुवल्लुर और आलमपारा में लौह अयस्क निक्षेप अवस्थापित किए गए हैं।

(ख) और (ग) : चेरूप्पा, ऐलियेट्टीमाला, नानमिन्दा और नाडुवल्लुर के चार निक्षेपों में, जहां व्यधन द्वारा समन्वेषण कार्य सम्पूरित हो चुका है, कुल 29% और 40% लौहांश तक की भिन्नता वाले आक्सीकृत और अनाक्सीकृत लौह अयस्क की 452.0 लाख टन उपलभ्य राशियां अनुमानित की गई हैं। आलमपारा निक्षेप का व्यधन द्वारा समन्वेषण कार्य प्रगति पर है।

केरल में आदिवासियों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना

6675. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में आदिवासियों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में खनिज उत्पादों का उपयोग

6676. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के ऐसे खनिज उत्पाद, जिनका उर्वरकों के लिए उपयोग किया जाता है, इस समय अन्य राज्यों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में उपयोग के लिए राज्य से बाहर भेजे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उक्त खनिजों एवं अन्य खनिजों की मात्रा क्या है जो केरल में उत्पादित होते हैं परन्तु जिन्हें परिष्करण के लिए प्रति वर्ष राज्य से बाहर भेजा जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन खनिजों के समुचित उपयोग के लिए केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना करने की कोई योजना बनाई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जाएगी।

पंजीकृत मजदूर यूनियनों को समझौता वार्ता की सुविधायें

6677. **श्री धर्मगज सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकृत मजदूर यूनियनों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समझौता वार्त्ता सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जानी हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन उपबन्धों के अन्तर्गत यह सांविधिक अपेक्षा बन गई है ;

(ग) क्या 'आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन' ने बताया था कि रेल विभाग द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन समझौता वार्त्ता सम्बन्धी सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रहीं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 औद्योगिक विवादों की जांच और निपटारे की व्यवस्था करता है। दूसरी बातों के साथ-साथ यह समझौता कार्यवाही के दौरान मालिक और श्रमिकों के बीच समझौता करने तथा द्विपक्षीय समझौते जो समझौता कार्यवाही के अतिरिक्त, किए जाते हैंका प्रबन्ध करता है। अधिनियम की धारा 36 में अन्य बातों के साथ-साथ यह लिखा है कि एक श्रमिक, जो किसी विवाद का प्रतिवादी है, अधिनियम के अन्तर्गतकिसी भी कार्यवाही में उस एक पंजीकृत श्रमिक संघ के पदाधिकारी द्वारा, जिसका वह एक सदस्य है या श्रमिक सघों 'के महासंघ' का जिसमें वह श्रमिक संघों सम्बद्ध हैं के पदाधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा,

(ग) और (घ) अखिल भारत लोको रनिंग कर्मचारिवर्ग संस्था की ओर से प्रतिवेदनों की उपलब्धि के फलस्वरूप, मामले को रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया। उस नंत्रालय ने सूचित किया है कि संस्था एक विभागीय मान्यता न प्राप्त निकाय है। रेल मंत्रालय के अनुसार हालांकि मान्यता न प्राप्त सघ द्वारा पेश की गई शिकायतों पर उनके द्वारा विधिवत ध्यान दिया जाता है, मान्यता न प्राप्त संघों से किसी भी प्रकार के पत्राचार का आदान-प्रदान नहीं किया जाता।

आंध्र प्रदेश में अलौह धातुओं के भंडार

6678. **श्री के० कोडन्डा रामी रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कौन-कौन सी अलौह धातुएं उपलब्ध हैं और उनके अनुमानित भण्डार कितने हैं ;

(ख) राज्य में 1969–70 वर्ष से हवाई खनिज सर्वेक्षण तथा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था की कार्यवाहियों के क्या परिणाम निकले हैं और यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ; और

(ग) क्या राज्य की प्रचुर खनिज सम्पदा का उपयोग करने का सरकार का कोई निश्चित कार्यक्रम है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आंध्र प्रदेश में ताम्र धातु के 1.231 लाख टन और सीसा धातु के 7.655 लाख टन की अनुमानित उपलब्ध राशियां उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विशाखापतनम जिले के अनन्तगिरि संकरमेटा क्षेत्र में और गोदावरी जिले के थुकोण्डा क्षेत्र में बाक्साइट के विस्तृत निक्षेप अवस्थित हुए हैं। विशाखापतनम क्षेत्र में विस्तृत कार्य प्रगति पर है।

(ख) आंध्र प्रदेश में कुड्डापाह, कुरनूर, गुंटूर, नैलोर और खम्माम जिलों के अन्तर्गत आने वाले संभावित खनिजीकृत भूभाग को बहु-उपकरणीय हवाई भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया था। इस सर्वेक्षण द्वारा सम्मुख आने वाली असंगतियों की प्रक्रिया की गई और 1968 के अन्त में इन आशाजनक हवाई-असंगतियों का तलीय अनुवर्ती कार्य हाथ में लिया गया। अब तक तल पर 4,000 से अधिक विद्युत-चुम्बकीय हवाई असंगति अवरोधकों का मूल्यांकन किया जा चुका है जिनमें से 279 के विस्तृत भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भू-रासायनिक तल सर्वेक्षण किए गए। उक्त क्षेत्रीय जांच से प्राप्त परिणामों के आधार पर पांच लक्ष्य प्रकट हुए जो हीरक क्रोड व्यधन द्वारा परीक्षण के योग्य हैं। अब तक, उक्त पूर्वेक्षण-स्थलों में लगभग 1,400 मी० व्यधन किया जा चुका है। खम्माम जिले में बेंकटीपालेम के निकट परीक्षण व्यधन से 2.34 मी० चौड़ा सीसा-जस्ता खनिजीकरण क्षेत्र प्रतिछेदित हुआ है जिसमें 0.38% ताम्र, 2.68% सीसा और 2.88% जस्ता अमापित है। उक्त पूर्वेक्षणों की आर्थिक सम्भाव्यता को प्रतिपादित करने के लिए आगे का व्यधन प्रगति पर है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के परिणामों में खम्माम जिले के मैलाराम में ताम्र अयस्क के 10 लाख टन और गुंटूर जिले के कोरमपूड़ी में सीसा अयस्क के 6.20 लाख टन प्रमाणित करना सम्मिलित है। मैलाराम में समन्वेषी खनन कार्य हाथ में लिया गया है।

(ग) हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा अग्निगुण्डाला ताम्र-सीसा निक्षेपों का विकास कार्य पहले ही हाथ में लिया जा चुका है। समन्वेषण के संपूरित होने पर, जो प्रगति पर है, मैलाराम ताम्र और विशाखापतनम बाक्साइड के समुपयोजन पर विनिश्चय लिया जाएगा।

परासिया कोयला खानों का बन्द होना

6679. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परासिया की कोयला खान के 1 मई से बन्द हो जाने के परिणाम-स्वरूप भारी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या क्या है; और

(ग) कोयला खानों के बन्द किये जाने के क्या कारण हैं और खानों को फिर से चालू करवाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : परासिया कोयला क्षेत्र में 625 ओवरमैनों, सिरदारों और शाट फायरसें ने कोयला खान विनियम, 1957 के अन्तर्गत सामयिक डाक्टरी परीक्षा बन्द करने और ईस्ट डोंगर चिखली कोलियरी के माइनिंग सिरदार श्री दीन मोहम्मद को जिसे प्रबन्धकों ने उसके डाक्टरी प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने पर काम से रोक दिया था, ड्यूटी देने की मांग पर 1-5-72 से हड़ताल कर दी थी। माइनिंग सिरदार आदि द्वारा

शुरू की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप, प्रबन्धक अन्य 1,400 कर्मकारों को काम नहीं दे सके और उन्हें जबरी छुट्टी देनी पड़ी।

केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र और खान सुरक्षा मुख्य निदेशालय के अधिकारियों के हस्तक्षेप से, यह हड़ताल 13-5-72 को समाप्त की गई।

विदेश मंत्रालय में नए पदों का बनाया जाना

6680. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उनके मन्त्रालय में श्रेणी 1, 2, 3, तथा 4 के कुल कितने नये पदों का सृजन किया गया ;

(ख) उनमें से कितने पदों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों द्वारा भरा गया ; और

(ग) श्रेणी-वार कितने आरक्षित पदों के मामले उन्हें आरक्षित स्थानों में बदलने के लिये भेजे गये ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) : सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2077/72]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Imminent 'water crisis' in Delhi

Shri Shashi Bhushan (Delhi—South) : Sir, I call the attention of the Minister of Health and Family Planning to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon.

"Reported Imminent water crisis in Delhi."

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय): दिल्ली के कुछ एक भागों से जलपूर्ति की कठिनाइयों के बारे में जो सूचना दी गई है, सरकार को उनकी जानकाती है। जैसे ही ये कठिनाइयां ध्यान में आयीं मंत्रालय ने इस विषय को दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के साथ उठाया क्योंकि वे ही अपने-अपने क्षेत्रों में जलपूर्ति एवं उसके वितरण के जिम्मेदार हैं। उपभोक्ताओ को राहत देने के लिए कुछ एक कदम उठाये गये हैं तथा इस स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए आगे और उपाय बरते जा रहे हैं।

इस समय दिल्ली में प्रतिदिन कुल 17 करोड़ 50 लाख गैलन पानी दिया जा रहा है। यह गत वर्ष की औसत सप्लाई के मुकाबले में प्रतिदिन लगभग एक करोड़ गैलन अधिक है और इससे पिछले वर्ष के मुकाबले में यह प्रतिदिन लगभग तीन करोड़ गैलन अधिक है। वैसे, ये कठिनाइयां मख्यतः इसलिए हो रही हैं क्योंकि गरमी के महीनों में पानी की मांग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है।

नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में पीने के पानी की कमी मोतीबाग-1, सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, किदवई नगर, डिप्लोमैटिक इन्क्लेव के कुछ एक भागों और आस-पास के कुछ क्षेत्रों में बतलायी गई। इस कमी के कारण हैं -(1) घरों के सामने वाले मैदानों आदि में पीने के पानी का सिंचाई के काम में लाकर उसका दुरुपयोग करना (2) कच्चे पानी के वर्तमान छः पम्पों में से दो पम्पों का खराब हो जाना। जहां तक दूसरे कारण का संबंध है, उक्त पानी के पम्पों की मरम्मत की जा रही है और इनके चालू होने में सम्भवतया कुछ समय लग जायगा। घरों के सामने वाले मैदानों आदि में पीने के पानी के दुरुपयोग को रोकने से तुरन्त राहत मिल जायेगी। नई दिल्ली नगरपालिका ने इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए 120 उपभोक्ताओं को पहले ही नोटिस जारी कर दिये हैं और दोषी व्यक्तियों के पानी के कनेक्शन काट देने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। आशा है इस उपाय के परिणामस्वरूप पीने के पानी में प्रतिदिन लगभग 40 लाख गैलन पानी की वृद्धि हो जायेगी।

निगम क्षेत्र में रामकृष्णपुरम्, मोती बाग-2, पूर्वी निजामुद्दीन के कुछ एके भागों, शहरी क्षेत्र, सदर, पहाड़गंज और राजेन्द्र नगर में पानी की कठिनाई महसूस की गई। इन क्षेत्रों में कठिनाई का मुख्य कारण भवनों का अपेक्षाकृत ऊंचे स्थानों तथा वितरण लाइनों के अन्तिम छोरों पर स्थित होना है। पानी की सप्लाई के असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से वितरण लाइनों की व्यवस्था करने के बारे में दिल्ली नगर निगम ने पहले ही कुछ एक सुधारात्मक उपाय बरतना शुरू कर दिया है। इन क्षेत्रों की कठिनाइयों को दूर करने के विचार से निगम ने 20 पानी के टैंकों से भी काम लेना शुरू कर दिया है।

चूंकि दिल्ली के कुछ भागों में पानी की कठिनाई अनुभव किए जाने की बात इस वर्ष अप्रैल में ध्यान में आई, इसलिए पानी की सप्लाई में प्रतिदिन 20 लाख गैलन की वृद्धि करना सम्भव हो सका। इससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। पानी की मौजूदा सप्लाई में प्रतिदिन 60 लाख गैलन पानी की वृद्धि करने के लिए भी शीघ्र उपाय किए जा रहे है और आशा है कि कुछ ही दिनों में पानी की सप्लाई में वृद्धि हो जाएगी।

हम कठिनाइयों के बारे में पूर्णतः जागरूक हैं और मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए हम अपने साधनों के अनुरूप हर सम्भव उपाय बरतेंगे। पहले बरते गए उपायों और इस समय बरते जा रहे उपायों के परिणामस्वरूप हमें आशा है कि इस स्थिति में निरन्तर सुधार होता जायेगा।

Shri Shashi Bhushan : The hon. Minister stated that the present supply of water in Delhi in 175 million gallons daily whereas the requirement is of the order of 245 million gallon. Government have announced the breakdown of Okhla Water Plant and yet 30 lakh gallons of polluted water is being supplied daily from that plant.

It has also been obsereved that there is no proper distribution of water. People residing in posh colonies are supplied more water whereas class IV employees in R. K. Puram are supplied less water. More than 6,000 taps are left open resulting in waste of water day and night. Steps should be taken to stop this waste. In view of the fact that Delhi Municipal Corporation is unable to handle water supply, may I know whether Government propose to take over water supply in order to relieve the people.

I also want to know the reasons for delay in the completion of Ram Ganga project. How do you propose to meet water scarcity in future?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री(प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : माननीय सदस्य ने सम्भवत: प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 60 गैलन पानी के हिसाब से पानी की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया है। यद्यपि यह उचित है किन्तु इस समय इतना पानी सप्लाई करना सम्भव नहीं है। इस समय 48 गैलन पानी सप्लाई किया जा रहा है जो बम्बई और मद्रास जैसे नगरों में होने वाली सप्लाई से अधिक है। वास्तव में यह दिल्ली नगर निगम का उत्तरदायित्व है। ज्ञात हुआ है कि निगम इस बारे में प्रयास कर रहा है। माननीय सदस्य का यह कहना सच नहीं है कि ओखला से 300 लाख गैलन पानी सप्लाई किया जा रहा है। वहां से प्रतिदिन केवल 30 लाख गैलन पानी सप्लाई होता है।

पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है। 20 उपभोक्ताओं को नोटिस दिये गये हैं और यदि उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया तो उनके पानी कनेक्शन काट दिये जाएंगे।

राम गंगा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई हैं। राम गंगा परियोजना से लगभग 200 क्यूसेक्स जल की सप्लाई होगी तथा कुछ ही वर्षों में या अधिक से अधिक 1974 तक दिल्ली को जल उपलब्ध होने की सम्भावना है।

दिल्ली में भविष्य में जल की कमी को दूर करने के लिये अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं। हरियाना नहर से दिल्ली को बहुत सा जल सप्लाई होता है किन्तु पानी के भाप बन कर उड़ने के कारण उस नहर का बहुत सा पानी नष्ट हो जाता है। इस सम्बंध उपयुक्त कार्यवाही में की जा रही है। उत्तर प्रदेश तथा हरियाना में कुछ पानी योजनाओं के पूरे होने पर दिल्ली में पानी की समस्या दूर हो जाएगी।

Shri Shashi Bhushan : Sir, I specifically wanted to know the reasons for abnormal delay in the execution of Ram Ganga Project and the time by which it will be completed. My second question is whether Government propose to take over water supply undertaking with a view to relieving the people in Delhi.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : सामान्यत: पानी की सप्लाई का कार्य स्थानीय सरकारों के हाथ में ही होता है। इस समय केन्द्र सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि जल सप्लाई विभाग को अपने अधिकार में किया जाए। सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिये निगम तथा नगरपालिका की हर सम्भव सहायता कर रही है।

Shri Amar Nath Chawla (Delhi Sadar) : In certain areas like sector 8 in R. K. Puram, Bangali Market, Pahar Ganj, Sadar Bazar, etc. water is not available to the people residing in upper stories of the buildings for eight months in a year. Ram Ganga Project has been a hanging fire for a long time. I would like to know the reasons for which 40 million gallons water plant inaugurated by Shri Vajpayee in 1967 could not be run on full capacity.

May I also know the new schemes formulated during the last four years and the schemes actually implemented ? I also want to know the recommendations made by Lasker Committee implemented so far.

Considerable expenditure has been incurred on the survey of Nazafgarh lake for augmenting the water supply. I want to know the result of that survey. I also want to know the latest development on Ranney Well. May I also know whether Government propose to take over water supply undertaking so that water supply can be improved. A recommendation was made

in the recent past to the Government that Water Supply undertaking, Sewage Disposal undertaking and Electric Supply undertaking should be converted into separate Corporations. Government should set up autonomous Boards for them. May I know whether the hon. Minister is aware of the recommendation and whether he would take steps to implement it ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : 1966-67 में पानी की औसत दैनिक सप्लाई 1,140 लाख गैलन थी, 1969-70 में 1,390 लाख गैलन तथा अब बढ़कर 1,750 लाख गैलन हो गई है इससे ज्ञात होता है पानी की सप्लाई में वृद्धि हुई है । मैं मानता हूं कि पानी की कमी अभी बनी हुई है इस लिए सरकार अतिरिक्त प्रयत्न भी कर रही है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राम गंगा परियोजना को आरम्भ कर दिया है तथा दिल्ली प्रशासन ने परियोजना के अध्ययन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ धनराशि भी दी है। आशा है यह परियोजना 1974 तक पूरी हो जाएगी जिससे दिल्ली को प्रतिदिन 1000 लाख गैलन अतिरिक्त पानी मिलने लगेगा ।

रैनी वैल्स परियोजना पर काफी कार्य हो चुका है तथा आशा है इस वर्ष के अंत तक या अधिक से अधिक अगले वर्ष में यह परियोजना पूरी हो जाएगी । जल सप्लाई को सरकार द्वारा अधिकार में लिये जाने के सुझाव का मुझे पता है । यह सुझाव है तथा सरकार ने सुझाव को ध्यान से सुना है ।

Shri Amar Nath Chawla : Is it a fact that corporation did not give Rs. 9 crores to the General Wing for augmentation of water supply as a result of which augmentation could not be done ?

Mr. Speaker : The procedure of the House does not permit a Member to put the next supplementary after he has once taken his seat. The hon. Minister may reply to it while replying to the next question.

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : It is a serious problem. People living in R. K. Puram Vinay Nagar D. I. Z. area and J. J. colonies are experiencing great difficulties of drinking water. The main reason of this problem is that Municipal Corporation have spent a very small amount of Rs. 50 lakhs on augmentation of water supply while Central Government gave a grant of Rs. 1.5 crores for this purpose. Corporation did not take up this matter seriously and they have misused the funds provided by the Central Government.

It was stated in reply to my question that in the colonies referred to above water supply was maintained for nine hours. It is not a fact. I think the actual water supply is not more than for two hours a day. The capacity of discharge of water of the Tanks is 36,000 gallons per hour but at present the actual intake of water in these tanks is not more than 18,000 litres per hour. These tanks are old and they are not cleaned for a long time.

I would like to suggest that to ensure full co-ordination among the different institutions dealing with water supply and proper utilisation of funds Central Government should take water supply in their own hands.

Secondly, I suggest that Ram Ganga Project should be completed during the next one year instead of two years because it has already been delayed for two years.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य ने पानी की कमी वाले क्षेत्रों का पुनः उल्लेख किया है । दिल्ली के कई क्षेत्रों में इमारतों के ऊँचे होने तथा ऐसे स्थानों पर होने के कारण पानी नहीं पहुचता जहां पानी की लाइनों का अंतिम छोर है । इसी कारण पानी के वितरण में असंतुलन हो जाता है ।

झुंगी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की पानी की कठिनाई का हमें पता है तथा दिल्ली नगर निगम ने सरकार को यह आश्वासन दिलाया है कि उनके लिये पानी की अतिरिक्त टंकियों का प्रबन्ध किया जा रहा है।

जहां तक जल सप्लाई संस्थानों में समन्वय का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। यह मंत्रालय भी एक प्रकर से समन्वयकर्ता का कार्य करता है। माननीय सदस्य का यह सुझाव सराहनीय है तथा भविष्य में इस पर ध्यान दिया जाएगा।

राम गंगा परियोजना को शीघ्र पूरा करने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार पर है तथा हमें सूचना मिली है कि उन्होंने कार्य आरम्भ कर दिया है। पाइपों की कमी के कारण यह कार्य कुछ समय तक आरम्भ नहीं किया जा सका था। आशा है अब यह कार्य 1974 तक पूरा हो जाएगा।

श्री विक्रम महाजन(कांगड़ा) : पानी की कमी की समस्या हर वर्ष उत्पन्न होती है। विशेषकर गर्मी में लगभग सभी नलके सूख जाते हैं तथा उपरी मंजिलों पर रहने वालों को पानी मिलता भी नहीं है।

1966 में जल-दूषण के कारण पीलिया रोग फैल गया था। लास्कर समिति ने यह सुझाव दिया था ओखला संयंत्र को बन्द कर दिया जाना चाहिये क्योंकि वह बहुत पुराना हो गया है तथा उससे सप्लाई होने वाले पानी से रोग फैलता है। किन्तु अभी तक उस संयंत्र को बन्द नहीं किया गया। इस प्रकार की नौकरशाही किसी अन्य देश में नहीं मिल पाती। महामारी की कई घटनाँए होने के बाद भी इस संयंत्र से प्रतिदिन 60 लाख गैलन पानी सप्लाई किया जाता है।

पानी की समस्या को हल करने के लिए निगम ने कोई व्यापक कार्यवाही क्यों नहीं की; क्या मंत्री महोदय यह आश्वास दिलाएगें कि अगले गर्मियों में पानी की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी ?

क्या इस बात का पता लगाने के लिये सरकार एक संसदीय समिति नियुक्त करेगी कि नगर में पानी की कमी होने के लिये कौन उत्तरदायी हैं तथा किस की असावधानी के कारण यह अनुमान नहीं लगाया गया कि वास्तव में कितने पानी की आवश्यकता होगी ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : सामान्यत: ओखला संयंत्र को चलाया नहीं जाता और जब भी उसे चलाया जाता है तो यह सावधानी बरती जाती है कि दूषित पानी सप्लाई न किया जाए। वहां पर विशेषज्ञ तथा इंजीनियर पानी की जाँच करने के लिये विद्यमान रहते हैं। सामान्य स्थिति में ओखला संयंत्र के स्थान पर वजीराबाद संयंत्र पांनी सप्लाई किया गया है।

जहां तक पानी की आवश्यकता के अनुमान का प्रश्न है सरकार ने इस बारे में अनुमान लगाया हुआ है। 1974 में दिल्ली की जनसंख्या अनुमानतः 47 लाख होगी जिसके लिये प्रतिदिन 2,820 लाख गैलन पानी की जरूरत होगी। 1981 तक जनसंख्या अनुमानत: 64 लाख होगी तथा 3,840 लाख गैलन पानी की आवश्यकता होगी। हमारे अनुमान के अनुसार लगभग 600 लाख गैलन पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। अत: माननीय सदस्य का यह कहना सच नहीं है कि सरकार ने कोई अनुमान तैयार नहीं किया गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 150 लाख गैलन पानी की प्रतिदिन अधिक सप्लाई की गई है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : हम मंत्री महोदय के वक्तव्यसे संतुष्ट नहीं हैं। मंत्री महोदय के जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वे सही नहीं हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Delhi Corporation is an elected body. Is this House meant to malign the Corporation ? It should not be allowed. Members from the Congress Party have demanded to take over water supply from Corporation because my party is in power in the Corporation**

Mr. Speaker : It is unfair. I cannot disallow the discussion because the party of Mr. Vajpayee is in power in the corporation.

चुनाव अभियान के लिये दिया गया कथित दान

ALLEGED DONATIONS MADE BY A COMPANY TO THE RULING CONGRESS FOR ELECTION CMPAIGN

श्री एस० एम० बनर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, मैंने आपको इस सम्बन्ध में एक पत्र दिया था किन्तु मुझे उसका केवल यही उत्तर मिला है कि उसे वित्त मंत्री को भेज दिया गया है। यह गम्भीर मामला है तथा मेरा निवेदन है कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला मेरी अनुपस्थित में सभा में उठाया गया था। सरकार ने इस का खण्डन किया है अतः मैं विवश हूं।

श्री श्यामानन्द मिश्र : (बेगुसराय) अब प्रश्न तो यह है कि जब कम्पनी दान अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा दान देने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ है, तो इन परिस्थितियों में दान लेना क्या कानून का उल्लंघन नहीं है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर): इस मामले की जाँच करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस बात की जांच की जानी चाहिये कि आखिर उस आदमी को 5 लाख रुपये कहां से प्राप्त हुये ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आप सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं या कोई अन्य प्रस्ताव पेश कर सकते हैं....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इसमें सरकार द्वारा आरोप के खंडन करने का तो प्रश्न ही नहीं है। यदि किसी कम्पनी ने किसी राजनीतिक दल को दान दिया है तो कम्पनी कार्य मंत्री को उसके बारे में वक्तव्य देना चाहिये। इस पर भी यदि सदन को संतोष न हो हम इस मामले की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त करने के लिए कह सकते हैं।

**सभा की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, पहले ही अपने वक्तव्य में इसे अस्वीकार कर चुके हैं। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाए।

श्री पी० के० देव(काला हांडी) : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस सम्बन्ध में आपको सरदार हुकम सिंह के ऐतिहासिक निर्णय की याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने मेरे द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बारे में दिया था। मैंने इस प्रतिवेदन की एक प्रति स्वंय प्रमाणित कर सभा-पटल पर रखी थी और सदन द्वारा उस पर चर्चा की गई थी !

अध्यक्ष महोदय : सभापति के अनुरोध पर मंत्री महोदय यह कह चुके हैं कि आरोप पूर्णतया गलत है। वह इसे अस्वीकार कर चुके हैं। अब आप लोगों को अन्य किसी प्रस्ताव द्वारा यह मामला प्रस्तुत करना चाहिये (**व्यवधान**)

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैंने कल भी यह बात कही थी कि इसका केवल राजनीतिक उत्तर ही नहीं दिया जाना चाहिये। जो फोटो स्टेट दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। (**व्यवधान**) मंत्री महोदय द्वारा उसके आरोप के खण्डन में दस्तावेज पर आधारित उत्तर होना चाहिये। . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब इस मामले का सम्बन्ध एक संगठन और एक व्यक्तिविशेष से है तो फिर सरकार बीच में किस प्रकार आ जाती है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस दस्तावेज की एक फोटो स्टेट प्रति मेरे हाथ लगी थी जिसे मैंने प्रमाणित कर सभा-पटल पर रख दिया है . . .(**व्यवधान**)

श्री स्वेल ने मुझे ऐसा करने को कहा था और इसलिए मैंने उस प्रति पर हस्ताक्षर कर उसे सभा-पटल पर रख दिया। हम इस मामले का पूरा आरोप सरकार पर लगाते हैं। आपको इस बारे में अपना निर्णय देना चाहिये। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम सदन से बाहर चले जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेस दल पर यह आरोप लगाया गया है कि किसी व्यक्ति ने उसके लिए पोस्टर छापे हैं चूंकि सरकार कांग्रेस दल की है अतः यह आरोप उसी पर आता है। परन्तु यह आरोप एक सुनिश्चित प्रस्ताव के रूप में लगाया जाना चाहिये : . . (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम सदन से उठ कर बाहर जाते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हम बाहर जाना चाहेंगे . . (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गये।
Some hon. Members then left the House

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान जी, क्या मैं यह समझ लूं कि जो पत्र आज सुबह मैंने आपको लिखा था उसे आप ने इसके साथ, ही निपटा दिया है :

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने मंत्री महोदय को भेज दिया है। यदि आप यह समझते हैं कि किसी व्यक्तिविशेष ने दल विशेष के साथ पक्षपात किया है तो आप उसके सम्बन्ध में सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न तो यह है कि संसद के नियमों के अनुसार अब दस्तावेज सभा-पटल पर रखा गया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह न तो सभा-पटल पर रखा ही गया था और न ही इसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी गई थी। संसद की कार्यवाही के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यह एक ऐसा अवसर है जहां आयकर संसद का रिकार्ड खराब हो गया है। मैं समझता हूं कि यह आरोप ठीक है। सम्पूर्ण देश समझता है कि यह आरोप ठीक है . . . (व्यवधान)

श्री एच० एन० मुकर्जी सभा भवन से बाहर चले गये
Shri H. N. Mukerjee then left the House

श्री एस० एम० बनर्जी : शासक दल जो कुछ कहता है क्या वही सत्य होता है? प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है। यह व्यवस्था का प्रश्न है . . .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में मैं अपना निर्णय पहले ही स्पष्ट रूप से दे चुका हूं। मैं अपने बाद किसी को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : हां, इसका सम्बन्ध इसी मामले से है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी सभा भवन से बाहर चले गये
Shri S. M. Banerjee then left the House

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) खनिज रियायत (पहला संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 319 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 399 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2066/72]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2066/72]

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DEMANDS OF THE EMPLOYEES OF THE EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों की मांगों के संबंध में एक वक्तव्य देने का अवसर पाकर मुझे प्रसन्नता है। इस विषय ने अनेक माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित किया गया, एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य भविष्य निधि अंशदानों को मालिकों और कर्मचारियों से प्रति-माह एकत्र करके, जहां तक संभव हो, लाभदायक ढंग से लगाना है तथा अंशदान देने वाली प्रत्येक सदस्य को सेवा-काल से निवृत्ति लेते समय उसके नाम की राशि लौटाना है। इस प्रकार यह निधि हमारे औद्योगिक श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण सेवा-निवृत्ति लाभ की व्यवस्था करती है। जैसा कि सदन को मालूम है, एक संशोधन द्वारा, जो गत वर्ष ही पारित किया गया, इस निधि को परिवार पेंशन योजना का प्रशासन भी सौंपा गया है, जिसके अन्तर्गत, ऐसे औद्योगिक श्रमिकों के अश्रितों को, जो सेवा-काल के दौरान मर जाते हैं, उसके नाम में जमा हुई धनराशि के अलावा पेंशन भी दी जाती है।

3. इस योजना का कार्य-संचालन एक त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड को सौंपा गया है, जिसमें नियोजकों, श्रमिकों और केन्द्रीय व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। यह एक स्वायत्व संस्था है, लेकिन अधिनियम में कुछ अधिकार केन्द्रीय सरकार के लिए सुरक्षित हैं। इनमें संगठन के लिए प्रवर अधिकारियों की नियुक्ति तथा इस संगठन के कर्मचारियों के वेतन व भत्तों व सेवा की शर्तों के बारे में अनुमोदन देना शामिल है। इसी दूसरे मामले से हम मुख्य रूप से संबंधित हैं।

4. वर्ष 1960 तक, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य सरकारों की तदनुरूपी शर्तों के अनुसार विनियमित होते थे। जैसा कि सदस्यों को मालूम है, हर संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय सभी राज्यों में स्थित हैं। सन् 1960 में केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारियों को रियायत देने के प्रयास के रूप में, यह निर्णय किया कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मान और सेवा की शर्तें यहां भी लागू की जानी चाहिए। अब यही स्थिति है।

5. परन्तु हाल ही में कर्मचारी यह मांग करते रहे हैं कि उनके वेतन-मान अलग और बेहतर होने चाहिए और केन्द्रीय वेतन-मानों से वे अलग और असम्बद्ध होने चाहिए । विशेषरूप से, वे यह कहते रहे हैं कि उन्हे भारत के जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट ट्रेडिंग निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के संगठनों के समान समझा जाना चाहिए । बोर्ड के न्यासियों ने इसमांग पर विचार-विमर्श किया लेकिन वे अधिकांश रूप से इस विचार के थे कि केन्द्रीय सरकार के वेतन-मान जारी रखे जाने चाहिए । बोर्ड के कुछ सदस्यों ने यह महसूस किया कि चूंकि यह एक स्वायत्त्व संगठन है और इसे केन्द्रीय सरकार से न तो कोई अनुदान और न आर्थिक सहायता ही मिलती है, अतएव, इसके अपने वेतन-मान होने चाहिए, लेकिन बहुमत यह था कि इन कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला कार्य केन्द्रीय सरकार के तदनुरूपी कार्यालयों में होने वाले कार्य की ही तरह है और यह कि केन्द्रीय सरकार के वेतन-मान जीवन बीमा निगम अथवा स्टेट ट्रेडिंग निगम जैसे स्वायत्त्व औद्योगिक संगठनों के वेतन-मानों से अधिक उपयुक्त हैं ।

सरकार ने इस मामले पर ध्यान पूर्वक विचार किया है और उनके विचार में केन्द्रीय सरकार के वेतन-मानों का अपनाया जाना ठीक और सही रास्ता था । कार्य का स्वरूप और उठाई गई जिम्मेवारी का परिमाण वैसा ही है जैसा कि सरकार के तदनुरूप लेखांकन संबंधी संगठनों में है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस मांग के लिए आधार अपर्याप्त है कि इन कर्मचारियों के वेतन-मान और अच्छे होने चाहिए । इन कर्मचारियों को भारतीय जीवन बीमा निगम और राज्य व्यापार निगम जैसे संगठनों के कर्मचारियों के बराबर बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करना और भी कठिन है । ये संगठन वाणिज्यिक और लाभ अर्जन करने वाले हैं, और स्वरूप की दृष्टि से कर्मचारी भविष्य निधि जैसे संगठन के साथ इनकी कोई समानता नहीं । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो भत्ते या रियायतें प्रदान की जाती हैं, वे इन कर्मचारियों को स्वतः मिल जाती हैं । यद्यपि ये कर्मचारी औपचारिक रूप से तीसरे वेतन आयोग की परिधि में नहीं आते, तथापि, मैं समझता हूं कि न्यासी बोर्ड का यह विचार है कि कर्मचारियों की एसोसिएशनों के साथ उपयुक्त परामर्श करने के बाद, वह तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को ऐसी तरमीमों के साथ स्वीकार कर लेगा जो इस संगठन की विशेष जरूरतों के अनुसार आवश्यक समझी जाएं ।

6. कर्मचारियों की एक दूसरी मांग मकान किराये भत्ते की दरों के बारे में है । न्यासी बोर्ड ने कुछ सिफारिशें की है और ये आंशिक रूप से सरकार ने पहले ही स्वीकार कर ली हैं और संगठन के मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अधिक मकान किराया भत्ता उपलब्ध कर रहे है । वर्तमान मांग यह है कि यह उच्चतर दर संगठन के सारे कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिए न कि सिर्फ उन्हीं को जो चार शहरों में हैं, और दूसरा यह कि मकान किराया भत्ते की दर को चार शहरों में अधिक बढ़ाना चाहिए । अभी तक सरकार ने इसको स्वीकार करना संभव नहीं समझा है परन्तु मैंने निर्णय लिया है कि मामले पर पुनः विचार किया जाये और मुझे आशा है कि सरकार इस पर शीघ्र ही निर्णय लेगी ।

7. कर्मचारियों के कार्यभार, पदोन्नति के रास्ते आदि से सम्बन्धित कई अन्य मांगें भी उठाई हैं । मुझे ज्ञात हुआ है कि न्यासी बोर्ड ने एक छोटी समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो कि कर्मचारियों के संघ के प्रतिनिधियों से बात चीत कर इन मांगों पर विचार करेगी । मुझे यकीन है कि इन मांगों पर सावधानी व सहानुभूति से निचार किया जायेगा और दोनों पक्षों की संतुष्टि से उन्हे निपटाया जायेगा ।

8. मै मानता हूं कि संगठन के कर्मचारियों और प्रबन्ध के बीच प्रर्याप्त सम्पर्क के माध्यम अवश्य होने चाहिएं। पहले ही कुछ सीमा तक परामर्श और आपसी बातचीत हो रही हैं परन्तु मैं अब सोच रहा हूं कि इस प्रक्रिया में सुधार के लिए और केन्द्रीय सरकार के संयुक्त परामर्श तंत्र की तरह का तंत्र और पद्धति को एक-सा करने हेतु क्या और कदम उठाए जायें। मुझे विश्वास है कि जब यह हो जायेगा तो प्रबन्धकों और कर्मचारियों के सम्बन्ध अधिक दृढ़ और अधिक सन्तोषजनक हो जायेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह संगठन हमारे औद्योगिक श्रमिकों को महत्वपूर्ण सेवा-निवृत्ति लाभ देने के लिए स्थापित किया गया है। यह संगठन अपना औचित्य तभी सिद्ध कर पायेगा जब यह श्रमिकों की शीघ्रता और प्रवीणता से सेवा करेगा। इसमें संगठन के कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जबकि मैं यह मानता हूं कि उन्हें पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए और उनकी सेवा-शर्तें अच्छी होनी चाहिए, मैं समानरूप से उनके इस दायित्व पर जोर दूंगा कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अपने कर्त्तव्य को निभाने में वे हमारे श्रमिकों का हित सर्व-प्रथम रखेंगे।

———

वित्त विधेयक, 1972
FINANCE BILL—1972

खण्ड 29 से 69 और संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया जायेगा। खण्ड संख्या 29 से 68 तक के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 से 68 तक विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 29 से 68 तक विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 29 to 68 were added to the Bill

खण्ड 69

अध्यक्ष महोदय : एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया
Amendment made

पृष्ठ 35, पंक्ति 24

"इस अधिनियम के अन्तर्गत" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"चाहे ऐसा कर (जिसमें शास्ति सम्मिलित है) उसकी मृत्यु से पूर्व लगाया गया है परन्तु जिसे अदा नहीं किया गया है अथवा उसकी मृत्यु के पश्चात लगाया गया है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 69 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 69 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 69, as amended, was added to the Bill

प्रथम अनुसूची

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई
The Firs: S.h:dule abo was added to the Bill

दूसरी सूची भी विधेयक में जोड़ दी गई
The second Schedule was also added to the Bill

सूची 3

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। इस पर मध्याह्न भोजन के पश्चात विचार किया जायेगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

तृतीय सूची

उपाध्यक्ष महोदय : अब वित्त विधेयक पर खण्डवार विचार पुनः आरम्भ किया जायेगा। जो माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : मैं अपने संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल : संशोधन संख्या दो के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल पर सरकार ने लगभग 6 पैसे प्रति लिटर की दर से शुल्क लगाया है । मिट्टी का तेल तो जनसाधारण के उपयोग की वस्तु है । इस पर लगाये गये शुल्क से सम्पूर्ण देश में रोष की लहर छा गई है और लगभग सदन के सभी दलों के सदस्यों ने इसका विरोध किया है ।

वित्त मंत्री महोदय यह शुल्क 6 पैसे प्रति लिटर से घटाकर 4 पैसे प्रति लिटर करने के लिए सहमत हो गये हैं जिससे कि बजट में 12 करोड़ रुपये की हानि होगी । परन्तु इस 4 पैसे प्रति लिटर की वृद्धि का भी आम जनता पर काफी बोझ पड़ेगा । हमारी सरकार जो समाजवाद और गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए कटिबद्ध है, उसे ऐसे शुल्क नहीं लगाने चाहिये जिनका प्रभाव आम जनता पर पड़े । इस अतिरिक्त शुल्क का उत्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ेगा । अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस शुल्क के बारे में पुनः विचार करना चाहिये ।

श्री जी० विश्वनाथन् (रान्डीवाश) : दो संशोधन मेरे भी हैं ।

श्री यशवंतराव चव्हाण : आपके संशोधन क्या हैं ?

श्री जी० विश्वनाथन् : मेरे सुझाव संख्या 14 और 15 में से प्रथम का सम्बन्ध तो मिट्टी के तेल से ही है । सरकार द्वारा अब तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनायें या वित्तीय नीतियां बनाई गई हैं, उन सभी से गरीब आदमी का किसी प्रकार का हित नहीं हो पाया है । मंत्री महोदय का यह तर्क कि मिट्टी के तेल पर शुल्क इस लिए लगाया गया है कि डीज़ल तेल में उसकी मिलावट को रोका जा सके, बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है । सरकार को मिलावट रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये । साधारण व्यक्ति पर कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है ।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या 16 उर्वरक से सम्बन्धित है । एक ओर तो हम कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं परन्तु दूसरी ओर किसानों के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं पर कर लगाये जा रहे हैं । यदि कृषि के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो उसका प्रभाव कृषि उत्पादों पर पड़ना स्वाभाविक ही है । अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उर्वरक पर लगाये जाने वाले कर को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दीनेन भट्टाचार्य का संशोधन संख्या 11 भी मिट्टी के तेल से ही सम्बद्ध है । आप इसके विषय में जो कहना चाहते हैं, कहिये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मेरा संशोधन भी मिट्टी के तेल और उर्वरकों पर लगाये गये शुल्क से सम्बन्ध रखता है । यद्यपि मिट्टी के तेल पर लगाये गये शुल्क को 6 पैसे प्रति लिटर से घटाकर 4 पैसे कर दिया गया है परन्तु फिर भी इससे गरीब लोगों को किसी प्रकार की राहत मिलने वाली नहीं है । अमीर लोग तो मिट्टी के तेल का उपयोग करते ही नहीं हैं । उर्वरकों पर जो शुल्क लगाया गया है, निम्न तथा मध्यम दर्जे के किसानों को उससे छूट दी जानी चाहिये ।

Shri Shiv Nath Singh : Mr. Depnty Speaker, Sir, I have got two amendments to Schedule 3, one relates to kerosene oil and the other to Electric Motor Pumping Sets. It is the considered opinion of all the Members inside the House as well as outside the House that even the reduced levy of 4 paise per litre on kerosene oil is not at all justified. It must be reconsidered by the Government because it affects the lower class of our Society.

We think that with Green Revolution, the farmers have become rich. But it is not correct. Only five percent of our farmers who have got sufficient land and make use of tractors, can be classified as rich. The Electric Motors tax is also not justified.

Tractors are used by big as well as small farmers. When tax on tractors was enhanced last time, the demand for tractors came down to one-fourth in Rajasthan. Similar is the case with electric motors and pumping sets. Such tax proposals affect even the small farmers. They have adverse effect on Green Revolution. So the Government should keep in view all such factors and the tax on electric motor pumps should be reduced.

The prices of fertilizers have also gone up. Small farmers are not in a position to use them. I, therefore, request that the tax on fertilizers should also be reduced.

With these words, I move my amendments.

उपाध्यक्ष महोदय : हर माननीय सदस्य को किसी खण्ड विशेष के सभी संशोधनों पर एक-साथ बोलना चाहिए। श्री वीरेन्द्र अग्रवाल उर्वरकों के बारे में नहीं बोले, अतएवं मैं उन्हें उस पर बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : जहां तक उर्वरकों पर लगाये गए अतिरिक्त शुल्क का सम्बन्ध है, इससे न केवल कृषि पर ही कुप्रभाव पड़ेगा अपितु इससे हमारे देश की समूची अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होगी। 1967-68 में उर्वरकों के आयात की लागत 1.95 करोड़ रूपये थी जो 1970-71 में घटकर 1.76 करोड़ रुपये रह गई है। यदि उर्वरकों की खपत में कमी होगी तो स्वाभाविक रूप से कृषि उत्पादन पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। यदि वित्त मंत्री अभी इस शुल्क पर पुर्नविचार नहीं करते तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। यदि यह शुल्क वापस नहीं लिया गया तो इसके लिए राष्ट्र को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मिट्टी के तेल पर प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को छः पैसे से घटा कर चार पैसे कर दिया गया है परन्तु चार पैसे की वृद्धि तो इस पर भी होगी। मिट्टी के तेल पर शुल्क का प्रभाव ग्रामीण जनता पर पड़ता है। नगरों में भी जनता मिट्टी के तेल के स्टोव पर निर्भर करती है। मंत्री महोदय को इस पर पुर्नविचार करके मिट्टी के तेल पर प्रस्तावित शुल्क वापस ले लेना चाहिए।

बिहार में उर्वरकों की भारी कमी हो गई है अतएव उनकी बाजार में ऊंचे मूल्य पर बिक्री होती है। इसलिए उर्वरकों पर भी शुल्क नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

Dr. Laxmi Narain Pandey (Mandsaur) : The taxes imposed on fertilizers, electric motors and kerosene are very high. It would adversely affect the poor people and peasants.

want the hon. Minister to withdraw these taxes

श्री बसंतराव पुरुषोत्तम साठ (अकोला) : मैं मिट्टी के तेल पर शुल्क सम्बन्धी संशोधन का समर्थन करता हूं। एक ओर तो हमने गरीबी हटाने का वचन दिया है, दूसरी ओर गरीबों के उपयोग

में आने वाले मिट्टी के तेल पर शुल्क लगाया जा रहा है। हमें ऐसी शुल्क विलास की वस्तुओं पर ही लगाने चाहिएं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन पर पहले ही शुल्क लगाया गया है।

श्री बसन्तराव पुरुषोत्तम साठे : उन पर और भी शुल्क बढ़ा दें। गरीब व्यक्तियों की आय का 80 प्रतिशत आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय होता है। जो 12 करोड़ रुपये यह शुल्क लगाने से प्रयत्न किये जाने हैं वह तो विलास की वस्तुओं पर लगा कर और बकाया कर की राशि वसूल करके भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

मिट्टी के तेल पर शुल्क लगाने के लिये तर्क दिया गया है कि इसकी डीजल में मिलावट की जाती है। यह तर्क गलत है। मंत्री महोदय को मिट्टी के तेल पर शुल्क नहीं बढ़ाना चाहिए।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : I not only request the Finance Minister to withdraw the levy on kerosene oil but also to give subsidy for its transportation to hilly areas. Fruit processing is the main industry in hilly areas and kerosene is also a necessity for that industry. I also request that there ought to be a price guarantee for fruit, as is the case in respect of foodgrains. The Government should take some steps in respect of perishable commodities, for their preservation and for the well being of the people engaged in this field.

With these words I support the amendment.

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : वित्त विधेयक अन्य विधेयकों से भिन्न होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप वित्त विधेयक पर बोल रहे हैं अथवा संशोधनों पर ?

श्री के० नारायण राव : यह वित्त विधेयक का अंग है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम कुछ संशोधनों पर विचार कर रहे हैं। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता। स्पष्टतया आप को मालूम नहीं है कि सभा में क्या चर्चा चल रही है। कृपया आप बैठ जाइये।

Shri S. M. Banerjee : Having regard to the views expressed by so many Members, please reduce this levy to 4 paise.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूं। इस सदन की भावनाओं का आदर करते हुए मैंने मिट्टी के तेल पर शुल्क घटा दिया है।

देश के लिये साधन एकत्र करने का भारी उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। उर्वरक कृषि उत्पादन के लिये आवश्यक हैं। हम इनका आयात भी कर रहे हैं। कृषि आय बढ़ रही है, अतएव उन्हें आय का कुछ अंश देश के राजस्व के लिये देना चाहिये।

जहां तक केवल धनी कृषकों पर शुल्क लगाने का प्रश्न है, यह सम्भव नहीं है।

हमें मिट्टी का तेल आयात करना पड़ता है। जब आयातित वस्तु का मिलावट के लिये उपयोग किया जाता है तब हमें उस पर शुल्क लगाना ही पड़ता है।

यदि मैं संशोधनों को स्वीकार करने की स्थिति में होता तो मैं सदस्यों को निराश नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया
Amendment No. 2 was put

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में—36, विपक्ष में–132
The Lok Sabha divided. Ayes-36, Noes—132

संशोधन अस्वीकृत हुआ
Ths amendment was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 और 6 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुआ
Amendment Nos. 3 and 6 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तृतीय अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

तृतीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई
The Third Schedule was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चौथी तथा पांचवी अनुसूचियां खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

चौथी तथा पांचवी अनुसूचियां, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
The Fourth Schedule, the Fifth Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कई सदस्यों ने विधेयक के तृतीय वाचन में भाग लेने के लिये लिखा है । मैं उनका ध्यान नियम संख्या 94 और 356 की ओर दिलाता हूं जिनमें कहा गया है कि इस अवस्था में केवल विधेयक के पक्ष में अथवा विपक्ष में सामान्य रूप से बोला जा सकता है और यदि कोई माननीय सदस्य इस नियम का पालन नहीं करता तो अध्यक्ष उसे अपना भाषण जारी न रखने के लिए निदेश दे सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने भारतीय वायु सेना के विमानों के एक विशेष राजनीतिक दल तथा मंत्रियों द्वारा उपयोग किए जाने तथा उसपर लागत के बारे में जो प्रश्न पूछा था उसका कोई उत्तर सरकार ने नहीं दिया है।

विदेशी सहयोग-कर्त्ताओं की संख्या 1956 में 384 थी जो कि 1971 में 3545 हो गई है। लाभ को विदेशों में ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और नियमों में परिवर्तन कर कोई सुझाव नहीं दिया गया है। विदेशों को जो धन जा रहा है उसमें वृद्धि हो रही है।

हुगली पुल का ठेका सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को न देकर गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया गया है क्योंकि बंगाल प्रशासन का एक बहुत बड़ा अधिकारी उसमें रुचि रखता है। इस मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए श्री आर० पी० गोयनक तथा सरस्वती प्रेस को पत्र भेजना चाहिए।

इसलिए मैं कहता हूं कि वित्त विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाये।

***श्री के० सूर्य नारायण** (एलूरु) : मैं वित्त मंत्री को भली प्रकार विचारित बजट रखने के लिये धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने करों को न्यूनतम रखने की चेष्टा की है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिएं, जो अतिरिक्त करों द्वारा ही जुटाए जाते हैं। कराधान का प्रभाव समाज के किसी न किसी वर्ग पर पड़ता ही है। वित्त विधेयक पर मतदान से सिद्ध हो गया है कि विधेयक के प्रस्ताव उचित हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों से आग्रह करता हूँ कि वे फालतू भूमि को, भले ही वे रेलवे की हो अथवा सेना की, भूमिहीन लोगों को वितरित कर दें। एक दो दलों को छोड़कर सभी ने भूमि सुधार लागू करने के पक्ष में मत दिया है। पिछले अनुभवों के कारण जनता को यह विश्वास नहीं है कि चुनावों के दौरान दिये गये वचनों को पूरा किया जायेगा। भूमि के वितरण से ही लोगों के मन में विश्वास पैदा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य है कि भूमि का वितरण समान और उचित आधार पर हो।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथम वाचन में सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। माननीय सदस्य को अपने तथा अन्य सदस्यों के तर्कों को दोहराना नहीं चाहिए।

श्री के० सूर्य नारायण : हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। धनी किसानों को तो किसी प्रकार ऋण मिल भी जाता है परन्तु छोटे किसानों को धन नहीं मिल पाता।

तम्बाकू पर शुल्क में अत्यधिक वृद्धि के बाद भी, तम्बाकू पर उत्पादकों को दी जाने वाली सुविधाएं उनके द्वारा दिये जाने वाले करों के अनुरूप नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पुराने तर्कों को न दोहराते हुए कोई नई बात कहनी हो तो कहें तथा विधेयक का समर्थन अथवा विरोध करें।

---

*तेलगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

श्री के० सूर्य नारायण : मैं अन्त में सरकार से आग्रह करता हूं कि वे भ्रष्टाचार का उन्मूलन करते हुए भूमि सुधारों को ईमानदारी से लागू करे। राज्य सरकारों द्वारा अपने ढंग से भूमि सुधारों को लागू किये जाने से केन्द्र को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केन्द्र को इस कार्य को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मुझे तीन बातें कहनी हैं। पहली बात वर्ष 1971 के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के बारे में है। इस प्रतिवेदन में नागरवाला के मामले तथा बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा की गई जालसाजी का कोई उल्लेख नहीं है। इससे तो नागरवाला काण्ड का रहस्य और अधिक गहरा हो गया है। समूचे रूप में यह स्टेट बैंक आफ इण्डिया के निदेशक बोर्ड की लापरवाही सिद्ध करता है।

दूसरी बात उत्पादन शुल्क के बारे में है। कुछ उद्योगों ने अपनी क्षमता को बढ़ा लिया हैं। क्या उन्होंने अतिरिक्त उत्पादन पर कोई अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का भुगतान किया है? इस बारे में हमें बिलकुल जानकारी नहीं है। यह एक गंभीर मामला है।

समाजवादी सिद्धान्तों वाली किसी भी सरकार के लिये यह आवश्यक है कि सार्वजनिक बचत में वृद्धि करने हेतु हर सम्भव प्रयास करे।

श्री सी० ई० भट्टाचार्य (गिरिडीह) : अभ्रक पर निर्यात शुल्क के मामले में असंतोष फैला हुआ है। सरकार द्वारा नियुक्त अभ्रक परामर्शदात्री समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें उसने शुल्क में कमी की सिफारिश की है। जो की गई है, दुर्भाग्यवश, उससे केवल अभ्रक के छह एकाधिकारियों ही लाभान्वित होंगे और शेष 200-300 अभ्रक का काम करने वाले व्यक्तियों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यदि अभ्रक पर निर्यात शुल्क में सामान्य कमी नहीं की जाती है तो पांच-छह बड़े निर्यातकों को दी गई राहत वापस ले लेनी चाहिये।

मध्यावधि मूल्यांकन में बाह्य भुगतानों में 464 करोड़ रुपये का अन्तर है। दिसम्बर, 1970 में 161 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। जनवरी, 1972 में 143 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ तथा 134 करोड़ रुपये का आयात हुआ। दिसम्बर, 1970 में धन पूर्ति की स्थिति 6000 करोड़ रुपये और दिसम्बर, 1971 में 7,800 करोड़ रुपये थी। आर्थिक संकेतक प्रोत्साहन देने वाले नहीं हैं।

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लोर) : सरकार के अनुरोध पर श्री निकोलस कालडोर ने कराधान की भारतीय प्रणाली का अध्ययन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने 1958 में व्यय-कर लागू किया परन्तु 1962 में उसे यह कह कर हटा दिया गया कि इससे करापवंचन होता है। व्यय-कर को पुनः लागू किया जाना चाहिए। इससे धनवानों की फिजूल खर्ची कम होगी तथा काला-धन सफेद धन में बदल जायेगा और बचत में वृद्धि होगी।

भारत सरकार ने 1953 में कराधान जांच आयोग स्थापित किया था। उसने कुछ सुझाव दिये, जिनमें से कुछ सुझावों को लागू भी किया गया, परन्तु अब समय बदल गया है तथा आज हमें समाजवादी समाज की स्थापना करनी है। अतः इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये नये कराधान जांच आयोग की स्थापना की जाये ताकि हमारे देश में कराधान विधि को सरल और संहितावद्ध करने में सहायता मिले।

भूमि और शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के लिए भी हमें कराधान विधि में नये उपबन्ध रखने होंगे।

1971-72 के आर्थिक सर्वेक्षण में पृष्ठ 70 पर किसी प्रमुख शीर्षक के अन्तर्गत कहा गया है कि उचित केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का उद्भ्व न केवल संसाधन जुटाने के लिए ही महत्वपूर्ण है अपितु उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग और असमानताएं दूर करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अतः राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : The Government has allowed 40 per cent of sugar to be sold in the free market but the consumers are being fleeced because sugar is being sold at Rs. 3.50 per kg.

No mention has been made about any change in the Union Public Service Commission, whether new members would be brought in the Commission or the present system of examination would be changed. Government should pay attention to it.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : I rise to oppose this Bill. The provision for giving aid to North Bihar—be it from L. I. C. or Financial Corporation—is quite inadequate. Top most priority should have been given to North Bihar in regard to giving credit. The Government has announced time and again that the less per capita credit given to the backward areas would be increased. But no attention has been given to North Bihar in this regard. Some arrangements should be made to give more per capita credit there.

The Central Government should give financial aid and credit to Bihar Government for the purchase of fertilizers.

The Arthur Butler Company should be taken over so that the workers could get employment and the Company could develop.

Loans should be given to Bihar Government so that they could solve the problem of housing for agricultural labour living in villages of Bihar.

The River Valley Projects in Bihar should be taken over by the Central Government because their work is not proceeding satisfactorily.

Government should give as much aid as possible for the development of backward areas in Bihar.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : Today everyone supports the price guarantee to the farmer but have this hon. House and the hon. Minister ever considered to give price guarantee for fruits which is the sole produce of our northern border ? The fruits worth Rs. 80 to 100 crores are produced in our hilly areas but their price guarantee has not been ensured so far.

Various taxes such as excise duty, sales tax etc. are levied on the fruits which are brought to the plains for sale. There are no transportation facilities for them. The farmers in the hilly areas of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh are thus put to a loss of about Rs. 6 crores. The nationalised banks do not advance any loan to the fruit growers or the processing units. As there are no proper arrangements for marketing the fruits, the middlemen exploit the farmers and therefore it is essential that the difficulties of the farmers be removed in order to save them from exploitation.

श्री जी० विश्वनाथन् (वांडीवाश) : राज्यों की वित्तीय अवस्था में सुधार करने और उन्हें ऋणग्रस्तता से मुक्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि सरकार एकाधिकार के विस्तार के विरुद्ध है। 1971 में इसी सभा में हमने आरोप लगाया था कि 159 लाइसेंसों में से 114 लाइसेंस बड़े-बड़े एकाधिकार गृहों को दिये गए हैं। फिर भी सरकार उनको बार-बार लाइसेंस क्यों दे रही है ?

सत्तारूढ़ दल निस्संदेह प्रजातांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखता है, परन्तु फिर भी उसने बिहार और पंजाब में कुछ समितियां, यथा सम्पर्क समिति, अथवा 'वाचडाग' समिति अथवा 'सुपर-कैबिनेट्स' की नियुक्ति की है। ऐसी नियुक्तियों से राज्य सरकारों का स्तर तथा प्राधिकरण गिर जायेगा और मुख्य मंत्रियों का स्तर भी शनैः शनैः घट जायेगा। उन पर प्रभाव डाला जायेगा। सरकार ने ऐसी स्थिति क्यों पैदा की है ? बिहार तथा पंजाब में गठित की गई 'वाचडाग' समितियां असंवैधानिक तथा गैर-कानूनी हैं। इन्हें भंग किया जाना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्री श्यामनन्दन मिश्र ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया के बारे उल्लेख किया। मैंने प्रतिवेदन देखा है। मैं नहीं समझता कि उनके लिए किसी विशेष घटना का उल्लेख करना आवश्यक है।

दूसरा प्रश्न लाइसेंसे क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन के बारे में था तथा क्या उससे करापवंचन होता है ? मेरी यह मान्यता है कि जो कुछ भी पैदा किया गया है वह उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा देख लिया गया होगा परन्तु फिर भी मैं देखूंगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। इस प्रतिक्रिया की जांच करने के लिये हमने एक समिति बनाई है।

सार्वजनिक बचत के बारे में जो दृष्टिकोण रखा गया है मैं उससे सहमत हूं और उस सम्बन्ध में हमारा मुख्य प्रयास यही होगा।

जिन माननीय सदस्यों ने राज्य सरकारों और उनके वित्त के बारे में प्रश्न उठाया है, मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि इस वित्त विधेयक के अन्तर्गत भी एक-तिहाई से अधिक राशि राज्यों के लिये है। जहां तक केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों का प्रश्न है, हम इस बारे में काफी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं।

केन्द्र तो राज्यों की सहायता करने के लिए यथासम्भव बहुत कुछ करेगा परन्तु राज्यों को भी पहले अपनी सहायता आप करनी चाहिये। यह महत्वपूर्ण बात है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : अनधिकृत शक्ति चालित करघों द्वारा उत्पादन शुल्क का काफी अपवंचन किया जाता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसकी जांच करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1972-73
DEMANDS FOR GRANTS RAILWAYS, 1972-73

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1972-73 के बजट (रेलवे) की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी ।

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इच्छुक हों वे अपनी परचियां 15 मिनट के अन्दर टेबल पर भेज दें ।

रेल मन्त्रालय की वर्ष 1972-73 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	1,23,89,000
2	विविध व्यय	5,41,46,000
3	चलित लाइनों और अन्य को भुगतान	12,82,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	67,20,34,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	232,19,19,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	143,57,81,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन)	129,58,81,000
8	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	37,89,69,000
9	संचालन व्यय—विविध व्यय	28,94,67,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण	21,99,94,000
11	संचालन व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	82,50,00,000
11 (क)	संचालन व्यय—पेंशन निधि में विनियोग	12,00,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
12	सामान्य राजस्व को लाभांश	155,15,39,000
13	चालू लाइन निर्माण कार्य (राजस्व)	5,25,27,000
14	नई लाइनों का निर्माण—पूंजी और मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि	28,28,91,000
15	चालू लाइन निर्माण कार्य—पूंजी, मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि तथा विकास निधि	489,14,56,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	7,57,89,000
17	सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उनके ब्याज की अदायगी—विकास निधि	4,19,02,000
18	विकास निधि में विनियोग	20,50, 06,000
19	राजस्व आरक्षित निधि में विनियोग	12,03,37,000
20	अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान—सामान्य राजस्व से लिए गये ऋण और उनके ब्याज की अदायगी—राजस्व आरक्षित निधि	12,33,30,000

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह एक महत्वपूर्ण अवसर है इसलिए हम चाहते हैं कि रेलवे मन्त्री को यहां उपस्थित होना चाहिए।

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

रेलवे में बड़ी मात्रा में पूंजी लगी हुई है, वर्ष 1950-51 में जहां इसके 900 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई थी वहां यह बढ़कर 1970-71 में 3218.77 करोड़ रुपए तक पहुंच गयी है, इसी प्रकार वर्ष 1960-61 में श्रेणी I के अधिकारियों की संख्या 1067 थी जो वर्ष 1970-71 तक बढ़कर 7,601 हो गयी है।

सरकार का अपने कर्मचारियों के प्रति व्यवहार संतोषजनक नहीं है । ब्रिटेन में रेलवे की कुल आय का 64 प्रतिशत कर्मचारियों पर व्यय किया जाता है जबकि जापान में यह 59 प्रतिशत है, भारत में यह केवल 50 प्रतिशत है । दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, पूर्वी जोन में यात्रियों के लिए सुविधाएं बहुत कम हैं ।

पूर्वी रेलवे में फरक्का के अतिरिक्त कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है । हम इस बात का निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं कि विशेषकर सियालदह डिवीजन में उपनगरीय रेल गाड़ियों में सुधार हो परन्तु वहां तो रेलगाड़ियों की संख्या को कम किया जा रहा है, सियालदह डिवीजन में यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, त्रैमासिक अथवा मासिक टिकटों की बिक्री में धांधलेबाजी की जाती है । यात्रियों को इससे परेशानी उठानी पड़ती है, राजनीतिक कारण तथा प्रतिभा और प्रबन्ध व्यवस्था में कमी के कारण समूचा रेलवे ढांचा बिगड़ा हुआ है । यह देश में सबसे बड़ा सरकारी उद्योग है परन्तु इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है ।

हम मार्टिन लाइट रेलवे से हावड़ा स्टेशन तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए कह रहे है, सरकार उन्हें रोजगार देने में पूर्णतया असफल रही है । अब उनसे कहा जा रहा है कि वे स्वयं अपने लिए रोजगार ढूंढें, बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा प्रकाशित पुस्तक में पश्चिम बंगाल में परिवहन की शोचनीय अवस्था का विशद वर्णन किया है ।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि रेलवे ने मेरे क्षेत्र में संतोषजनक ढंग से सेवा नहीं की है । वहां वैगनों का क्रमिक अभाव पैदा किया गया है, इस मामले में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, वैगनों की कमी के कारण कोयला खानों से श्रमिकों को निकाला जा रहा है और विशेषकर झरिया, रानीगंज और आसनसोल में स्थिति गम्भीर है ।

मैं इस गम्भीर आरोप को दोहराता हूं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है । आप एक बड़ी राशि देकर वैगनों को किसी समय भी प्राप्त कर सकते हैं, इन वैगनों का प्रयोग कोयला हरियाणा और गुजरात में ले जाने के लिए किया जाता है जहां इसे ऊंचे मूल्यों पर बेचा जाता है, झरिया, आसनसोल और रानीगंज से कोयला ट्रकों द्वारा ऐसे स्थानों पर ले जाया जाता है,जहां वैगन उपलब्ध किए जाते हैं । यह सब बड़े अधिकारियों की नजर में होता है जिनकी व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ रहती है । इस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हावड़ा में जिन्होंने धनराशि जमा करने वाले एजेन्टों के साथ सांठ-गांठ करके एक गिरोह बनाया हुआ है ।

सभापति महोदय : आपको किसी व्यक्तिविशेष का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए यहां उपस्थित नहीं है, जो व्यक्तिविशेष यहां उपस्थित नहीं है उसका नाम नही लिया जाना चाहिए । माननीय सदस्य जो चाहें कह सकते हैं, परन्तु किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं लिया जाना चाहिए ।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

रेल मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	22	**श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**	मद्रास-विजयवाड़ा विद्युतीकरण परियोजना का कार्यालय विजयवाड़ा में खोलने से इंकार करने और इस प्रकार आंध्र प्रदेश में कर्मचारियों को पदोन्नति और रोजगार के अवसरों से वंचित करना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
1	23	,,	दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में ड्राइवरों के रूप में पदोन्नति के मामले में पदोन्नत और प्रशिक्षु व्यक्तियों के मध्य समुचित अनुपात बनाये रखने में असफलता।	,,
1	24	,,	वर्कस् मिस्त्रियों और ए० वाई० ओ० डब्ल्यू० में समुचित बरीयता बनाये रखने में असफलता, जिसके कारण विभिन्न रेलवे के इंजीनियरी विभागों में वरिष्ठ कर्मचारियों की छंटनी हुई है और कनिष्ठ कर्मचारियों की सेवा जारी रखी गयी है।	,,
1	25	,,	दक्षिण मध्य रेलवे में फायरमैनों की समुचित बरीयता बनाये रखने में असफलता जिसके कारण कनिष्ठ कर्मचारी ड्राइवरों के रूप में प्रशिक्षित किये गये हैं और उनकी पदोन्नति की गयी है।	,,
1	26	,,	डीजल लोको शेड, गुन्ठाकल के कर्मचारियों द्वारा 2 और 3 अप्रैल, 1971 को हड़ताल किये जाने के कारण उनकी सेवा में किये गये व्यवधान को समाप्त न करना।	,,
1	27	,,	डीजल लोको शेड़, गूटी, के कर्मचारियों द्वारा 27 फरवरी, 1971 को की गई हड़ताल के कारण उनकी सेवा में किये गये व्यवधान को समाप्त न करना।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	28	**श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**	दक्षिण मध्य रेलवे में मचेरला से सिकन्दराबाद तक रेलवे लाइन बढ़ाने सम्बन्धी निर्माण कार्य को आरम्भ करने में विलम्ब ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
1	29	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे के बस्तर और कोरापुट जिलों में रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने में विलम्ब ।	,,
1	30	,,	दक्षिण रेलवे के गुँटाकल डिवीजन को दक्षिण मध्य रेलवे को हस्तान्तरित करने और आनुषंगिक समायोजन करने में असफलता ।	,,
1	31	,,	तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिये रायचुर रेनिगुंता सवारी गाड़ी को तिरुपति तक बढ़ाने में असफलता ।	,,
1	32	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी और गढ़हरा के रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता न देना ।	,,
1	33	,,	रेलवे में काम कर रहे विद्यमान 105 संगठनों के स्थान पर एक संयुक्त मजदूर संघ संगठन बनाने में असफलता ।	,,
1	34	**श्री रामावतार शास्त्री :**	रेलों में भ्रष्टाचार और चोरी रोकने में असफलता ।	,,
1	35	,,	रेलवे बोर्ड के नौकरशाही स्वरूप को बदलने की आवश्यकता ।	,,
1	36	,,	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता ।	,,
1	37	,,	उच्च अधिकारी बोझिल प्रशासन को समाप्त करने में असफलता ।	,,
1	38	,,	फिजूल खर्ची रोकने में असफलता ।	,,
1	39	,,	विभिन्न रेलवे कर्मचारी संघों से सहयोग करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	40	**श्री रामावतार शास्त्री :**	रेल गाड़ियों में सफाई, रोशनी और पेय जल की कमी दूर करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
1	41	,,	कर्मचारियों के ग्रेड निर्धारित करने और उन की बदली करने की दोषपूर्ण पद्धति ।	,,
1	42	,,	मोसमी रेल टिकटों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव को नामंजूर करने की आवश्यकता ।	,,
1	43	,,	तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये सुविधाओं का अभाव ।	,,
1	44	,,	रेलों में काम करने वाले आकस्मिक श्रमिकों को स्थायी न बनाना ।	,,
1	45	,,	रेलों में काम करने वाले एबजी मजदूरों को खपाने में असफलता ।	,,
1	46	,,	विभिन्न रेलवे कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान करने में असफलता ।	,,
1	47	,,	मैसर्स मारटिन बर्न लिमिटेड द्वारा संचालित रेलवे को सरकार द्वारा अपने हाथ में न लेना ।	,,
1	48	,,	छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में असफलता ।	,,
1	49	,,	देश में रेलों के सम्यक विकास की योजना बनाने में असफलता ।	,,
1	50	,,	उत्तर सीमा रेलवे के कटिहार डिवीजनल कार्यालय में बिहार के लोगों को नियुक्त करने में असफलता ।	,,
1	51	,,	रेलवे में शत-प्रतिशत भोजनालयों को विभागीय आधार पर चलाने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	52	**श्री रामावतार शास्त्री :**	पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा और पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
1	64	**श्री सुरेन्द्र महन्ती :**	दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को उड़ीसा ले जाना।	100 रुपये
1	65	**श्री रामावतार शास्त्री :**	बरौनी-गरहारा में पांच हजार से अधिक रेल कर्मचारियों के विरुद्ध 33 दिन की हड़ताल में भाग लेने के लिये सेवा के आदेशों में अवरोध को वापस लेने में असफलता।	,,
1	66	,,	परियोजना भत्ते की स्वीकृति के लिये वर्ष 1971 में 33 दिन की शान्तिपूर्ण हड़ताल में भाग लेने के लिये 300 से अधिक रेल कर्मचारियों तथा उनके नेताओं के विरुद्ध अदालत के मामलों को वापस लेने में असफलता।	,,
1	67	,,	बरौनी-गरहारा में तथा बरौनी परियोजना से 20 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत अन्य स्थानों में काम कर रहे रेल कर्मचारियों को परियोजना भत्ता स्वीकृत करने में असफलता।	,,
1	68	,,	परियोजना भत्ते की स्वीकृति के लिये 1971 में 33 दिन की हड़ताल में भाग लेने के लिये बरौनी-गरहारा के 56 रेल कर्मचारियों तथा उनके नेताओं के विरुद्ध पास किये गए निलम्ब आदेश वापस लेने में असफलता	,,
1	69	,,	भारतीय रेल लोको मैकेनिकल कर्मचारी संघ को मान्यता देने में असफलता।	,,
1	70	,,	अखिल भारतीय रेल अनुसचिवीय कर्मचारी संघ को मान्यता देने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	71	**श्री रामावतार शास्त्री :**	अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ को मान्यता देने में असफलता ।	100 रुपये
1	72	,,	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ को मान्यता देने में असफलता ।	,,
1	73	,,	धनबाद के 11 रेल कर्मचारियों तथा उनके नेताओं के विरुद्ध पास किये गये निलम्बन आदेश वापस लेने में असफलता ।	,,
1	74	,,	जमशेदपुर, चक्रधरपुर, कुशन्दा और अन्य स्थानों पर रेल कर्मचारियों के विरुद्ध उत्पीड़न आदेश वापस लेने में असफलता ।	,,
1	75	,,	माल तथा पार्सलों को लादने और उतारने के लिये वर्तमान ठेका-प्रणाली समाप्त करने तथा इस काम के लिये नियमित मजदूरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1	76	,,	रेलवे में काम की ठेका-प्रणाली समाप्त करने और रख-रखाव तथा निर्माण आदि का काम विभागीय तौर पर करने की आवश्यकता ।	,,
1	77	,,	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये स्वच्छ तथा निष्पक्ष प्रक्रियाएं अपनाने की आवश्यकता ताकि भ्रष्टाचार द्वारा अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति जैसा कि आजकल हो रहा है, रोकी जा सके।	,,
1	78	,,	पक्षपात तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न सभी स्थानापन्न पदोन्नतियों को बन्द करके, स्थानान्तरण तथा पदोन्नति के बारे में निश्चित तथा निष्पक्ष नीति की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	79	**श्री रामावतार शास्त्री** :	भ्रष्ट कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध अनुकरणीय अनुशासनात्मक कार्य-वाही, जो कम से कम सेवा से बर्खास्तगी होनी चाहिये, करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	80	,,	रेल कर्मचारियों को उनके अधिकारों, विशेषा-धिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में जान-कारी देने के लिये कारगर व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
1	81	,,	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा को मान्यता देने की आवश्यकता।	,,
1	82	,,	सभी रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
1	83	,,	बरौनी से मुगलसराय तक सीधी सवारी गाड़ी या शटल गाड़ी चलाने की आवश्य-कता।	,,
1	84	,,	पूर्वी रेलवे की पटना-गया लाइन पर एक ऐसी रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता, जो सभी स्टेशनों पर रुके और पटना प्रातः 6 बजे पहुंच जाये।	,,
1	85	,,	पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
1	86	,,	अखिल भारतीय विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के सदस्यों को यात्रा संबंधी रियायतें देने की आवश्यकता।	,,
1	87	,,	नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार रेलों को कोयला सप्लाई करने में असफलता।	,,
1	88	,,	रेलों में कोयले की चोरी और बर्बादी।	,,

मांग संख्या	कटोती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	89	**श्री रामावतार शास्त्री** :	रेल दुर्घटनाओं में ग्रस्त कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा देने में असफलता ।	100 रुपये
1	90	,,	भारतीय रेलों में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये आठ घंटे की ड्यूटी निश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
1	91	,,	पूर्वोत्तर रेलवे पर समस्तीपुर में एक रेलवे हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	,,
1	92	,,	पेंशन की अदायगी में अनियमिततायें ।	,,
1	93	,,	पूर्व रेलवे के पटना–गया लाइन पर तारेगना स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का एक प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	94	,,	जमालपुर रेल कर्मशाला से पीतल की चोरी रोकने में असफलता ।	,,
1	95	,,	जमालपुर रेल कर्मशाला में हुई चोरियों में रेल अधिकारियों की सांठ गांठ ।	,,
1	96	,,	गैर-मान्यता-प्राप्त संघों के साथ भी सामूहिक सौदाकारी करने की आवश्यकता ।	,,
1	97	,,	अखिल भारतीय कैरेज और वैगन स्टाफ कौंसिल को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
1	98	,,	पूर्व रेलवे में, विशेषकर दानापुर डिवीजन में बेकार का सवारी गाड़ियों के साथ जोड़ा जाना ।	,,
1	99	,,	रेलों के लिये कोयला गैर-सरकारी खान मालिकों से लेने के बजाय केवल राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से ही लेने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	100	**श्री रामावतार शास्त्री :**	कर्मचारियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सहयोग से रेल प्रबन्ध और प्रशासन को लोकतंत्री बनाने में असफलता ।	100 रुपये
1	101	,,	पटना के मीठापुर में एक पक्का उपरी-पुल बनाने में असफलता ।	,,
1	102	,,	पटना अथवा दानापुर में रेल सेवा आयोग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता ।	,,
1	103	,,	पूर्व रेलवे में पटना जंकशन स्टेशन का नाम बदलकर पाटलीपुत्र रखने में असफलता ।	,,
1	104	,,	पटना सिटी स्टेशन का नाम बदलकर पटना साहिब रखने में असफलता ।	,,
1	105	,,	रेलवे बोर्ड की श्रम-विरोधी नीति ।	,,
1	106	,,	भूतपूर्व रेल मंत्री, श्री नन्दा द्वारा आरम्भ किये गये 10 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में असफलता ।	,,
1	107	,,	रेल में सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफलता ।	,,
1	108	,,	मजदूर संघों को मान्यता देने के लिये गुप्त मतदान प्रणाली अपनाने में असफलता ।	,,
1	109	,,	रेलों में एक मजदूर संघ प्रणाली लागू करने में असफलता ।	,,
1	110	,,	रेलों में भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची रोकने के लिए रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, धनवाद, के साथ सहयोग करने में असफलता ।	,,
1	111	,,	भारतीय रेलवे के उच्च अधिकारियों के वेतन कम करने में सफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	112	**श्री रामावतार शास्त्री :**	जो कर्मचारी दीर्घकाल से अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थायी घोषित करने में असफलता।	100 रुपये
1	113	,,	रेलों के तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पर्याप्त औषधियों तथा अन्य चिकित्सा-सुविधाओं का अभाव।	,,
1	114	,,	रेलवे बोर्ड का असंतोषजनक कार्य।	,,
1	115	,,	रेलवे बोर्ड द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा भ्रष्टाचार।	,, ,,
1	116	,,	रेलों में चोरी और तोड़-फोड़ को रोकने में असफलता।	,,
1	117	,,	सप्ताह में 48 घन्टे का कार्य तथा एक छुट्टी निर्धारित करने में असफलता।	,,
1	118	,,	रेलवे विश्राम गृहों के किराये को कम करने की आवश्यकता।	,,
1	119	,,	बरौनी-गढ़हारा और धनबाद आदि के उत्पीड़ित कर्मचारियों को पासों और पी० टी० ओ० संबंधी सुविधायें देने की आवश्यकता।	,,
1	120	,,	आकस्मिक और एवजी में रखे गये रेल कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा देने में असफलता।	,,
1	121	,,	चेकिंग स्टाफ को रनिंग स्टाफ का दर्जा देने में असफलता।	,,
1	122	,,	देश के विभिन्न भागों में बन्द की गयी लाइट रेलवे के कर्मचारियों को पुनः काम देने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	123	**श्री रामावतार शास्त्री** :	सामान्य प्रबन्ध, सिविल इंजीनयरी, मिकेनिकल, यातायात, इलैक्ट्रीकल सिगनल और संचार -विभागो में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की अधिक भर्ती।	100 रुपये
1	124	,,	आरा—सहराम और फतुवा—इस्लामपुर लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने असफलता।	,,
1	125	,,	रेलवे कर्मचारियों को पानी, बिजली, पंखे, शौचालय आदि की सुविधाओं सहित प्रर्याप्त क्वार्टर देनें में असफलता।	,,
1	126	,,	रेलों में कोयला और राख ढोंने संबंधी ठेका प्रणाली समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
1	127	,,	ठेकेदारों के साथ कोयला उठाने धरने का काम पांच से बीस वर्षों कर रहे सभी मज-दूरों को स्थायी घोषित करने में असफलता।	,,
1	128	,,	भारतीय रेलों के रनिंग स्टाफ की आठ घंटे की ड्यूटी निर्धारित करने में असफलता।	,,
1	129	,,	ठेके के मजदूर रखने की प्रथा समाप्त करने में असफलता।	,,
1	130	,,	रेलवे अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अपने घर का काम करवाना।	,,
1	131	,,	रेलवे सुरक्षाबल की वैगनों की तोड़—फोड़ करने वाले व्यक्तियों के साथ सांठ-गांठ।	,,
1	132	,,	रेलों के डिब्बों की तोड़फोड़ और रेलवे सम्पत्ति की चोरी में उच्च अधिकारियों का हाथ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	133	**श्री रामावतार शास्त्री** :	बरौनी, गड़हारा, जमालपुर, धनबाद, फुलवाड़ीशरीफ, नेऊरा आदि में दिन दहाड़े रेल डिब्बों की तोड़-फोड़ रोकने में असफलता।	100 रुपये
1	134	,,	रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के लिये सैलून सुविधायें समाप्त करने में असफलता।	,,
1	135	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर में डिवीजनल अधीक्षक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता।	,,
1	136	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के थानाबीहपुर स्टेशन पर ऊपरी-पुल के निर्माण की आवश्यकता।	,,
1	137	,,	भारतीय रेलों के कोच परिचारों की न्यायोचित मांगें स्वीकार करने की आवश्यकता।	,,
1	138	,,	भोजन यान और भोजनालयों में कमीशन के आधार पर खान पान प्रबन्धक रखने सम्बन्धी व्यवस्था समाप्त करने में असफलता।	,,
1	139	,,	भारतीय रेलवे सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने में असफलता।	,,
1	140	,,	सभी माल गोदामों से रेलवे का सुरक्षा बल के कर्मचारियों को हटाने और उनकी जगह चौकीदार नियुक्त करने की आवश्यकता।	,,
1	141	,,	अखिल भारतीय गाड़ी परीक्षक कल्याण समिति को मान्यता देने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	142	**श्री रामावतार शास्त्री :**	सियालदह कोचिंग अनुरक्षण यार्ड (नया-स्टाफ साइडिंग) में उचित रोशनी का प्रबन्ध और दिन के 12 बजे से 3.30 बजे तक पानी की सप्लाई न करना जो कि इस अवधि में गत बीस महीनों से बन्द रही है और जिसके कारण अपर इण्डिया एक्सप्रेस तथा अन्य गाड़ियों में कठिनाई होती है ।	100 रुपये
1	143	,,	सियालदह को अपेक्षित डिब्बे न देना, जिनके लिये 17अप/18 डाउन और 14 डाउन /13 अप का ओवरलैपिंग उपलब्ध नहीं है जिसके परिणाम-स्वरूप डिब्बे डाउन/अप हो जाते हैं और इस प्रकार समुचित अनुरक्षण नहीं हो पाता ।	,,
1	144	,,	कुछ कनिष्ठ रेलगाड़ी परीक्षकों को जो 1.4.66 को अथवा उसके बाद नियुक्त किये गये थे, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एन जी)/ 1-69— पी०एम०-1-130 दिनांक 2-7-70 के अनुसार 205-280 रूपये का वेतनमान देना जब कि वरिष्ठ रेलगाड़ी परीक्षकों को वह वेतनमान न दिया जाना जो कि उन्हें केवल 2.7.70 से दिया जा रहा है ।	,,
1	145	,,	रेलवे बोर्ड द्वारा डिब्बा उत्पादन निरीक्षकों और अन्य रेलवे कर्मचारियों को जो मेसर्स इण्डियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी बर्नपुर आसनसोल में कार्य कर रहे हैं, 1964 और 1965 की अवधि के बकाया मकान किराया भत्ते की अदायगी करने में घोर उपेक्षा ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	146	**श्री रामावतार शास्त्री :**	जमालपुर खान में डिब्बों की कमी के कारण काम का रुकना और इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या पैदा करना ।	100 रुपये
1	147	,,	जमालपुर स्टेशन के पूछताछ काउन्टर पर किसी व्यक्ति को तैनात करने की आवश्यकता ।	,,
1	148	,,	रेल वैगनों के आवंटन में भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	,,
1	149	,,	भारतीय रेलवे में 2-4-66 को या इसके बाद नियुक्त किये गये ग्रेड 'डी' के रेलगाड़ी परीक्षकों (180-240 रुपये) के साथ, उनके पदों को, उन रेलगाड़ी परीक्षकों के पदों की तरह की जो 1.4.66 को या इससे पहले नियुक्त अथवा पदोन्नत हुये थे, अपग्रेड करने के मामले में भेद-भावपूर्ण व्यवहार किया गया क्योंकि इन दोनों समुदायोंके कर्तव्य और उत्तरदायित्व समान हैं ।	,,
1	150	,,	भारतीय रेलवे के रेलगाड़ी परीक्षकों को, उनकी 205-280रूपये के वेतनमान में पदोन्नति होने के बाद 1.4.66से1.7.70 तक की अवधि के वेतन की बकाया राशि देने से इन्कार करके उनके साथ किया गया अन्याय, यद्यपि उसी ग्रेड में कनिष्ठ नवागन्तुक कर्मचारियों को यह बकाया राशि दे दी गई है ।	,,
1	151	,,	अखिल भारतीय सिगनल और दूर संचार कर्मचारी संघ को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	152	**श्री रामअवतार शास्त्री**	जमालपुर कर्मशाला से केन्द्रीय आरक्षित पुलिस का वापस लिया जाना जब कि वहां पर चोरी, मालडिब्बों की तोड़-फोड़ आदि की घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी।	100 रुपया
1	153	,,	दिये गये वचनों के बावजूद, जमालपुर में प्रखण्ड मुख्यालय बनाने में असफलता।	,,
1	154	,,	क्यूल से फरक्खा होते हुए कलकत्ता तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता।	,,
1	155	,,	प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों पर अमल करने में असफलता।	,,
1	156	,,	लोको शेड में मिकेनिकल कर्मचरियों के पदों को अपग्रेड करने के बारे में शंकरसरन न्यायाधिकरण की सिफारिशों पर अमल करने में असफलता।	,,
1	157	,,	दुर्घटनायें रोकने के लिये लोको शेड में काम करने वाले मिकेनिकल कर्मचारियों के पचीस प्रतिशत पदों को अपग्रेड करने सम्बन्धी दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता।	,,
1	158	,,	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भारतीय रेलवे में पांच वर्ष से अधिक की सेवा पूरी हो जाने पर तृतीय श्रेणी में पदोन्नति न देना, जैसी कि चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति समिति ने सिफारिश की है।	,,
1	159	,,	डीजलीकरण के कारण लोको पर्यवेक्षकों को स्टीम साइड से डीजल साइड में लगाने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	160	**श्री रामावतार शास्त्री :**	स्टीम लोको के वरिष्ठ पर्यवेक्षक की पदोन्नति न करना और डीजल साइड के कनिष्ठ पर्यवेक्षकों की पदोन्नति रोकना।	100 रुपये
1	161	,,	लोको रनिंग कर्मचारियों की तरह डीजल और स्टीम पर्यवेक्षकों की संयुक्त वरिष्ठता बनाये रखना जैसा कि रेलवे बोर्ड ने निर्णय दिया है।	,,
1	162	,,	लोको शेडों में लोको की मरम्मत के लिये लोको कर्मचारियों को आवश्यक सामग्री सप्लाई करने में असफलता।	,,
1	163	,,	लोको मिकेनिकल कर्मचारियों को वर्दियां सप्लाई करने में असफलता।	,,
1	164	,,	लोको शेडों में पुराने औजारों और संयंत्रों के स्थान पर नये औजार और संयंत्र देने में असफलता।	,,
1	165	,,	लोको शेडों में माप-दंड के अनुसार, जिसमें संशोधन करने की भी आवश्यकता है, पर्यवेक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
1	166	,,	राज्याध्यक्ष पंचार की सिफारिशों के अनुसार काम के निश्चित घण्टों के बाद समयोपरि भत्ता देने में असफलता।	,,
1	167	,,	लोको शेडों में फैक्टरी अधिनियम लागू करने में असफलता।	,,
1	168	,,	उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के डिवीजनल कार्यालय में स्टेनोग्राफरों के लिये छुट्टी रिजर्व रखने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	169	**श्री रामावतार शास्त्री :**	मकानों के आवंटन के लिये स्टेनोग्राफरों को अत्यावश्यक कर्मचारी मानने में असफलता।	100 रुपये
1	170	,,	दिल्ली में जुलाई, 1947 से पहले से रेलवे कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचरियों को रेलवे क्वार्टर देने में असफलता ।	..
1	171	,,	दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन में मजदूर संघ कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को रोकने की आवश्यकता ।	,,
1	172	,,	दक्षिण रेलवे में मदुरै डिवीजन से कर्मचारियों का एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में स्थानान्तरण रोकने की आवश्यकता।	,,
1	173	,,	दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन में अपनायी जाने वाली श्रम-विरोधी नीति ।	,,
1	174	,,	दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन में रेलवे मजदूर संघ नेताओं के सभी स्थानान्तरण आदेशों को रद्द करने की आवश्यकता ।	,,
1	175	,,	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन में बरिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन ।	,,
1	176	,,	भूमिहीन और खेतीहर मजदुरों में रेलवे की भूमि वितरित करने की आवश्यकता।	,,
1	177	,,	गैंग मैन के प्रमुखों के स्थान पर गैंग मैनों को रेलवे की भूमि वितरित करने की आवश्यकता, जैसा कि रेल मंत्री ने सुझाव दिया है ।	,,
1	178	,,	रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़ को रोकने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	179	**श्री रामावतार शास्त्री :**	रेल कर्मचारियों के लिये तीसरे वेतन आयोग की सिफरिशों को इस वर्ष के जून महीने तक प्रकाशित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	180	,,	उत्तार रेलवे मजदूर संघ को मान्यता देने में असफलता ।	,,
1	181	,,	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ को मान्यता देने में असफलता ।	,,
1	182	,,	भारतीय रेलवे चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
1	183	,,	अखिल भारतीय गार्ड्स कौन्सिल को मान्यता देने में असफलता ।	,,
1	184		अखिल भारतीय रनिंग स्टाफ एसोसिएशन,. को मान्यता देने में असफलता ।	
1	185	,,	भ्रष्टाचार रोकने के लिए धनबाद रेलवे मजदूर सम्पर्क समिति के साथ सहयोग करने में असफलता ।	,,
1	186	,,	पूर्व रेलवे के दानापुर (खगौल) स्टेशन के रेलवे हाई स्कूल को कालेज में बदलने की आवश्यकता ।	,,
1	187	,,	पूर्व रेलवे दानापुर (खगौल) रेलवे कालोनी में बरसात के दिनों में जमा होने वाले पानी की निकासी की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
1	188	,,	रेलवे द्वारा खगौल (दानापुर) नगरपालिका को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
1	189	,,	पूर्व रेलवे की पटना-गया लाइन को दोहरा करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	190	**श्री रामावतार शास्त्री** :	पूर्व रेलवे की पटना-गया लाइन पर चलने वाली सभी गाड़ियों में पानी, बिजली और सफाई का अभाव ।	100 रुपये
1	191	,,	पूर्व रेलवे की पटना-गया लाइन पर स्थित परसा, पोठही, नदवां, नदौल स्टेशनों पर शेड और पेय जल की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1	192	,,	पूर्व रेलवे के गुलजारबाग स्टेशन के दोनों ओर शेड बनवाने की आवश्यकता ।	,,
1	193	,,	पूर्व रेलवे के नेऊरा स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता ।	,,
1	194	,.	पूर्व रेलवे के नेऊरा स्टेशन पर लकड़ी का ऊपरी-पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	195	,,	पूर्व रेलवे के नेऊरा स्टेशन पर पार्सल आफिस के लिये इमारत बनवाने में असफलता ।	,,
1	196	,,	पूर्व रेलवे के दानापुर स्टेशन के वर्तमान ऊपरी-पुल को चौड़ा करने में असफलता ।	,,
1	197	,,	पूर्व रेलवे के दानापुर स्टेशन पर एक विश्राम-गृह बनवाने की आवश्यकता ।	,,
1	198	,,	पूर्व रेलवे के पटना–गया लाइन पर तारेगना स्टेशन की दोनों ओर शेडों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
1	199	,,	पूर्व रेलवे की गया–पटना पर तारेगना स्टेशन पर पेय जल का एक नल लगाने की आवश्यकता ।	,,
1	200	,,	पूर्व रेलवे में पटना-गया लाइन पर बिना टिक्ट यात्रा को रोकने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	201	**श्री रामावतार शास्त्री :**	पूर्व रेलवे के बिहटा स्टेशन से विक्रम-पालीगेज-अखाल होते हुये जहानाबाद तक एक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	202	,,	पूर्व रेलवे के जहानाबाद स्टेशन से आइक नगर से होते हुए राजगीर तक एक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता।	,,
1	203	,,	पूर्व रेलवे के दानापुर स्टेशन से दोहरी आसन सोल तक नहर के साथ-साथ एक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता।	,,
1	204	,,	पूर्व रेलवे में राजगीर और गया के बीच एक नई रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता।	,,
1	205	,,	पूर्व रेलवे के बंकाघाट स्टेशन पर प्लेट-फार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता।	,,
1	206	,,	पूर्व रेलवे के फुलवाड़ी शरीफ स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता।	,,
1	207	,,	पूर्व रेलवे में मुगलसराय से आसनसोल तक विद्युतकिरण करने में असफलता।	,,
1	208	,,	पूर्व रेलवे में दाना-पुर (खगौल) में काम करने वाले और रहने वाले रेल कर्मचारियों को नगर और मकान किराया भत्ता देने में असफलता।	,,
1	209	,,	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन के ऐवजी रेल कर्मचारियों को रोजगार दिलाने में असफलता।	,,
1	210	,,	पटना दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिये पटना जंक्शन स्टेशन के दक्षिण की ओर टिकटघर खोलने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	211	**श्री रामावतार शास्त्री :**	पटना जंक्शन स्टेशन के पूर्व में लकड़ी का एक ऊपरी-पुल बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
1	212	,,	पटना आर० एम० एस० के सामने स्टेशन पर एक शेड के निर्माण की आवश्यकता।	,,
1	213	,,	पटना जंक्शन स्टेशन के प्लेटफार्मों पर जहां से रेलगाड़ियां गया और रांची को जाती हैं, शेडों के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
1	214	,,	पटना जंक्शन स्टेशन से गन्दी बस्ती हटाने में असफलता ।	,,
1	215	,,	पटना के राजेन्द्र नगर स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के लिये एक हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता ।	,,
1	216	,,	दिल्ली से समस्तीपुर तक तेज रफ्तार वाली एक गाड़ी चलाने की आवश्यकता।	,-
1	217	,,	जमशेदपुर से समस्तीपुर तक दिन में चलने वाली एक तेज गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
1	218		पटना से धनबाद तक सीधी रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता।	
I	219	,,	पटना से रांची और वापसी के लिये दिन में एक तेज रफ्तारवाली गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
1	220	,,	रांची एक्सप्रेस के लिए तारेगना स्टेशन पर एक हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता।	,,
1	221	,,	दक्षिण बिहार एक्सप्रेस के लिए पटना सिटी स्टेशन पर एक व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	.,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	222	**श्री प्रसन्नभाई मेहता**	रेलो में केवल एक ही श्रेणी रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	223	,,	रेलों में वातानुकूलित श्रेणी को हटाने की आवश्यकता ।	,,
,,	224	,,	सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	225	,,	एक नयी भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	,,
,,	226	,,	रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़-भाड़ को रोकने में असफलता ।	,,
,,	227	,,	रेल कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये एक अलग न्यायाधिकरण बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	228	,,	रेल कर्मचारियों को राजस्व अधिशेष से पर्याप्त बोनस देने में असफलता ।	,,
,,	229	,,	कोयला, नमक और अन्य आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले-जाने के लिये पर्याप्त संख्या में रेल माल डिब्बों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	230	,,	तीसरे दर्जे के डिब्बों की दशा सुधारने की आवश्यकता ।	,,
,,	231	,,	रेल दुर्घटनाओं को बचाने वाले रेलवे इंजन ड्राइवरों को पुरस्कार देने की आवश्यकता ।	,,
,,	232	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**	जावरा और मंदसौर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिये छोटे शेडों को बड़े बनाने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	233	**डां० लक्ष्मीनरायण पाण्डेय**	रेलवे में बढ़ती हुई दुरवस्था को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
,,	234	,,	नीमच-मंदसौर-रतलाम के बीच शटल गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,
,,	235	,,	अजमेर-खंडवा के बीच मेल गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,
,,	237	**श्री जगदीश भट्टाचार्य**	बर्दवान से दुर्गापुर और दुर्गापुर से बर्दवान तक स्थानीय रेलगाड़ियां चलाने में असफलता ।	,,
,,	238	,,	आसनसोल से दुर्गापुर तक स्थानीय गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,
,,	239	,,	पूर्व रेलवे में छोटा पत्थर रेल क्रासिंग पर ऊपरी-पुल का निर्माण करने में असफलता ।	,,
,,	240	,,	आसनसोल में डलकाघाट-बलुआनला पर रेलवे सुरंगों की मरम्मत और समुचित देखभाल करने में असफलता ।	,,
,,	241	,,	आसनसोल और ओन्डल में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों के निर्माण में असफलता ।	,,
,,	242	,,	आसनसोल में रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों में पेय जल की समुचित सप्लाई करने में असफलता ।	,,
,,	243	,,	खड़गपुर और अदरा के बीच बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाने में असफलता ।	,,
,,	244	,,	अदरा होते हुए हावड़ा और गोमोह के बीच एक्सप्रैस गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	245	**श्री रेणुपद दास**	पूर्व रेलवे के लालगोला-राणाघाट सेक्शन में कृष्णनगर सिटी से आगे लालगोला तक विद्युतीकरण करने की आवश्यकता।	100 रुपये
"	246	"	बंगला देश और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान बन्द कर दी गई राणाघाट और लालगोला सवारी गाड़ी चलाने में असफलता।	"
"	247	'	पूर्व रेलवे में कृष्णनगर और लालगोला के बीच एक नई स्थानीय रेलगाड़ी चलाने में असफलता।	"
"	248	"	पूर्व रेलवे में बेथुआदाहरी स्टेशन पर ऊपरी-पुल के निर्माण में असफलता।	"
"	249	"	सियालदह डिवीजन में नदिया जिले में कृष्णनगर सिटी से शिकारपुर तक एक नई बड़ी लाइन के निर्माण में असफलता।	"
"	250	"	सियालदह डिवीजन के नवद्वीप घाट और शांतिपुर रेलवे स्टेशनों के बीच की छोटी लाइन के स्थान पर एक बड़ी लाइन के निर्माण में असफलता।	"
"	252	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**	विक्रमगढ़-एलोट से ताल बदावड़ा होते हुए रतलाम तक रेलवे लाइन बनाने में असफलता।	"
"	253	"	रतलाम–सैलाना, पिपलोदा-प्रतापगढ़, बांसवाड़ा होते हुए उदयपुर तक रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के जनजाति क्षेत्र और राजस्थान में चित्तौड़ जिले के पिछड़े जनजाति क्षेत्र भी आ जायें।	"

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	254	**श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**	रतलाम डिवीजन में रतलाम, जावरा और मंदसौर में रेलवे स्टेशनों के निकट ऊपरी-पुल बनाने में असफलता ।	100 रुपये
"	255	"	रतलाम डिवीजन में रतलाम स्टेशन पर यार्ड कर्मचारियों के आने जाने के लिए साधारण पुल के स्थान पर अधिक चौड़ा पुल बनाने की आवश्यकता ।	"
"	256	"	उदयपुर-बड़ीसदरी लाइन को नीमच तक बढ़ाने में अनावश्यक विलम्ब के कारण यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां और इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों की कमी दूर करने के सम्बन्ध में बरती गई उदासीनता ।	"
"	257	"	रतलाम-बांसवाड़ा-उदयपुर सेक्शन में बड़ी लाइन बिछाने में विलम्ब और उदासीनता ।	"
"	258	"	रतलाम और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने में विलम्ब के कारण यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां ।	"
"	259	"	खंडवा और अजमेर के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन मे बदलने में हुए विलम्ब के कारण यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां तथा क्षेत्र के लोगों को होने वाली कठिनाइयां ।	"
"	260	"	दोहद और इन्दौर के बीच प्रस्तावित बड़ी लाइन बिछाने में विलम्ब ।	"
"	261	"	उज्जैन और आगरा के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में बरती गई उदासीनता ।	"

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	262	**श्री जगदीश भट्टाचार्य**	हावड़ा और अमता के बीच मार्टिन बर्न रेलवे को सरकारी अधिकार में लेने में असफलता।	100 रुपये
,,	264	**श्री रेणुपद दास**	कर्मचारियों की सेवानिवृति, मृत्यु अथवा उनके विकलांग हो जाने पर उनके सम्बन्धियों और आश्रितों को सेवा में रखने सम्बन्धी नये नियम बनाने की आवश्यकता।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए
,,	265	,,	अपील सुनने के वर्तमान तरीके को जिसके अन्तर्गत फैसले के लिए कई वर्ष लगते हैं, बदलने की आवश्यकता।	,,
,,	266	,,	अस्थायी और आकस्मिक कर्मचारियों के बारे में वर्तमान अनुचित श्रम नीति समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
,,	267	,,	समस्त रेलों में प्रशासनिक कर्मचारियों पर भारी खर्च को रोकने की आवश्यकता।	,,
,,	268	,,	कार्य के मार्ग दर्शन तथा सीधी संवीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बनाने तथा रेलवे बोर्ड को समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
,,	269	,,	विभिन्न क्षेत्रों में सेवा व्यवधान, पदावनति, वेतन वृद्धि का रोका जाना, पदोन्नति और स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेशों को वापस लेने की आवश्यकता।	,,
,,	270	,,	कर्मचारियों और मजदूरों की गोपनीय फाइलों और रिकार्ड को रखने की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	271	**श्री जगदीश भट्टाचार्य**	गाड़ियों की संख्या बढ़ाने तथा नई लाइनों के निर्माण करने में असफलता ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए
,,	272	,,	उपनगरीय और मासिक टिकटों तथा तीसरे दर्जे के यात्रियों के निजी सामान पर हाल में बढ़ाये गए 5 प्रतिशत कर और अन्य बढ़े हुए करों में कटौती करने की आवश्यकता ।	,,
,,	273	,,	उपनगरीय लाइनों पर बिजली से चलने वाली गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों के अनुरक्षण की वर्तमान व्यवस्था ।	,,
,,	274	,,	रेलों में अति पूंजीकरण तथा अधिकारी बोझिल प्रशासन ।	,,
,,	277	,,	रेलवे सम्पत्ति को नष्ट होने से रोकने में असफलता ।	,,
,,	278	,,	तीसरे दर्जे के भाड़े को कम करने तथा सीजन टिकटों पर कर में वृद्धि करने में असफलता ।	,,
,,	279	,,	रेलवे में भ्रष्टाचार रोकने में असफलता ।	,,
,,	280	,,	पहले दर्जे के डिब्बों में, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व रेलवे में, अनधिकारी यात्रियों को यात्रा करने से रोकने में असफलता ।	,,
,,	282	,,	छः महीने से अधिक समय से काम करने वाले नैमित्तिक मजदूरों को उचित सुविधायें देने में असफलता ।	100 रुपए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	283	**श्री जगदीश भट्टाचार्य**	भिन्न-भिन्न रेलों के भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर अधिक कर्मचारियों की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपए
,,	284	,,	भिन्न-भिन्न रेलवे के सहायक स्टेशन मास्टरों को उचित वेतन देने में असफलता।	,,
,,	285	**श्री माधूर्य हालदार**	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में गाड़ियों का अनियमित रूप से चलना।	,,
,,	286	,,	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ को मान्यता प्रदान करने में असफलता।	,,
4	287	,,	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में टूटी हुई सीटों, बिना किवाड़ों के दरवाजों और खिड़कियों वाले क्षतिग्रस्त डिब्बे चलाना।	,,
4	288	**श्री सुरेन्द्र महन्ती**	कोरापुट के अविकसित जिले तथा आंध्र और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिले के लाभ के लिए डी० बी० के० रेलवे माल तथा सवारी यात्रा के लिए चलाने में असफलता।	,,
,,	289	,,	टिटागढ़ और समतलपुर रेलवे लाइन पर जनरल रेलवे पुलिस कर्मचारियों को तैनात करने में असफलता।	,,
,,	290	**श्री रामावतार शास्त्री**	भर्ती में रेल कर्मचारियों के लड़कों को प्राथमिकता देने में असफलता।	,,
,,	291	,,	रेल पथ निरीक्षकों के पद को, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पूर्व रेलवे में ऊंचा करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	292	**श्री रामावतार शास्त्री**	इंजीनियरों द्वारा मार्ग का बारीकी से निरीक्षण करने में असफलता।	100 रुपए
,,	293	,,	सहायक तथा डिवीजनल इंजीनियरों द्वारा मार्ग के रख-रखाव की जिम्मेदारी निश्चित करने में असफलता।	,,
,,	294	,,	कीमैन और मेट के पदों को ऊंचा करने में असफलता।	,,
,,	295	,,	खुली जगह में तितर बितर पड़े रेल पथ सामग्री की चोरी पर निगरानी रखने में असफलता।	,,
,,	296	,,	रेल पथ सामग्री की चोरी के कारण प्रति मास होने वाली हानि का अभिलेख रखने में असफलता।	,,
,,	297	,,	मुख्य इंजीनियरों का रेल पथ निरीक्षकों से दैनिक रूप से मिलने में असफलता।	,,
,,	298	,,	रेल मार्ग के रख-रखाव में लगे रेल पथ गैंग के लिए नियम निश्चित करने में असफलता।	,,
,,	299	,,	रेल मार्गों के रखरखाव के सम्बन्ध में उपयुक्त व्यवहारिक अनुभव युक्त प्रभारी इंजीनियरों को नियुक्त करने में असफलता।	,,
,,	300	,,	इंजीनियरी विभाग के अन्य लोगों से पहले आरक्षित उम्मीदवारों को तेजी से पदोन्नति देकर वरिष्ठ अनुभवी कर्मचारियों में व्याप्त निराशा से समुचित रक्षा करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4	301	**श्री रामावतार शास्त्री**	कर्मचारियों की अपीलों में स्वाभाविक न्याय न देकर अदालतों में पड़े मामलों को कम करने में असफलता ।	100 रुपए
,,	302	,,	मुख्य यांत्रिकी इंजीनियर के कार्यालय में काम कर रहे तथा डिवीजनल अधीक्षक सियालदह, के अधीन न काम कर रहे कर्मचारियों को उनके बच्चों के सम्बन्ध में शिक्षण फीस की वापसी के बारे में पूर्व रेलवे द्वारा अकुशलता से कार्य किया जाना ।	,,
,,	303	,,	गाड़ी परीक्षकों के 180-240 के वेतन को 205-280 रुपए के वेतनमान करने में असफलता, जैसा कि रेलवे बोर्ड के सभापति द्वारा ए० आई० आर० एफ० के प्रतिनिधियों को 18 और 19 अगस्त, 1970 को जब भारतीय रेलों के गाड़ी परीक्षकों के नियमानुसार कार्य का अभियान चलाया गया था, आश्वासन दिया था ।	,,
,,	304	,,	सहायक इंजीनियरों द्वारा सामान का पुनःवर्गीकरण करने में असफलता ।	,,
,,	305	,,	शारीरिक दृष्टि से अपंग राजपथ कर्मचारियों को रेलवे के अन्तर्गत अन्य विभागों में जहां कि ऐसे रिक्त पद हैं रखने में असफलता ।	,,
,,	306	,,	डिवीजनल इंजीनियरों के व्यक्तिगत प्रभाग को दूर करने के लिये राजपथ निरीक्षकों तथा सहायक राजपथ निरीक्षकों के स्थानान्तरण पर नियंत्रण रखने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4	307	**श्री रामावतार शास्त्री**	डिवीजनल इंजीनियरों द्वारा, जब उनमें से कोई भण्डार की जांच के दौरान स्थानान्तरित किया जाता है, लागू नियमों का आदर करने में असफलता।	100 रुपए
,,	308	,,	राजपथ निरीक्षकों को भण्डारों के बोझ से मुक्त करने में असफलता।	,,
,,	309	,,	आर० ए० सी० की सिफारिशों को जहां तक उनका सम्बन्ध राजपथ कर्मचारियों से है, क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	310	,,	राजपथ निरीक्षकों की भण्डारों के प्रभार के सम्बन्ध में मानसिक चिन्ता दूर करने में असफलता।	,,
,,	311	,,	कर्मचारियों तथा भण्डारों के प्रभार के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये राजपथ निरीक्षकों को पर्याप्त लिपिकों की सहायता की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,	312	,,	डिवीजनल रेलपथ डिपुओं को, जो पहले ही खुल चुके हैं, उचित स्वरूप देने में असफलता।	,,
,,	313	,,	रेलपथ निरीक्षकों को, जिनका सामान्यतया एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में स्थानान्तरण होता है, सही भविष्य निधि पर्चियां जारी करने में असफलता।	,,
,,	314	,,	प्रत्येक डिविजन में डिवीजनल रेलपथ डिपो खोलने और चलाने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4	315	**श्री रामावतार शास्त्री**	8 घंटे के नियमानुसार कार्य का उल्लंघन करना तथा रेल कर्मचारियों से, विशेषरूप से कैरिज कर्मचारी, हमाल, रनिंग स्टाफ आदि से 12 से 14 घंटे तक काम लेना।	100 रुपये
,,	316	,,	भारतीय रेलों में कर्मशाला केन्टीन कर्मचारियों को अधिकृत वेतनमान देने में असफलता।	,,
,,	317	,,	लिपिकों को उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में फैक्टरी अधिनियम के अधीन मजदूर मानने की आवश्यकता।	,,
,,	318	,,	लिपिकों के 10 प्रतिशत पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की प्रथा को समाप्त करना तथा इन पदों को बरीयता के आधार पर भरने की आवश्यकता।	,,
,,	319	,,	न्यायाधीश शंकर सरन पंचाट को क्रियान्वित न किया जाना।	,,
,,	320	,,	भारतीय रेलों में काम करने वाले अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के निर्धारित कोटे को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	321	,,	रात की गश्ती ड्यूटी पर एक गैंगमैन के स्थान पर दो गैंगमैन तैनात करने की आवश्यकता।	,,
,,	322	,,	रेलवे बस्तियों में अधिक औषधालय खोलने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4	323	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे स्टेशनों पर सभी द्वारों, निवास स्थानों आदि पर स्टूल अथवा कुर्सी की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	324	,,	रेलवे कर्मशाला के कारीगर कर्मचारी को न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार आकस्मिक छुट्टी की सुविधा देने में असफलता ।	,,
,,	325	,,	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को उनके लिए निश्चित किए गए कोटे के अनुसार नौकरियां देने में असफलता ।	,,
,,	326	,,	रेल इंजनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए सामग्री और औजारों की कमी, जिसके फलस्वरूप अधिक कोयले की खपत ।	,,
,,	327		रेलवे में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता ।	,,
,,	328	,,	उन स्थायी कर्मचारियों को जिन्होंने 10-15 वर्ष की सेवा पूरी की हो, तुरन्त स्थायी करने की आवश्यकता ।	,,
,,	329	,,	कर्मचारियों द्वारा रेलवे स्टेशनों के दरवाजों पर 14 दिन की लगातार 24 घंटे की ड्यूटी समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	330	,,	रेलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बिना किराये पर क्वार्टर आवन्टित करने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
4	331	**श्री रामावतार शास्त्री**	रेलवे में गैंगमैन, कीमैन और मिस्त्रियों के काम के बोझ को कम करने में असफलता।	100 रुपए
,,	332	,,	गैंगमैनों को जिन्हें गाड़ी की सफाई करने वालों का भी काम करना पड़ता है, 10 रु० प्रति मास का विशेष भत्ता स्वीकृत करने की आवश्यकता।	,,
10	336	**डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय**	पूर्व रेलवे में रतलाम डिवीजन के कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
,,	337	,,	पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन के कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा करने तथा उनमें वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
12	338	**श्री जगदीश भट्टाचार्य**	पूर्व रेलवे के हावड़ा से आसनसोल तक के क्षेत्र को एक उपनगर अनुभाग के रूप में स्वीकृति देने की आवश्यकता।	,,
,,	339	,,	पूर्व रेलवे में दुर्गापुर कारखाने के मजदूरों के लिये बर्द्धवान और आसनसोल के बीच पारी के अनुसार गाड़ियां चलाने की आवश्यकता।	,,
,,	340	,,	पूर्व रेलवे में खाना जंक्शन से साहिबगंज लूप लाईन तक एक दोहरी रेल लाईन बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	341	,,	पूर्व रेलवे की समय सारणी समिति में बर्द्धवान रेल यात्री संघ से एक सदस्य लेने की आवश्यकता।	,,
,,	342	,,	राजधानी एक्सप्रेस को दुर्गापुर स्टेशन पर रोकने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	343	**श्री जगदीश भट्टाचार्य**	दुर्गापुर से बांकुड़ा तक एक नई रेल लाईन बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
,,	344	**श्री रेणुपद दास**	पूर्व रेलवे में कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन पर सफाई की आवश्यकता।	,,
,,	345	,,	लालगोला तेज सवारी गाड़ी को समय से चलाने में असफलता।	,,
,,	346	,,	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में बिना टिकट यात्रियों को रोकने में असफलता।	,,
,,	347	,,	सियालदह डिवीजन के राणाघाट लालगोला खण्ड के बेलडांग, प्लासी, रेठोडिहीर और उनरागेच्छा रेलवे स्टेशनों पर डिब्बों को तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने में असफलता।	,,
,,	348	**श्री माधुर्य हालदार :**	पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के रामराजातला से चम्पाडांगा तक एक नई लाइन चालू करने की आवश्यकता।	,,
,,	349	,,	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में लक्ष्भीकांतपुर से नानकाना तक रेल लाइन के विस्तार करने की आवश्यकता।	,,
,,	350	,,	पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में तारकेश्वर से आरामबाग तक रेल लाइन के विस्तार करने की आवश्यकता।	,,
,,	351	**श्री रेणुपद दास**	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में अपर इण्डिया एक्सप्रेस को बैरकपुर के स्थान पर टाटानगर पर रोकने की और पूरी तरह ध्यान देने में असफलता।	,,
,,	352	,,	पूर्व रेलवे में टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों की उचित कठिनाइयों की ओर पूरी तरह ध्यान देने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
20	353	**श्री रेणुपद दास**	पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में उल्टाडांगा स्टेशन पर शैड, प्लेटफार्म, मार्गपुल बनाने तथा किताबों की दूकानें खोलने में असफलता।	100 रुपए
,,	354	,,	पूर्व रेलवे के सियालादह डिवीजन में नोआपारा के स्थान पर फ्लैग स्टेशन बनाने के लिए स्थानीय जनता द्वारा बार-बार की जाने वाली मांग को स्वीकार करने में असफलता।	,,
,,	355	,,	हावड़ा प्लेटफार्म पर विशेषकर रात के समय यात्रियों के सामान की चोरी रोकने में सतर्कता दल की असफलता।	,,
,,	356	,,	पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर में मालदा से बालूरघाट तक रेलवे लाइन को जनता के द्वारा बार-बार की जाने वाली मांग को स्वीकार करने में असफलता।	,,
,,	357	,	सियालादह डिवीजन में स्थानीय गाड़ियों का बहुत अनियमित समय से चलना रोकने में असफलता।	,,
,,	358	,,	पूर्व रेलवे के सियालादह स्टेशन का नवीकरण करने में असफलता।	,,
,,	359	,,	पूर्व रेलवे के सियालादह डिवीजन में दम-दम रेलवे स्टेशन के निकट बसें चलाने के लिए पुल को चौड़ा करने में असफलता।	,
,,	360	,,	सियालादह डिवीजन के दक्षिण खण्ड में अधिक गाड़ियां चलाने की जनता की मांग को स्वीकार करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
12	361	**श्री सुरेन्द्र महन्ती :**	कटक पारादीप रेल लाइन को निश्चित कार्य-क्रम के अनुसार पूरा करने में बिलम्ब ।	100 रुपए
,,	366	,,	बांसपानी-जांखपारा रेल लाइन के निर्माण में असफलता ।	,,
1	371	**श्री भोगेन्द्र झा**	पूर्वोत्तर रेलवे में बाराबंकी और समस्तीपुर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने के काम को पूरा करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय
,,	372	,,	प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारिता सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
,,	373	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में दरभंगा होकर समस्तीपुर से रक्सौल तक बड़ी रेल लाइन बिछाने में असफलता ।	,,
,,	374	,,	ऐसे सभी रेल कर्मचारियों को जिन्होंने पांच वर्ष तक सेवा की हो, स्थायी मानने में असफलता ।	,,
,,	375	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर डिवीजन के 4,500 कर्मचारियों को दण्डित करने के आदेश वापस लेने में असफलता ।	,,
,,	376	,,	रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	377	,,	रेलों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अस-फलता ।	
,,	378	,,	रेलों में होने वाली उठाईगिरी और चोरियों को रोकने में असफलता ।	,,
,,	379	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में माल की चोरी और उठाई-गिरी को रोकने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	380	**श्री भोगेन्द्र झा**	सभी रेलों में गाड़ियों को समय पर चलाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दें
,,	381	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में गाड़ियों का समय पर चलना सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
,,	382	,,	पूर्वोत्तर रेलवे तथा पूर्व रेलवे में बरौनी-गढ़हरा क्षेत्र के कर्मचारियों की परियोजना की मांग को स्वीकार करने में असफलता।	,,
,,	383	,,	गैर-सरकारी तौर पर चलाई जाने वाली लाइट रेलों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने में असफलता।	,,
,,	384	,,	देश में सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में असफलता।	,,
,,	385	,,	सभी रेलों में सेवा की शर्तों, पदोन्नति आदि में एकरूपता सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
,,	386	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में दरभंगा से पलेजाघाट तक चलाई जा रही वर्तमान स्लीपर बोगी के स्थान पर बड़ी सीटों वाली स्लीपर बोगी चलाने में असफलता।	,,
,,	387	,,	दिल्ली से मद्रास और दिल्ली से बम्बई के बीच राजधानी एक्प्रैस जैसी रेलगाड़ियों को तत्काल चलाने में असफलता।	,,
,,	388	,,	रेलों में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की प्रभावी और लोकतांत्रिक ढंग से भागीदारिता सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
,,	389	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में दरभंगा से लखनऊ और दरभंगा मे गौहाटी तक तीसरी श्रेणी के स्लीपर डिब्बों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	398	**श्री भोगेन्द्र झा**	बड़ी लाइन पर बरौनी और समस्तीपुर स्टेशनों के बीच मेल या एक्सप्रेस गाड़ी का चलाया जाना सुनिश्चित करने में असफलता ।	100 रुपये
,,	399	,,	पूर्व रेलवे के राजेन्द्रपुल हाल्ट पर सिमरिया घाट के तीर्थयात्रियों के लिए विश्रामगृहों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	400	,,	पूर्वोत्तर रेलवे पर जयनगर और निर्मली स्टेशनों को बरास्ता लौकाहा मिलाने में असफलता ।	,,
,,	401	,,	जयनगर ओर सीतामढ़ी स्टेशनों को एक सीधी रेलवे लाइन से मिलाने में असफलता ।	,,
,,	402	,,	समस्तीपुर से नई दिल्ली तक एक सीधी मिथिला मेल गाड़ो चलाने में असफलता ।	,,
,,	403	,,	पूर्वोत्तर रेलवे पर जयनगर से पालेजाघाट तक एक सीधी तेज सवारी गाड़ी चलने में असफलता ।	,,
,,	404	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में दरभंगा स्टेशन के उत्तर की ओर रेलवे लाइन के पहले फाटक पर ऊपरी-पुल पर बनाने में असफलता ।	,,
,,	405	,,	पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर जंकशन के पश्चिम की ओर पहले फाटक पर ऊपरी पुल बनाने में असफलता ।	,,
,,	406	,,	पूर्वोत्तर रेलवे पर सकारी और रोजेरा स्टेशनों को सीधी रेल लाइन से मिलाने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	407	**श्री भोगेन्द्र झा**	पूर्वोत्तर रेलवे में भबतियाही और निर्मली स्टेशनों के बीच, कोसी पर एक पुल बनाकर, सीधी रेल सेवा पुनः चालू करने में असफलता।	100 रुपये
,,	408	,,	राचेन्द्र पुल हाल्ट को राचेन्द्र पुल के उत्तरी सिरे की ओर आगे दक्षिण में ले जानें में असफलता।	,,
,,	409	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत झंझारपुर से लौकहा तक एक नई रेल लाइन के निर्माण में असफलता।	,,
,,	410	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के कमतौल और जोगियारा स्टेशनों के बीच मुरायैठा गांब में एक हाल्ट स्टेशन के निर्माण में असफलता।	,,
,,	411	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के जयनगर और खजौली स्टेशनों के बीच कोराहिया गांव में एक हाल्ट स्टेशन के निर्माण में असफलता।	,,
,,	412	,,	उत्तर बिहार के यात्रिथों के लिए 103 अप और 104 डाउन को मोकामा स्टेशन पर रोकने में असफलता।	,,
,,	413	,,	समस्तीपुर से नई दिल्ली के लिये तीसरे दर्जे की एक सीधी बोगी लगाने में असफलता।	,,
,,	414	,,	नरकटियागंज और दरभंगा के बीच एक तेज सवारी गाड़ी चलाने में असफलता।	,,
1	415	**श्री भोगेन्द्र झा**	पूर्वोत्तर रेल के समस्तौपुर डिवीजन के अन्तर्गत सरकारी स्टेशन के पूर्वोत्तर की रेल लाइन के पहले फाटक पर ऊपरी पुल के निर्माण में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	426	**श्री भोगेन्द्र झा**	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में लहरिया सराय स्टेशन पर रेलवे की अपनी जल व्यवस्था की कमी, जिसके कारण यात्रियों के लिए पानी की कमी।	100 रुपये
,,	427	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में लहरिया सराय स्टेशन पर रेल गाड़ियों में यात्रियों के लिये पानी की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
,,	532	**श्रीरामावतार शास्त्री**	नार्थ-ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन, गोरखपुर, जिसके प्रधान श्री सूरज पाण्डेय, संसद् सदस्य हैं, के पंजीकृत पदाधिकारियों को मान्यता देने में असफलता।	,,
,,	533	,,	गड़हरा-बरौनी परियोजना के वर्ष 1971 के हड़ताली कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकने में तथा उन्हें परियोजना भत्ता देने में असफलता।	,,
,,	534	,,	फरक्का, खगरियाघाट, कोरापुट और बस्तर में काम करने वाले रेल कर्मचारियों के लिये परियोजना भत्ता देने के सम्बन्ध में पंच-निर्णय बोर्ड ने जो आधार तय किया था, उसे बरौनी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू करने में असफलता।	,,
,,	535	,,	एन० ई० रेलवे मजदूर यूनियन के नेताओं को बहाल करने में असफलता।	,,
,,	536	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के फालतू घोषित कर दिये गये 31 सिगनल कर्मचारियो और बरारी घाट के 15 जलीय कर्मचारियों को उपयुक्त वैकल्पिक पदों पर नियुक्त करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	537	**श्री रामावतार शास्त्री :**	पूर्वोत्तर रेलवे के, विशेषकर बरौनी, छपरा, सीवन, थानाबिहपुर और सहरसा में बने पुराने क्वार्टरों का पुनः निर्माण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	538	,,	समस्तीपुर स्थित रेलवे अस्पताल में रोगी शय्याओं तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और इस अस्पताल का पुनः निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	539	,,	जिन बहिरंग रोगियों को बीमारी की छुट्टी नहीं दी जाती, उन्हें प्रतिदिन अस्पताल में उपस्थित होने की प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
,,	540	,,	रेलवे बोर्ड के नवीनतम आदेश के अनुसार सेबानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक पदोन्नति देने में असफलता ।	,,
,,	541	,,	चोरी, उठाईगिरी आदि को रोकने के लिये पार्सल और अन्य सामान भेजने के तथा बीच के स्थानों पर ठेका श्रम-प्रणाली समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
,,	542	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**	आल इण्डिया गार्डस् कौंसिल को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	543	,,	क्यू० टी० एस० ट्रेन संख्या 503/504 का 'ख' श्रेणी ट्रेन में वर्गीकरण ।	,,
,,	544	,,	संगचल रेल कर्मचारियों को 'क' और 'ख' श्रेणी का नगर भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	545	,,	सभी डाक एक्सप्रैस गाड़ियों पर, विशेषकर तेज गति बाली गाड़ियों पर दूसरा गार्ड रखने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	546	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**	टी० आई० और एम० वी० आई० तथा अन्य पर्यवेक्षी कर्मचारियों की छुट्टियों के कारण रिक्त पदों पर गार्ड 'बी' ग्रेड की सेवाओं का प्रयोग करने के सम्बन्ध में बोर्ड के उन आदेशों का, जो संख्या ई (एन जी) 68 सी आर /12 दिनांक 17-6-69 के द्वारा परिचालित किए गए थे, पालन न किया जाना।	100 रुपये
,,	547	,,	पश्चिम रेलवे पर बी० सी० टी०/एन० डी० एल० एस० के बीच चलने वाली वातानुकूलित एक्सप्रैस गाड़ियों और पश्चिम रेलवे पर बी० सी० टी०/एस० टी० के बीच चलने वाली फ्लाइंग रानी के सम्बन्ध में, रेलवे बोर्ड के आदेशों संख्या ई० (डी० एण्ड ए०) 2/71 आर० एस/3 दिनांक 12-4-71 के नियम 8 डी को कार्यान्वित न किया जाना।	,,
,,	548	,,	रेलवे के प्रयेक कर्मचारी का रेलवे के खर्च पर अनिवार्य जीवन बीमा कराने की आवश्यकता।	,,
,,	549	,,	रेल संगचल कर्मचारियों, जैसे गार्डों और अन्य कर्मचारियों, के लिए प्रति दिन के लिये न्यूनतम मील दूरी को 120 किलोमीटर से 160 किलोमिटर तक बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
,,	550	,,	रेल गाड़ियों को चलाने वाले गार्डों और अन्य कर्मचारियों का अनिवार्य जीवन बीमा कराने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	551	**डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय**	'क' और 'ख' श्रेणियों के नगरों तक यात्रा करने वाले तथा वहां ठहरने वाले संगचल रेल कर्मचारियों को भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	552	,,	डाक तथा एक्सप्रैस गाड़ियों में लगाये जाने वाले एल०आर०एस० बूडन पर बिजली के उपकरण फिर से लगाना ।	,,
,,	553	,,	रेलवे गार्डों के वेतनमानों में संशोधन करना ।	,,
,,	554	,,	बी० ग्रेड गार्ड और सी० ग्रेड ड्राइवर के बीच जिनके समान वेतनमान हैं, संगचल कर्मचारी भत्ता देने के सम्बन्ध में जो अन्तर है, उसे समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	555	,,	माल गाड़ी ब्रेक डिब्बों की दुर्दशा ।	,,
,,	556	,,	गार्ड के पदों का प्रतिशतता के आधार पर दर्जा बढ़ाना ।	,,
,,	557	,,	गार्डों के लिए पदोन्नति के अधिक अच्छे अवसर जुटाने की आवश्यकता ।	,,
,,	558	,,	अखिल भारतीय गार्ड कौंसिल को मान्यता न देना ।	,,
,,	559	,,	क्वाटर-पुंज से भिन्न क्वाटरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
,,	560	,,	रेलवे श्रम न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन को यथाशीघ्र प्रकाशित न करना ।	,,
,,	570	,,	पश्चिम रेलवे में बिना टिकट यात्रा की रोकथाम करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	571	**डा० लक्ष्मीनारायन पांडेय**	रेल गाड़ियों में तृतीय श्रेणी के यात्रियों को सुविधाएं देने में असफलता ।	100 रुपये
,,	574	**श्री फूल चन्द्र वर्मा**	इन्दौर-दौहाद लाइन बिछाने में असफलता ।	,,
,,	575	,,	नागदा-उज्जैन 'शटल' गाड़ी को इन्दौर तक आगे चलाने में असफलता ।	,,
,,	576	,,	आल इन्डिया गार्डस कौंसिल एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	577	,,	मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में रेल पहुं-चाने में असफलता ।	,,
,,	578	,,	नई दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में रतलाम के लिए कोटा निर्धारित करने में असफलता ।	,,
,,	579	,,	उज्जैन रेलवे स्टेशन से कोयले में चोरी रोकने में असफलता ।	,,
,,	580	,,	महीदपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को ठीक ढंग से बनाने में असफलता ।	,,
,,	581	,,	गुना-मक्सी लाइन का कार्य शीघ्र पूरा करने में असफलता ।	,,
,,	582	,,	नागदा रेलवे स्टेशन पर ट्राली खाली होने के बाद वैंडरों को ट्राली ना देना ।	,,
,,	583	,,	नागदा रेलवे स्टेशन में भोजनालय खोलने में असफलता ।	,,
,,	584	,,	उज्जैन-आगरा नैरोगेज लाइन को मीटरगेज में बदलने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	585	**श्री फूलचन्द्र वर्मा**	इन्दौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर रात्रि को 11 बजे के बाद यात्री गाड़ियों को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
,,	586	,,	खण्डवा-अजमेर गाड़ी को तेज गति (एक्सप्रेस-के समान) से चलाने में असफलता ।	,,
,,	587	,,	नागदा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शैड बनाने में असफलता ।	,,
,,	588	,,	मध्य प्रदेश में महीदपुर नगर को रेलवे से जोड़ने में असफलता ।	,,
,,	589	,,	पश्चिमी रेलवे के कर्मचारियों को आवास की सुविधा देने में असफलता ।	,,
,,	599	**श्री रामावतार शास्त्री**	गढ़हरा स्थित रेलवे हाई स्कूल में विज्ञान के आवश्यक सामान की आपूर्ति करने और छात्रों के लिए स्थानों की वृद्धि करने तथा अध्यापकों की संख्या बढ़ाने में असफलता।	,,
,,	600	,,	पूर्वोत्तर रेलवे चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	601	,,	डिवीजनल रेलवे एम्पलाइज कोआर्डिनेशन कमेटी, धनबाद, को मान्यता देने में असफलता ।	,,
,,	602	,,	रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिए डिविजनल रेलवे एम्पलाइज कोआर्डिनेशन कमेटी के साथ सहयोग करने में विफलता ।	,,
,,	603	,,	पूर्व रेलवे की पटना-गया लाइन पर चलने वाली यात्री गाड़ियों में जुड़े डिब्बों की संख्या बढ़ा कर कम से कम 16 करने की आवश्यकता ।	,, ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	604	**श्री रामावतार शास्त्री**	पटना-गया लाइन पर चलने वाली प्रत्येक सवारी गाड़ी में एक अलग डिब्बा (मिल्क वान) जोड़ने की आवश्यकता।	100 रुपये
,,	605	,,	रेलपथ निरीक्षक, हजारीबाग रोड के अधीन कार्य करने वाले नैमित्तिक गैंगमैनों से, उनको स्थायी गैंगमैन बनाने के बहाने अवैध रूप से धन ऐंठना।	,,
,,	606	,,	रेलपथ निरीक्षक, हजारीबाग रोड स्टेशन के अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक गैंगमैन से सौ-सौ रुपये ऐंठना।	,,
,,	607	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के बिजली के बाह्य एंव निर्माण विभाग की छटनी के शिकार अस्थायी मजदूरों को पानी वालों की खाली जगहों पर स्केल्ड ग्रेड देने की आवश्यकता।	,,
,,	608	,,	पूर्वोत्तर रेलवे स्थित डम्प-साइडिंग गढहरा तथा अन्य स्थानों में वर्षों से कार्यरत मजदूरों को स्क्रीनिंग टेस्ट में अधिक आयु पाये जाने के आधार पर छंटनी न करने और उसी वेतनमान में काम करने देने की आवश्यकता।	,,
,,	609	,,	नैमित्तिक मजदूरों को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित 4.50 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी देने में असफलता।	,,
,,	610	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों को समय पर और समुचित वर्दियां देने में असफलता।	,,
,,	611	,,	पूर्वोत्तर रेलवे के सहरसा ओर मानसी के कैरेज कर्मचारियों, हमालों एवं टिकट क्लैक्टरों से 12 घन्टे काम लेने की प्रथा का अन्त करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	612	**श्री रामावतार शास्त्री**	पूर्वोत्तर रेलवे में उच्च श्रेणी की खाली जगहों को भरने तथा कर्मचारियों के लाखो रुपये की बकाया धनराशि का भुगतान करने में विफलता।	100 रुपये
,,	613		इन्डियन रेलवे सिगनल एन्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एशोसियेशन को मान्यता देने में असफलता।	,,
,,	614	,,	संकेत और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की अन्तवर्ती भर्ती को रोकने में असफलता।	,,
,,	615	,,	संकेत और दूर संचार विभाग में काम करने वाले सभी के कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टियां देने में असफलता।	,,
,,	616	,,	रेल दुर्घटना जांच समिति, 1968 की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	617	,,	वर्दी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	618	,,	उच्च पदो पर सीधी भर्ती बन्द करने तथा निम्न वर्ग से विभागीय पदोन्नतियां देने में असफलता।	,,
,,	619	,,	सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों के वेतनमानों में, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के आधार पर, संशोधन करने की आवश्यकता।	,,
,,	620	,,	रेल कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	621	**श्री रामावतार शास्त्री**	नैमित्तिक मजदूरों की छटनी रोकने तथा जिनकी छटनी हो चुकी है, उनको फिर से नौकरी पर लेने की आवश्यकता।	100 रुपये
,,	622	,,	नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी पदों पर नियुक्त करने में असफलता।	,,
,,	623	,,	बस्तर और कोरापुट जिलों में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के संबंध में मध्यस्थ-निर्णय को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	624	,,	रांची, हटिया और बोकारों में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को परियोजना-भत्ता देने में असफलता।	,,
,,	625	,,	भारतीय रेलों में पदों का समर्पण तथा पदावनतियों को रोकने में असफलता।	,,
,,	626	,,	वाल्टेयर डिवीजन से डी० टी० एम० योजना को तथा अन्य स्थानों से, स्वचालित मशीनों सहित रोजगार तोड़ने वाले उपायों को हटाने की आवश्यकता।	,,
,,	627	,,	संगचल तथा संचालन कार्यों में लगे सभी कर्मचारियों के लिये 6 घंटे की ड्यूटी लागू करने में असफलता।	,,
,,	628	,,	भारतीय रेलों में मजदूर संघ कार्यकर्त्ताओं का उत्पीड़न करने के सभी तरीकों को रोकने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	629	**श्री रामावतार शास्त्री**	संविधान के अनुच्छेद 311(2) (ख) के अधीन तथा एस० एन० एस० नियम, 1949 के नियम 3 के अधीन नौकरी से हटाये गये मजदूर संघ के कार्य-कर्त्ताओं को फिर से नौकरी पर लेने में असफलता।	100 रुपये
,,	630	,,	रेल कर्मचारियों के विरुद्ध दायर मामलों को वापस लेने में असफलता।	,,
,,	631	,,	बकाया धनराशि के भुगतान तथा अन्य समस्याओं सहित कर्मचारियों की हजारों शिकायतों का तुरन्त समाधान करने की आवश्यकता।	,,
,,	632	,,	रेलवे बोर्ड के आदेशों के जारी होने की तारीख से 20 प्रतिशत वर्गोन्नत पदों पर पदोन्नत किये गये मिस्त्रियों को उनकी बकाया धनराशि का तुरन्त भुगतान करने की आवश्यकता।	,,
,,	633	,,	संविद प्रणाली को समाप्त करने तथा अब तक संविद प्रणाली के माध्यम से किये जाने वाले काम को विभागीय तौर पर कराने की आवश्यकता।	,,
,,	634	,,	रेलों मे पुलिस और रेल सुरक्षा बल की ज्यादतियों को रोकने में असफलता।	,,
,,	635	,,	रेल कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
,,	636	,,	खड़गपुर, टाटानगर, विशाखापत्तनम् और दानापुर में काम करने वाले कर्म-चारियों को नगर भत्ता देने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	637	**श्री रामावतार शास्त्री**	भारतीय रेलों में चैकिंग स्टाफ के लिए पुनः बढ़िया वर्दी आरम्भ करने में असफलता ।	100 रुपये
,,	638	,,	प्रत्येक महत्वपूर्ण स्टेशन पर टीटियों को विश्राम कक्ष की पर्याप्त सुविधायें देने की आवश्यकता ।	,,
,,	639	,,	टीटियों को उनकी ड्यूटी के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
,,	640	,,	इंडियन रेलवे टिकट चैंकिंग स्टाफ एसोसियेशन के पदाधिकारियों के विरुध जान बूझकर जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों को वापस लेने में असफलता ।	,,
,,	641	,,	अन्तर्राज्यीय चैकिग के लिये टीटियों का लगाया जाना रोकने में असफलता ।	,,
,,	642	,,	रेलवे के संकेत और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों से 24 घन्टे तक का काम लेने की प्रणाली समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	643	**श्री मनोरंजन हाजरा**	पूर्व रेलवे में कोन्नागर रेलवे स्टेशन के उत्तर की ओर स्थित निचले पुल को चौड़ा करने की आवश्यकता ।	,,
,,	644	,,	पूर्व रेलवे में श्री रामकृष्ण विद्याश्रम के निकट दनकुनी पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	645	,,	पूर्व रेलवे में शिवराफुली से तारकेश्वर तक रेलवे लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	646	**श्री मनोरंजन हाजरा**	पश्चिम बंगाल में हुगली जिले में सेराम-पुर से मोरहाट और जंगीपाड़ा होते हुए राजबलहाट तक एक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता t	100 रुपये
,,	647	,,	आदि सप्तग्राम से जमालपुर और धनियाखली होते हुए तारकेश्वर तक एक बड़ी रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	648	,,	तारकेश्वर से खानाकुल और घाटल होते हुए मिदनापुर तक एक बड़ी रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	649	,,	पचिश्मी बंगाल में हावड़ा से चम्पादंगा होते हुए कमारपुकुर तक एक बड़ी रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	650	,,	पश्चिम बंगाल में हावड़ा से आम्ता होते हुए बदनगंज तक एक रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	,,
,,	651	,,	अन्दूल कलकत्ता कार्डलिंक रेलवे परि-योजना के छटनी के शिकार हुए नैमित्तिक मजदूरों को बहाल करने में असफलता ।	,,
,,	652	,,	समूची पूर्व रेलवे में आकस्मिक मजदूरों को स्थायी बनाने में असफलता ।	,,
,,	653	,,	तकनीकी लोगों की सेवावृत्ति से पूर्व, जहां लोकहित अन्तर्ग्रस्त हो, उनका सेवा काल बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	654	**श्री मनोरंजन हाजरा**	रेल डिब्बा संख्या 1,773 और 1,775 में टूटें हुए शौचालयों, बन्द फव्वारों और बिजली की कमजोर लाइनों की मरम्मत करने में रेलवे अधिकारियों की उदासीनता को दूर करने की आवश्यकता।	100 रुपये
,,	655	,,	हाबड़ा स्टेशन पर जो रेल अधिकारी यात्रियों से भाड़ा लेते हैं किन्तु उसे अधिकारियों के पास जमा नहीं कराते, उन्हे दण्ड देने की आवश्यकता।	,,
,,	656	,,	वसूली के सम्बन्ध में कड़ी लेखापरीक्षा लागू करने और सभी प्रकार कीं अनियमितताओं को, जैसाकि नियमों में अपेक्षित है, रोकने की आवश्यकता।	,,
1	699	**डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय**	अजमेर और खण्डवा के बीच भारी यातायात होते हुए भी वहां एक और यात्री गाड़ी चलाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए
,,	700	,,	पश्चिम रेलवे में रतलाम, जावरा तथा मन्दसौर रेलवे स्टेशनों के पास के रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुल बनाने में असफलता।	,,
,,	701	,,	पश्चिम रेलवे के रतलाम डीजल शैड कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने में असफलता।	,,
,,	702	,,	पश्चिम रेलवे में रतलाम डिवीजन में जावरा, मन्दसौर, नीमच, शामगढ़ तथा सुवासरा में प्लेटफार्म शैडों के विस्तार में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	724	**श्री पी० के० देव**	मद्रास-टाटा एक्सप्रेस गाड़ी को हावड़ा तक बढ़ाने की वांछनीयता।	100 रुपये
,,	725	,,	दोनों नौ-सेना मुख्यालयों को जोड़ने के लिए बम्बई-नागपुर एक्सप्रेस गाड़ी को विशाखापत्तनम् तक बढ़ाने की वांछनीयता।	,,
,,	726	,,	टाटा-मद्रास एक्सप्रेस और मद्रास डाक गाड़ी में तितलागढ़ से भुवनेश्वर और वापसी के लिए पहले तथा तीसरे दर्जे की एक संयुक्त बोगी जोड़ने की तत्काल आवश्यकता।	,,
14	727	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे में बांसपानी को जाकपुरा से मिलाने वाली रेलवे लाइन का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
,,	728	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे में बिमलागढ़ को तलचेर से मिलाने वाली रेलवे लाइन का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
,,	729	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे में डी० बी० के० लाइन के अमागुडा को आर० बी० सेक्शन के केसिंगा के साथ मिलाने वाली रेलवे लाइन का निर्माण करने की वांछनीयता।	,,
1	734	**श्री भारत सिंह चौहान**	इंदौर-सियागंज पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने में असफलता।	,,
,,	735	,,	लोकमान्य नगर, इन्दौर में एक फ्लैग स्टेशन का निर्माण करने में असफलता।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	736	**श्री भारत सिंह चौहान**	इन्दौर-बड़ौदा रेल लाइन का सर्वेक्षण करने में असफलता ।	100 रुपये
,,	737	,,	भोपाल-इन्दौर रेलगाड़ी की गति तेज करने में असफलता ।	,,
,,	738	,,	रतलाम से खण्डवा तक रेल मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता ।	,,
,,	739	,,	दोहद से इन्दौर तक रेल मार्ग बनाने में असफलता ।	,,
,,	740	,,	रतलाम से महू तक तेज गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,
,,	741	,,	नागदा से इन्दौर तक शटल गाड़ी चलाने में असफलता ।	,,
,,	742	,,	खण्डवा से अजमेर तक चलने वाली गाड़ियों के संगचल कर्मचारियों को वर्दियां देने में असफलता ।	,,
,,	743	,,	खण्डवा से अजमेर तक चलने वाली रेलगाड़ियों के बिजली कर्मचारियों तथा मैकेनिकों के लिए शयन व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
1	744	,,	दोहद और खण्डवा के बीच रेल लाइन का निर्माण करने में असफलता ।	,,
,,	745	,,	भोपाल से इन्दौर होकर बड़ौदा तक रेल लाइन का विस्तार करने में असफलता ।	,,

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : कार्यवाही वृत्तान्त से सदस्यों की टिप्पणियां निकाल देना आजकल बहुत साधारण बात हो गई है। यदि कोई त्रुटि है तो उसे ठीक किया जाना चाहिये, ऐसा करने वाले सदस्य को रोकना चाहिये। टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकाला जाना चाहिये।

सभापति महोदय : यदि कार्यवाही वृत्तान्त में टिप्पणी छप जाती है तो सदस्य को रोकने से क्या लाभ है ?

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : सदन में छोटे अथवा बड़े सरकारी कर्मचारियों पर नाम लेकर आरोप लगाना उचित नहीं है क्योंकि वे सदन में अभी सफाई देने के लिए उपस्थित नहीं होते।

डा० कैलाश (बम्बई-दक्षिण) : इससे पहले लोक-सभा में ऐसी बातें नहीं होती थीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हावड़ा स्टेशन में ही, टिकट निरीक्षण कर्मचारियों के एक दल के अथक प्रयास से दस मास की अवधि में राजस्व में 4,40,000 रुपये की वृद्धि हुई। किन्तु उन्हें क्या पारितोषिक दिया गया ? उनको यह पारितोषिक मिला कि चार व्यक्तियों को कार्य ग्रहण समय दिये बिना ही राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। आश्चर्य की बात है कि छात्र परिषद् के सदस्यों को टिकट निरीक्षण का कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। किस नियम और आधार के अन्तर्गत उन्हें यह अनुमति दी गई है।

तीन मंडल अधीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं। एक हावड़ा में है और अन्य दो लाइन मंडल अधीक्षक तथा विशेष मंडल अधीक्षक हैं। मंत्री महोदय को मामले की जांच करके सदन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहिये।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस में अत्याचार किया जा रहा है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस मजदूर संघ के पदाधिकारियों को एक रेलवे से दूसरे रेलवे में स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया गया है। स्थानांतरण नाम से नहीं किये जाते, बल्कि इस बात को ध्यान में रखकर किये जाते हैं कि कारखानों के कार्मिक संघ में उनके क्या पद हैं। इन व्यक्तियों को रेलवे क्वार्टर तुरन्त खाली करने के आदेश भी दे दिये गये हैं। वित्तीय क्षति के अतिरिक्त वर्ष के मध्य में स्थानांतरण किये जाने से कर्मचारियों के बच्चों तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी हानि होती है। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये और इन स्थातांतरणों को रोका जाना चाहिये।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : The economic position of Indian Railways is not sound. Hon. Minister has stated that there will be profit of Rs. 40 crores in 1972-73. This assessment does not seem to be correct.

In the Report, a loan of Rs. 3½ crores taken by Railways has been shown but the payment column has been shown as nil. Huge expenditure is being incurred on Railway administration. If all these things go unchecked, Railway budget will go in deficit.

A good number of railway employees are drawing the maximum of their scales. Certain categories of the railway staff are not getting adequate facilities T. Ts. and conductors are not treated as running staff. The Government should look into the matter and try to redress the grievances of the staff.

The Government should seek the cooperation of railway employees to check pilferage and other malpractices being committed in railways. I do not insist up on recognising all the trade unions category-wise but such unions should not be ignored while entering into dialogue on various diputes.

A number of class IV employees even after a long service are still temporary. They should be made permanent as early as possible. The suggestions given by me in the Time Table Committee should be implemented.

The States' Contribution in the South for road overbridges has been reduced from 50 per cent to 10 per cent. This is a welcome measure but this should be made applicable to the whole of the country.

Special attention should be paid to the neglected and backward areas. On the North-Eastern railway, there are many sections such as Samastipur and Varanasi Divisions which earn a lot of revenue but there has not been provided even a single Expecss train. The long-standing demand of road overbridge at Ballia should be met with. The Manjhi bridge, which connects Chhapra and Ballia, Uttar Pradesh and Bihar, is in a very bad condition. It should be handed over to the State Government and the railways should construct their own bridge. Like wise, the Turtipar bridge at Ghaghra, which connects Deoria and Ballia should be handed over to the State Government.

Bhatni-Varanasi metre gauge should be converted into broad gauge. This conversion is justified commercially also.

The Howrah-Lucknow train, which was suspended during the emergency, should be restored. Shahdara—Saharanpur train should also be restored. Voices have been raised but nothing has been done so far in this regard.

The railway coaches on the North-Eastern Railway are in a deplorable condition. There are no fans, no water and no amenities for passengers in the trains on this line. The number of coaches in these trains should also be enhanced.

Additional bogies should be provided in New Delhi-Lucknow mail and in Delhi-Lucknow express so that the heavy rush in these trains, which is causing a great hardship to the passengers, may be reduced. Trains from New Delhi to Lucknow and Lucknow to Howrah should be extended further. Allahabad-Gauhati trains, 37 up and 38 Down, should be made Express trains.

Ticketless travel is said to be the cause of deficit in the railway department. But, I think ticketless travellers are very few, Railways go in deficit due to the extravagant expenditure of the departmental officers. The Hon. Minister should look into it and stop this practice.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Railways is the biggest Government undertaking with the investment of out Rs. 3,500 crores. But its working has been far from give satis factory. People who make use of it, have to face a lot of difficulties and 14 lakhs of its employees also have to face difficulties, due to which there is discontentment amongst them. The only class which is satisfied with the working of Railways is officers, class. People want improvement in its working so that Government could earn in order to develop the country and take it to the path of Socialism.

The Hon. Minister should pay attention towards the difficulties of 14 lakhs of employees. Discussions should be held with them for this purpose. But they are victimised even for taking part in peaceful demonstrations whereas officers are left free to do whatever they like.

Due to this policy of victimisation proceedings have been initiated against 350 employees of Barauni—Garhara line. 56 employees are under suspension. They are on hunger strike.

There was a strike in Dhanbad from 3rd to 11th January, 1971. On the intervention of the Chairman, Railway Board it was called off. But the policy of victimisation is being followed there. Similarly, 11 employees are under suspension at Kusunda, 5 persons are under suspension in N. F. Railways.

There is discontentment amongst employees, as even genuine demands are not considered by the Administration. This situation is not good. If the Hon. Minister is serious about the welfare of employees, anti-labour policy should be discarded.

Railway Administration has adopted a policy that negotiations would be held with recognised unions only. On this this plea category unions and All India Railway Employees Confederation are being avoided. Hon. Railway Minister had promised to co-operate with the confederation and also seek its co-operation. But this assurance is not being fulfilled. He should announce discarding of victimisation policy started at Barauni—Garhara, Kusunda, Guntkal, Tatanagar etc. and earn goodwill of workers, by seeking co-operation of recognised as well as non-recognised unions and confederations.

श्री के० हनुमन्तैया : मैंने माननीय सदस्य से कई बार अनुरोध किया है कि रेलवे में चोरियों को रोकने में यदि वह प्रशासन को सहयोग दें तो मैं उनकी हर बात मानने को तैयार हूं।

Shri Ramavtar Shastri : We are already co-operating with the Adminstration. Railway Employees Co-ordination Committee is fighting against corruption and extravagance at Dhanbad and other places. But prescribing conditions in this manner is not good. It is our duty to help Administration is checking pilferage and thefts in Railways. But Administration is not co-operating with us.

There is a largescale pilferage and thefts of coal from rail wagons. It causes heavy Financial burden on railways. It can be checked to a large extent by seeking cooperation of employees.

North Eastern Railways are spending extravagently on repairs and maintenance of residences of officers. This expenditure should be restricted.

Award of the Arbitrator about project allowance should be implemented and workers at Garhara, Barauni, Bilaspur, Koraput and other affected places should be paid this allowance.

Workers in South Eastern Railways are bent up on going on strike as a result of the the injustice being done to them. Attention should be paid towards their difficulties and their strike averted.

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मेरा यह मत है कि भारतीय रेलवे का प्रबंध विश्व में बहुत ही उत्तम है और यह बहुत ही अच्छी तरह चलाई जा रही है। देश के विभाजन के समय तथा आज की रेलों की स्थिति में बहुत अधिक अन्तर है। इसके होते हुए भी एक बात से बहुत दुख होता है कि रेल मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले वायदों और इसके कार्यों के बीच बहुत अन्तर होता है।

रेल मंत्री ने पटना और धनबाद के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने के बारे में दो बार आश्वासन दिया था कि 1 अप्रैल 1972 से यह रेलगाड़ी चालू की जायेगी। इसको चलाने के प्रबन्ध भी किए गए थे। परन्तु इसके पश्चात किन्हीं कारणों से इसे रद्द अथवा स्थगित किया जा रहा है। बिहार के

लोगों की यह बहुत ही गंभीर शिकायत हैं क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है और धनबाद इस क्षेत्र की औद्योगिक राजधानी है । अतः बिहार के लोगों की इस आवश्यकता को पूरा करने की ओर ध्यान दिया जाये ।

हमारे देश में श्रमिक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बोनस दिया जाता है परन्तु रेलवे प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों और अन्य सरकारी उपक्रमों के श्रमिकों को इससे वंचित रखा जा रहा है । इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिये अन्यथा यह गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेगी ।

रेलवे सेवा आयोग के मुख्यालय को दानापुर स्थापित करने के लिए काफी समय से मांग की जा रही है । रेलवे मंत्रालय द्वारा इस विषय में उचित रवैया नहीं अपनाया जा रहा । इस विषय पर पुनर्विचार होना चाहिये । उस क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है ।

गल्ती करना मनुष्य का स्वभाव है । परन्तु एक भूल के लिए किसी को आजीवन कठिनाई में नहीं डाला जाना चाहिये । इसी बात को विचार में रख कर नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे मैन ने विभिन्न स्थानों पर रेल कर्मचारियी की 'सेवा में व्यवधान को क्षमा' की मांग उठाई है । रेल मंत्री को इस पर विचार करके कोई निर्णय लेना चाहिये ।

[**श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare *in the Chair*]

रेलवे कर्मचारियों में फैले भ्रष्टाचार की बात की जाती है । परन्तु यदि हम इस बारे में ध्यान-पूर्वक विचार करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यह केवल रेलवे में व्याप्त रोग नहीं हैं । परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर जगह भ्रष्टाचार है । इसलिए रेलवे विभाग से इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिये । इसके लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है ।

रेलवे प्रशासन को कर्मचारियों की समस्याओं पर समग्र रूप से विचार करना चाहिये, चाहे ये समस्याएं परियोजना भत्ते से संबंधित हों अथवा सेवा में व्यवधान से । इन्हें इकट्ठा हल करने से ही शांति स्थापित हो सकती है, अन्यथा नहीं ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : Earlier speaker compared the present conditions of the Indian Railways with the condition prevailing at the tiwe of the partition of the country. If we have to make such a comparison we should not forget to compare the objectives as at present and those, prior to partition. Britishers had only two objectives in view. They developed the Railways in order to carry Army from one corner to the other. Their other objective was the movements of raw materials. They developed Railways to carry raw materials from interland to coasts. With the partition of the country these objectives changed but it is a matter of regret that railways have not been developed in a planned manner.

There are three objects before us, namely security, prosperity and convenience and railways have to contribute in these directions.

Jammu should be connected with Pathankot through a rail line. This link is very vital from security point of view. But so far very little has been done in this regard.

Chinese attack of 1962 proved sensitiveness of Assam area. That area is linked with rest of the country through one railway line, and that too is a narrow gauge line. This line should be converted into a double line and to a broad gauge on a priority basis.

It is very strange that there are broad gauge railway lines throughout the country, except border areas where there are narrow gauge lines everywhere. These lines should be converted to broad gauge lines. From Industrial development point of view also we should have broad gauge railway lines throughout the country.

We are developing Mangalore Port in order to export Iron ore to be available from Kudremukh Project. But we have not developed rail link between Kudremukh and Mangalore Port. Similarly Kandla Port is served by a metre gauge railway line which is not conducive to the proper working of the Port Railway Administration should pay attention towards there.

For sometime part there has been improvement with regard to the punctuality of trains. It shows that if we resolve to pursue a certain line of action it is not at all difficult to achieve the object.

Pilferage and thefts take place in trains when these have to wait for long hours during transhipmen. If there is unformily regard to gauges, the need for transhipment would not arise. Therefore serious efforts should be made in this regard. These thefts are causing heavy losses to Railways. Ultimately this burden passes on the public. If Railway Administration is successful in checking this loss it would increase the income of Railways.

Former Railway Minister had initiated a 11 point programme to bring about economy in the consumption of coal in Railways wasteful expenditure should be awaided in this regard.

Special attention should be paid to provide more facilities to passengers travelling in third class. Recently a new fast train, "Rajdhani Express" has been introduced. A new third class Janta Express from Bombay to Delhi *via* Bhusawal and Bhopal should be introduced there is too much of traffic between Lucknow and Bombay. But there is no direct train between these stations. Railway Administration should pay attention towards providing more and more facilities to passengers travelling in third class.

There are employees working in Railways for 10—15 years and they are still known as Casual Workers. They are being denied the facilities which are being allowed to other Government employees. Attention should be paid towards improving their lot also.

श्री के० नारायण राव (बेबिली) : हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। परन्तु यहां पहुंचने के लिए तेज गति से चलने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत कम है अतः लोगों को राजधानी पहुंचने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब जो गोलकुन्डां एक्सप्रेस गाड़ी हैदराबाद से विजयवाडा तक चलती है उसे एक ओर इच्छापुरम् और दूसरी ओर गुडुर तक बढ़ा देना चाहिये।

सिकन्दराबाद से बम्बई के लिए भी कोई गाड़ी नहीं है। अतः विशाखापटनम और बम्बई के बीच बरास्ता सिकन्दराबाद एक डाक गाड़ी चलानी चाहिये।

डी० वी० के० रेलवे लाइन इस समय अधिकतर लौह अयस्क ढोने के काम आती है। इस रेल मार्ग को काजीपेट्ट के रास्ते विशाखापटनम से मिला देना चाहिये। ऐसा करने से हैदराबाद तथा कलकत्ता के बीच की दूरी काफी कम हो जायेगी। इसके साथ ही हावड़ा तथा मद्रास मुख्य रेल मार्ग पर जो यातायात में कठिनाई रहती है उसमें कमी हो जाएगी।

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : एक ओर तो हम भारत के एक महान सुपुत्र, राजा राम मोहन राय की दूसरी शताब्दी मना रहे हैं दूसरी ओर यह विड़म्बना है कि ऐसे महान् व्यक्ति का जन्म स्थान रेल-मार्ग से सम्बद्ध नहीं है।

रेल विभाग के कचर्मारियों की शिकायतें दूर करने के प्रश्न पर रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिये। पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी एवं उत्तर रेलवे में नैमित्तिक कर्मचारियों को किसी योजना का कार्य पूरा हो जाने पर सेवा से हटा दिया जाता है। उनकी समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। 'सेवा में व्यवधान' की प्रथा भी समाप्त होनी चाहिये। दक्षिण-पूर्व रेलवे के डी० एस० कार्यालय के एक ईमानदार अधिकारी के सेवा निवृत्त होने पर उनके देय धन इस आधार पर रोक लिया गया है कि उनके कार्य के सम्बन्ध में कुछ अनियमितताएं हैं। 30 वर्ष उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया। सेवा निवृत्त होने पर उनसे जो व्यवहार किया गया उसके कारण उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। मंत्री महोदय को उनके मामले में ध्यान देना चाहिये। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगानी चाहिये। मालदा स्थित डी० ई० एन० कार्यालय को कठियार स्थानान्तरित करने से लगभग 500 लोगों को परेशानी होगी। माननीय मंत्री इन लोगों की परेशानी की ओर ध्यान दें तथा इसे दूर करें।

श्री एन० आर० बर्मन (बलूरघाट) : मैं वर्ष 1972-73 की रेलवे बजट सम्बन्धी अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

मैं इस सभा में आने के समय से ही मंत्री महोदय का ध्यान पश्चिम बंगाल में अपने सबसे पिछड़े चुनाव क्षेत्र पश्चिमी दीनाजपुर जिले की ओर आर्कषित करता रहा हूं। इस क्षेत्र की लम्बाई 325 किलोमीटर है परन्तु इसमें रेल लाइन 32 किलोमीटर ही लम्बी है और वह भी कलकत्ता के मार्ग से जाने वाली लाइन से जुड़ी हुई है। इस जिले में रेलवे लाइन बिछाने की मांग बहुत पहले से है। अनेक भूत-पूर्व रेलमंत्रियों तथा स्वयं स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस जिले को मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ने का आश्वासन दिया था। फिर 1949 में एक सर्वेक्षण किया गया परन्तु खेद है कि फिर भी इस दिशा में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इस जिले में उल्लेख करने योग्य कोई भी उचित संचार व्यवस्था नही हैं जबकि इस क्षेत्र की लम्बी सीमा सामरिक महत्व की है। यहां पर काफी संख्या में पाकिस्तान से प्रवर्तक आते रहे हैं जिसके फलस्वरूप यहां की जनसंख्या भी अब दुगनी हो गई है। हाल ही में इसे पिछड़ा क्षेत्र भी घोषित किया गया है ताकि केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अधीन उद्योगों की स्थापना हेतु इसे वित्तीय सहायता मिल सके।

अतः इसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि इस जिले के मुख्यालय तथा अन्य भागों को राज्य के मुख्यालयों से रेल द्वारा मिलाया जाना बहुत आवश्यक है। गाजोल होकर मालदा से बलूरघाट तक तथा फिर आगे दिल्ली तक बंगला देश से जोड़ते हुए एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना चाहिये। यहाँ अविलम्ब बड़ी लाइन बिछाई जाये। इस संबंध में राज्य के उप-मुख्य मंत्री की ओर से अनुरोध किया गया है तथा जनता की ओर से भी अभ्यावेदन केन्द्र सरकार को भेजे जा चुके हैं।

परन्तु मुझे खेद है कि सरकार की ओर से यथोचित उत्तर नहीं मिल रहा है। रेलवे मंत्री ने मेरे पत्र के उत्तर में केवल इतना ही कहा है कि इसके लिये पूरे सर्वेक्षण की आवश्यकता है और इसके लिए केन्द्रीय बजट में कुछ व्यवस्था की गई है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि उक्त

सर्वेक्षण कब किया जायेगा तथा इसे कितनी अवधि में पूरा किया जायेगा ? मेरी मांग है कि इस संबंध में अब और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये और यह कार्य तुरन्त पूरा किया जाये ।

कोयले की सप्लाई कम होने के कारण विद्युत केन्द्र बेकार पड़े रहते हैं । रेलवे वैगनों की कमी के कारण कोयले के भारी स्टाक एकत्रित हो गये हैं और इसके फलस्वरूप संबंधित लोगों को भारी परेशानी हो रही है । इसी प्रकार की स्थिति बिहार में भी है । मेरे विचार के इस संबंध में मंत्रालयों में यथोचित आयोजन तथा समन्वय नहीं है । मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि वैगनों की तो कमी नहीं है; फिर भी यह संकट क्यों है ? वैगन देने से रेलवे अधिकारियों को कौन रोक रहा है ?

मंत्री महोदय चाहे तो स्पष्टीकरण दें परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यदि उन्होंने वैगनों की कमी की समस्या को हल नहीं किया ये समूचा उद्योग धराशायी हो जायेगा । मुझे आशा है कि यह इस ओर ध्यान देंगे तथा इस समस्या को तुरन्त हल करेंगे ।

***श्री एम० एम० जोजफ** (पीरमड़ी) : भारतीय रेल सेवा एशिया भर में सबसे बड़ी सेवा है और केन्द्र सरकार तथा भारत के करोड़ों लोगों को इस बात का अभिमान भी है । परन्तु जहां तक इससे देश की आवश्यकता पूरी होने की बात है तो उसमें हमारी रेल सेवा आगे नहीं है । जहां हमारे देश ने कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में गत 25 वर्षों में जितनी प्रगति की है उतनी प्रगति रेलवे ने नहीं की है जिसके कारण हम इन क्षेत्रों के लिये अपेक्षित कच्चे माल के आयात तथा अपने उत्पादों के निर्यात के संबंध में आवश्यक रेल-डिब्बों की कमी के कारण पीछे रह गये हैं ।

केरल में शराब के कारखानों के लिये आवश्यक शिरा आन्ध्र तथा मद्रास से मंगाना पड़ता है । कुछ मास पूर्व ऐसी स्थिति पैदा हुई कि शिरा के अभाव के कारण केरल के शराब-कारखानों को बन्द करना पड़ा । इसी प्रकार अपेक्षित कच्चा माल प्राप्त करने तथा तैयार माल का निर्यात करने की सुविधायें न मिलने के कारण वहां सारे कारखानों को बन्द करना पड़ा । यही स्थिति मध्य केरल में टाइल-कारखानों की हुई । यद्यपि सलाहकार समिति का एक सदस्य होने के नाते मैंने रेल मंत्री तथा डिवीजनल मैनेजर को इस स्थिति से अवगत कराया, फिर भी इसमें सुधार करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया ।

दिल्ली से केरल तक प्रतिदिन रेलगाड़ी में केवल एक कोचीन-डिब्बा लगाया जाता है । उसमें भी आधे स्थान उत्तर मद्रास जाने वाले के लिये आरक्षित रहते हैं । इस तरह राजधानी में कार्य करने वाले केरल निवासियों को अपने जन्मस्थान जाने के लिय रेल गाड़ी में स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं होता । मेरे एक मित्र के लिये मैंने कोचीन जाने वाली गाड़ी के लिये इस मास की 28 तारीख को या इससे पूर्व एक टिकट प्राप्त करने का प्रयास किया । परन्तु संसद भवन के टिकट घर तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी प्रयास करके मुझे आरक्षण प्राप्त न हो सका । परन्तु उसी मित्र ने जब किसी ट्रेवल एजन्ट को कुछ पैसे दिये तो उसे 25 तारीख का आरक्षण मिल गया । यही विड़म्बना है । अतः दक्षिण जाने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी के लिये कम से कम दो डिब्बे प्रतिदिन अवश्य जोड़े जाने चाहिये ।

*मलयालम भाषा में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based in English translation of the speech delivered in Malayalum.

केरल के लोग काफी लम्बे समय से एक या दो नई रेल लाइनों की मांग कर रहे हैं । इस बारे में मैंने स्वयं भी रेल मंत्री को एक अभ्यावेदन पेश किया था । केरल के ऊंचे स्थानों पर उत्पन्न नकद-फसल से भारत को 40 प्रतिशत विदेशी मुद्रा की आय होती है । अतः इस क्षेत्र से होकर जाने वाली एक नई रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिये । मैंने इस संबंध में जब अभ्यावेदन दिया था तो मुझे उत्तर मिला था कि ऊंचे क्षेत्र के कारण नई रेल लाइन बिछाना लाभप्रद नहीं होगा । हालांकि शिमल, ऊटकामंड तथा नीलगिरी आदि में रेलवे विभाग को कोई कठिनाई नहीं हुई ।

केरल में रान्नी तथा कुभाली के मार्ग से पुनालूर से मदुरा तक और एर्नाकुलम के ऊंचे क्षेत्र से होते हुए मदुरा तक—ये दो रेल लाइनें तो बहुत ही आवश्यक हैं । यहां के कृषि उत्पादन तथा नकद-फसलें इसकी औचित्य सिद्ध करती हैं । इसके अतिरिक्त लोग भी इस क्षेत्र के विभिन्न दर्शनीय स्थानों को देखना चाहते हैं । अतः मंत्री महोदय इन लाइनों के निर्माण का कार्य आरंभ करें ।

प्रतिवेदन में नैमित्तिक श्रमिकों के संबंध में कहा गया है कि इन्हें स्थायी किया जायेगा परन्तु वे अभी तक आभार्य हैं । मंत्री महोदय इस संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही करें ।

श्री एन० शिवप्पा (मंगलौर) : आज रेलवे की जो दयनीय स्थिति है वह उसी विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों से ही सिद्ध हो जाती है । वर्ष 1970-71 में जहां माल परिवहन से 6,00, 12,000 रुपये की आय हुई वहां 5,35,11,646 रु० चोरी के मुआवजे के रूप में रेलवे को देने पड़े । इसलिये रेलगाड़ियों को चलाने से क्या लाभ है ? न जाने इतने बड़े पैमाने पर चोरियां कैसे होती हैं । यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मंत्री महोदय इसका उत्तर दें । साथ ही अधिकारिगण इस समस्या पर गंभीरता से विचार करें और इसका कोई हल निकालें । यद्यपि रेलगाड़ियों के समय पर चलने तथा अन्य सुधारों के लिये किये गये प्रयासों के लिये हम मंत्री महोदय को बधाई देते हैं परन्तु फिर भी हम चाहते हैं कि चोरी आदि की घटनाओं की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाये । इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद ढंग में संशोधन करने के बारे में भी सोचा जा सकता है । साथ ही सत्यानम समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों तथा प्रशासन सुधार आयोग की तत्संबंधी सिफारिशों की क्रियान्विति के संबंध में भी कुछ किया जाना चाहिये । इनसे प्रशासन को स्वच्छ रखने तथा चोरी के मामलों को रोकने में सहायता मिलेगी । और साथ ही श्रमिकवर्ग को भी लाभ पहुंचेगा । वस्तुतः चोरियों के मामलों में कुछ अधिकारी तथा कर्मचारियों का भी हाथ होता है । संभव है कुछ लोग निर्धनता के कारण भी ऐसा करने पर विवश हों । मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना सामान लेने के साथ-साथ मुआवजा भी ले जाते हैं । ऐसे लोग बड़े-बड़े व्यापारी हैं जोकि अधिकारियों से सांठ-गांठ रखते हैं ।

अतः इस संबंध में अपनाये गये कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये ।

यह बहुत आवश्यक है कि सत्यानम समिति तथा प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाये, तथा संविधान में संशोधन भी अनिवार्य है । इनके होने से माल परिवहन में होने वाली 5-6 करोड़ रुपये की चोरी बच जायेगी । साथ ही सेवा में भी सुधार होगा और इस सुधार के भी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय इस समस्या से निपट सकेंगे जिसमें न केवल जनता के धन की बचत होगी वल्कि प्रशासन स्वच्छ होगा और श्रमिक वर्ग को भी लाभ पहुंचेगा ।

केप कोमोरिन को बड़ी लाइन द्वारा काश्मीर से मिलाने के कार्य में बड़ा विलम्ब हो रहा है। यह कार्य पूरी सहृदयता तथा पूर्ण प्रयास से किया जाना चाहिये। इस संबंध में यदि कोई बाधा आती है तो वह यहां सभा में बताई जाये। और यदि वस्तुतः ही कोई अड़चन है तो लोगों को आश्वासन नहीं दिया जाना चाहिये।

दक्षिण से उत्तर तक एक बड़ी लाइन होनी चाहिये। पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक भी केवल कुछ प्रमुख नगरों में ही सीधा संबंध है। मंगलौर पत्तन अब बन रहा है। वहां कुदरामुख लौह अयस्क के भंडार हैं। इस पिछड़े क्षेत्र का सुधार किया जाना चाहिये और वहां गरीब बेरोजगारों को रोजगार दिया जाय। स्वयं रेलवे विभाग उन्हें काफी रोजगार दे सकता है। परन्तु वहां पर बड़ी लाइन का ट्रेक निर्मित करने तथा पुलों का निर्माण करने भी अब यह कहा जा रहा है कि वहां मीटर लाइन बिछाई जायेगी। यह कैसी विचित्र बात है!

मद्रास से मैसूर तक बड़ी लाइन होनी चाहिये। सारे कर्नाटक क्षेत्र में केवल 307 कि० मी० लम्बी रेल लाइन है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि क्योंकि मैसूर के लोग नम्रता तथा सभ्यता के साथ अपनी मांग रखते हैं तो उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

कुदरामुख क्षेत्र से प्रतिवर्ष एक करोड़ टन लौह अयस्क निकलता है और इसे निर्यात करना होता है। साथ ही हम 30 करोड़ रुपये की काफी का भी निर्यात करते हैं तथा विदेशी मुद्रा कमाते हैं। परन्तु समस्या यह है कि उन्हें चिकमगलूर, शिमोगा तथा अन्य पश्चिमी क्षेत्रों से लाया कैसे जाये। अतः कादूर से चिमार्गलूर तक की रेलवे लाईन को रुकलेशपुर तक बढ़ाना होगा। यह लाइन मद्रास तथा कर्नाटक क्षेत्रों का विकास कर सकती है। इस तरह मंगलौर फार्टिलाइजर्स तथा अन्य कम्पनियों को भी माल भेजने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उर्वरक के परिवहन के लिये केवल मलनाड लाइन है। यह पिछड़ा क्षेत्र है और यहां के लोग बहुत निर्धन हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान देंगे और यहां के लिये कार्यक्रम तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करेंगे। 8 वर्ष पूर्व इसके लिये 28 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई थीं और उसे 1972 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य था परन्तु अभी तक उस पर केवल 12 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया। अब यदि इसका पुनरीक्षित अनुमान तैयार किया गया तो वह लगभग 35 या 40 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार इस विलंब से देश तथा सरकार को भारी हानि हो रही है। इसके लिये मंत्री महोदय तो नहीं परन्तु संबंधित इन्जीनियर तथा अधिकारिगण अवश्य ही उत्तरदायी हैं।

हम चाहते हैं कि परियोजनाओं को तुरन्त पूरा किया जाये। छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाये।

बिहार से दक्षिण से कोयला ले जाया जाता है। यह तो उचित नहीं लगता क्योंकि दक्षिण में तो काफी मात्रा में विद्युत उपलब्ध है। वहां तो रेल गाडियों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिये। इसी प्रकार अब उत्तर में पर्याप्त मात्रा में डीजल तथा कोयला उपलब्ध है तो वहां कोयले और डीजल से रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिए। पहाड़ी तथा ऊंचे क्षेत्रों में भाप के इंजन नहीं लगाये जाने चाहिये क्योंकि वे खींचने की कम शक्ति रखते हैं। इस प्रकार मंत्री महोदय उचित किफायत करते हुए रेलवे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें तथा दक्षिण खण्ड में सेवाओं में सुधार करें।

मंत्री महोदय मैसूर के हैं और वह समझते होंगे कि यदि उन्होंने मैसूर राज्य में कोई कार्य किया तो अन्य राज्यों में उनकी आलोचना होगी और उन पर पक्षपात का आरोप लगायेंगे। परन्तु मैसूर के लोग भी तो इस देश का एक भाग हैं, फिर वहां कोई विकास नहीं हुआ है और न ही किसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मैसूर राज्य का विकास करेंगे तथा नये लाइनों के लिए सर्वेक्षण करायेंगे।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : हमारे क्षेत्र में या तो प्लेटफार्म हैं ही नहीं और जो हैं तो बहुत नीचे हैं जिसके फलस्वरुप, यात्रिगण, विशेषरूप से महिलायें तथा बच्चे रेलगाड़ी पर चढ़ते या उतरते समय गिर पड़ते हैं तथा आहत हो जाते हैं। यदि ऐसे स्टेशनों के प्लेट फार्मों को ऊंचा कर दिया जाये तो अधिक धन भी खर्च न होगा और लोग भी गिरने तथा घायल होने से बच जायेंगे।

दूसरे, वहां स्टेशन तक पहुंचने वाली सड़कों की हालत बहुत ही खराब है और रेल मंत्रालय पर इसकी जिम्मेवारी हैं। वर्षा के समय कोई भी वाहन स्टेशन तक नहीं पहुंच सकता। इन सड़कों की मरम्मत का कार्य तुरन्त ही हाथ में लिया जाना चाहिये।

सलाहकार समिति की बैठकें जल्दी-जल्दी की जानी चाहियें ताकि सभी समस्याओं को यहां सभा में उठाने की बजाय वही विचार विमर्श करके हल कर लिया जाये। बजट सत्र के दौरान दो बैठकें तथा छोटे क्षेत्र में एक बार बैठकें आयोजित की जानी चाहियें।

Shri Hukam Chand Kachwai : On a point of order. There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घण्टी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री डी० एन० तिवारी : मंत्री महोदय अपने बचनों को पूरा किया करें। छः मास पूर्व उन्होंने सोनपुर डी० एस० आफिस के बारे में बातचीत करने का आश्वासन दिया था परन्तु अनेक बार याद दिलाने पर भी उन्होंने चर्चा करने हेतु संबंधित कागजात भी एकत्रित नहीं किये। समूचे पूर्वोतर रेलवे पर बिहार में केवल एक डी० एम० कार्यालय है जबकि आवश्यकता दो की है। एक सोनपुर में तथा दूसरा समस्तीपुर में, ताकि लोग तथा व्यापारी समुदाय उनके समक्ष अपनी शिकायतें रख सकें। परन्तु मंत्री महोदय के पास मुझसे बात करने का शायद समय ही नहीं है।

पलहजा घाट तथा महेन्द्र घाट के बीच तीन जलपोतों में से दो खराब पड़े हैं और शेष तीसरे को दिन में 8-8 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। यद्यपि मंत्री महोदय ने एक जहाज की मरम्मत का आदेश दिया था तो भी न जाने अधिकारिगण क्या कर रहे हैं। दूसरे जहाज की मरम्मत पर 1·40 लाख रुपये लगने पर भी वह ठीक नहीं हुआ है। मंत्री महोदय इस संबंध में जांच करायें ताकि उत्तर बिहार के साथ निरन्तर संबंध बना रहे।

पलहजा घाट से बेगमपुर आने के लिये 1·10 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। पलहजा घाट से महेन्द्र घाट का किराया 1·75 रुपये हैं इस प्रकार प्रत्येक टिकट पर रेलवे का 60 या 65 पैसे की हानि होती हैं। जो कि वर्ष में जाकर लाखों रुपये की राशि तक पहुंचती है। यदि घाट से घाट तक की बुकिंग के लिये राज्य सरकार को कुछ मुआवजा दे दिया जाये तो भी रेलवे का लाभ ही रहेगा और यात्रियों को भी सुविधा होगी।

मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत-पाक युद्ध के समय रेल कर्मचारियों का कार्य बड़ी ही प्रशंसात्मक रहा फिर आप उनकी सुख सुविधाओं का भी तो ध्यान रखिये। कर्मचारियों को उनके मूल निवास स्थान के समीपवर्ती जोनों में ही नियुक्त किया जाना चाहिये ताकि किसी भी युद्ध-संकट के समय वे अपने परिवार वालों तक सुगमता से पहुंच सकें। इससे रेलवे को तो हानि नहीं पहुंचती और रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों व संबंधियों को बड़ा आराम और सन्तोष रहता है। इसमें कुछ खर्च भी नहीं होता और रेलवे कर्मचारी भी संतुष्ट रहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

Mr. Chairman : Shri Rajdev Singh.

Dr. Laxmi Narain Pandey (Mandsaur) : On a point of order. Whereas the Hon. Railway Minister is sitting here quite comfortable, the railway employees in Ratlam Sher on the Western Railways are dying as a result of hunger strike. None is there to listen to them against the irregularities and corruptions going on there. They have been on hunger strike for the last three days. I have just now received a telegram from Diesel staff and Secretary, Paschim Railway.

Mr. Chairman : It is no point of order. Please sit down.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : It is a convention here that every Member put his demands when he speaks on the Railway Budget and those demands can be met only if there is an amount between 50 to 80 crores of rupees. So we have to see towards the finances and other drawbacks also when we put our demands and also give our valuable suggestions to make the things better. Today the biggest problem with the Railways is pilferage. Recently a theft to the tone of Rs. 2 or 3 lakh was reported and it was told that the entire railway staff is being removed from there. It is very strange that the Government themselves are transporters and the theft are committed of their own property by their own men. Then none knows whether the apprehended thieves are adequately punished or not. I appeal to the Hon. Minister that if the provisions of the present Railway Act are not sufficient to check thefts and pilferages, let him bring in some amendments and I believe the whole House would support him. But at any cost, pilferage should be checked completely.

Second cause of heavy loss to the railways is ticketless travelling, The ticketless travellers are mostly a little but educated persons, some carefree youngmen and students from cities who have to travel 5—6 miles to reach their school or colleges but their parents cannot afford a bicycle for this little journey. So I suggest that concession tickets of minimum possible amount should be made available to them so as to make them habitual of purchasing tickets.

Some years ago I had drawn the attention of the hon. Minister towards re-issuing of tickets by the railway staff on the stations between Jaunpur and Audihar. There are three trains on this line but tickets are issued from the counter only once and then during the day the staff collects those tickets from the passengers and re-issue them to others. This results in the loss of two-third of the daily income to the railways. I have seen in it with my own eyes.

Secondly, whereas the booking windows should be opened half an hour before the arrival of the train they keep closed until the trains arrive, resulting in a huge rush on the booking windows and many passengers cannot purchase their tickets. And again a great loss to the railways which establishes an impression that the entire line is uneconomic.

Three-fourths of our stations are side stations from where mostly the villagers board the trains, but those stations are totally neglected inasmuch as that most of them have no sheds, no

drinking water and electric facilities. I am sure that the villagers mostly do not travel without tickets and therefore these stations are not uneconomic. Adequate facilities should therefore, be provided to these passengers.

The Minister should look into the corruption which is at the root of transfers effected in the Lucknow Division. It has come to notice that in all 314 transfers are ordered in one division in one month only. It is alleged that these transfers are ordered to accommodate such employees as are pet and favoured to the high-ups, at good places and the issue is dismissed on the plea that they are requested transfers.

The backwardness of eastern sector of Uttar Pradesh cannot be removed until the metre guage lines in that region are converted into the broad gauge lines.

There is a demand for the last seven or eight years by the Members of Parliament in the Consultative Committee and elsewhere also to introduce a direct train from Banaras to Delhi *via* Lucknow and Kanpur. There is not a single train between Banaras and Lucknow which comes to Delhi directly.

There is a demand for a train from Shahganj to Sultanpur. It should be introduced. During the Indo-Pak war the train from Howrah to Lucknow *via* Jafarabad—Sultanpur is closed alongwith other trains. Efforts should be made to reintroduce that train at the earliest.

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : रेल मंत्री के विचारार्थ मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

रेलवे प्रशासन को सुव्यवस्थित बनाने के लिये तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह जनता के सुझावों पर अधिक ध्यान दे, परामर्शदात्री समिति की बैठकें प्रायः होती रहनी चाहियें और ये बैठकें प्रत्येक डिवीजन के मुख्यालयों में होनी चाहियें।

पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये रेलवे योजना बनाने की आवश्यकता है। डा० गाडगिल की अध्यक्षता में योजना आयोग ने, कुछ क्षेत्रों को पिछड़े हुए क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए, सराहनीय कार्य किया है और उन क्षेत्रों के सुधार के लिये उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं। जब तक उन क्षेत्रों को रेल द्वारा नहीं मिलाया जाता, तब तक उनका औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी विकास नहीं हो सकता है।

अपने क्षेत्र रायलसीमा के बारे में जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर कुछ रेल लाइनें बिछाने की जोरदार मांग की जाती रही है। परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। नन्दयाल से नीलौर, मादीपुर और कुडाप्पा तक एक रेलवे लाइन बिछाने के लिये बहुत पहले एक सर्वेक्षण भी किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी केवल रेलवे प्रशासन को ही है। आशा की जाती है कि रेल मंत्री पिछड़े हुए क्षेत्रों की कठिनाइयों को समझेंगे तथा उन क्षेत्रों में शीघ्र ही कुछ रेल लाइनें बिछाने के लिये कार्यवाही करेगें।

माल डिब्बों की कमी के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके नियतन में कुछ त्रुटियां हैं। इस स्थिति में सुधार करना होगा। माल डिब्बों की पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें अथवा वे परियोजनायें जो खनिजों पर आधारित हैं, अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन परियोजनाओं के लिये पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे-सप्लाई किये जायें।

खाद्य तेलों के ढोने की भी समस्या है । पूल के गठन के सम्बन्ध में हमारे क्षेत्र में एक प्रकार का असुन्तलन पैदा हो गया है । ऐसा देखा गया है कि एक पूल में माल डिब्बों की सप्लाई बहुत कम है, दूसरे पूल में माल डिब्बे फालतू हैं । इस स्थिति को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए । जहां भी आवश्यक हो उसे पूरा किया जाना चाहिए ।

गुँटकल से सिकन्दराबाद तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए । माननीय मंत्री महोदय ने कहीं पर वक्तव्य दिया था कि सभी राज्यों की राजधानियों को बड़ी लाइनों में बदल दिया जायेगा । मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में यह आकांक्षा पूर्ण हो जायेगी ।

सरकार को रेलवे पुलों तथा फाटकों के निर्माण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। रेलवे प्रशासन चाहता है कि राज्य सरकार पहुंच मार्ग बनाने का अपना दायित्व पूरा करे । मंत्री महोदय को यह कार्य रेलवे प्रशासन पर नहीं छोड़ना चाहिए तथा उन्हें इस बात का पता लगाना चाहिए कि किस क्षेत्र को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है । जिन स्थानों की ओर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है उनकी एक योजना बनाई जानी चाहिए । नाडियाल में यातायात अवरुद्ध रहता है । वहां फाटक पर एक ऊपरी-पुल बनाने की आवश्यकता है । मैंने इस बारे में माननीय मंत्री महोदय को लिखा है और मुझे आशा है कि वह इस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : युद्ध के दौरान रेलवे मंत्रालय अपनी सराहनीय सेवा के लिये बधाई का पात्र है । बजट में रेल मंत्रालय ने कुछ नई लाइनें बनाने के लिये उपबन्ध किया है परन्तु उड़ीसा में जाजपुरा को बनासनी से मिलाने की प्रबल मांग जो कि बहुत समय से की जाती रही है अवहेलना की गयी है । यह क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । कटक पारादीप लाइन से समूचा अयस्क का, जो कि निर्यात करना होता है, परिवहन नहीं हो पाता और इसलिए उसे पारादीप पत्तन के मार्ग से भेजना पड़ता है । यदि वहां रेलवे लाइन बिछाई जाती है और इसे पारादीप पत्तन से मिलाया जाता है तो समूचे लौह अयस्क को जिसका जापान को निर्यात करने की आवश्यकता है, आसानी से भेजा जा सकेगा । खनिज तथा धातु व्यापार निगम जापान को लौह अयस्क निर्यात करने के लिए वचनबद्ध है । परन्तु माल डिब्बों की कमी के कारण हम लौह अयस्क की पूरी मात्रा नहीं उठा पा रहे हैं । वास्तव में माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है परन्तु कहीं कुछ त्रुटियां हैं । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध कराये जाने चाहियें ।

उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है तथा इसे और अधिक परिवहन एवं संचार सुविधाओं की आवश्यकता है । योजना आयोग ने भी सुखिवन्दा में एक निकल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है । इस लिए इस क्षेत्र में इस उद्देश्य के लिये रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता है ।

रेलवे क्षेत्रों के और पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता है । इस समय 9 रेलवे क्षेत्र हैं । इनको बढ़ाकर 12 अथवा 13 कर दिया जाना चाहिए । जब यह क्षेत्र बनाये गये थे तो उस समय रेल मार्ग की मीलों में दूरी के आधार पर इसका गठन किया गया था । अब दक्षिण-पूर्व क्षेत्र सबसे बड़ा है । इसलिये क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि इसके भार को कम किया जा सके और समान रूप से बांटा जा सके ।

उड़ीसा में रूपसा से बन्गरीयपोसी और नौपारा से गुनपुर तक एक छोटी लाइन है। इस लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए तथा बन्गरीयपोसी को रायरंगपुर तक मिलाया जाना चाहिए और फिर गुनपुर से रागढ़ा तक मिलाया जाना चाहिए।

डी० बी० के० रेलवे केवल माल यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसे यात्री यातायात के लिये भी खोला जाना चाहिए।

गोलकुण्डा एक्सप्रेस का भी उल्लेख किया गया था। उसकी बजाय पुरी से हैदराबाद तक एक मेल चलायी जानी चाहिए। ऐसा करने से यात्रियों को अधिक सुविधायें मिल सकेंगी। पुरी में दक्षिण और अन्य स्थानों से प्रतिवर्ष बहुत से तीर्थयात्री आते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

बारहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 19 मई, 1972/29 वैशाख, 1894 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, May 19, 1972/ Vaisakha 29, 1894 (Saka)

(Raja) Ram Kumar Press, Lko. 11-9-72/490.